# भारतीय पटसन निगम लिमिटेड

**( भारत सरकार की संस्था )**

15एन, नेली सेनगुप्ता सरणी

कोलकाता–700 087

# छियालीसवीं वार्षिक रिपोर्ट

## विषय–सूची


| | | | पेज |
|---|---|---|---|
| 1. | बोर्ड के निदेशकगण एवं लेखापरीक्षा समिति | ... | 2 |
| 2. | सूचना | ... | 5 |
| 3. | अध्यक्ष की कलम से | ... | 6 |
| 4. | निदेशकों का रिपोर्ट | ... | 9 |
| 5. | पांच वर्षों की रूपरेखा | ... | 33 |
| 6. | क्षेत्रीय कार्यालय | ... | 35 |
| 7. | लेखापरीक्षकों का रिपोर्ट | ... | 36 |
| 8. | लेखा पर सीएजी की टिप्पणियां | ... | 52 |
| 9. | तुलन–पत्र, लाभ–हानि खाता, नकद प्रवाह विवरण, तुलन–पत्र तथा लाभ–हानि खाता के अभिन्न अंग की लेखा टिप्पणियां | ... | 53 |
| 10. | व्यापार का लेखा : | | |
| | (i) अन्तर्देशीय कच्चा जूट–मूल्य समर्थन | ... | 74 |
| | (ii) अन्तर्देशीय कच्चा जूट–वाणिज्यिक | ... | 75 |
| | (iii) जूट बीज | ... | 76 |
| | (iv) विविध जूट उत्पाद (सोनाली) | ... | 76 |

# भारतीय पटसन निगम लिमिटेड

(भारत सरकार की संस्था)

15एन, नेली सेनगुप्ता सरणी, कोलकाता-700 087

## बोर्ड के निदेशकगण

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | डा. के. वी. आर. मूर्ति | : | अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (02.07.2016) |
| 2. | श्री ए. एम. रेड्डी | : | संयुक्त सचिव, वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली (23.03.2015) |
| 3. | श्रीमती बबनी लाल | : | आर्थिक सलाहकार, वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली (18.06.2014) |
| 4. | सीए पी. दाशगुप्ता | : | निदेशक (वित्त) (03.11.2014) |
| 5. | डा. सुब्रत गुप्ता | : | अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (01.01.2016 से 02.07.2016) |
| | श्री ए. साहा | : | कंपनी सचिव (03.08.2016) |
| | लेखापरीक्षक | : | मेसर्स एम. सी. जैन एवं कं., 33, ब्रबर्न रोड, कोलकाता 700001, पश्चिम बंगाल |

## लेखापरीक्षा समिति

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | श्रीमती बबनी लाल | : | अध्यक्षा (18.06 2014) |
| 2. | श्री ए. एम. रेड्डी | : | सदस्य (23.03.2015) |
| 3. | डा. के. वी. आर. मूर्ति | : | सदस्य (02.07.2016) |
| 4. | डा. सुब्रत गुप्ता | : | सदस्य (01.01.2016 से 02.07.2016) |
| | श्री ए. साहा | : | कंपनी सचिव (03.08.2016) |
| | पंजीकृत कार्यालय | : | 15एन, नेली सेनगुप्ता सरणी, कोलकाता-700 087<br>वेबसाइट: www.jci.gov.in, ई-मेल: jci@jcimail.in |

**डा. के. वी. आर. मूर्ति**
*अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक*

**श्री ए. एम. रेड्डी**
*संयुक्त सचिव*

**श्रीमती बबनी लाल**
*आर्थिक सलाहकार*

**श्री पी. दाशगुप्ता**
*निदेशक (वित्त)*

*नई दिल्ली में वस्त्र मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन 2017-18 पर हस्ताक्षर करने के दौरान डा. के.वी.आर. मूर्ति, सीएमडी, भापनि, श्री अनंत कुमार सिंह, सचिव, वस्त्र मंत्रालय, श्री ए.एम. रेड्डी, संयुक्त सचिव एवं श्री एस.आर. गायकवाड़, निदेशक(जूट)*

The Jute Corporation of India Limited
भारतीय पटसन निगम लिमिटेड

# J C I ' s  N E T W O R K

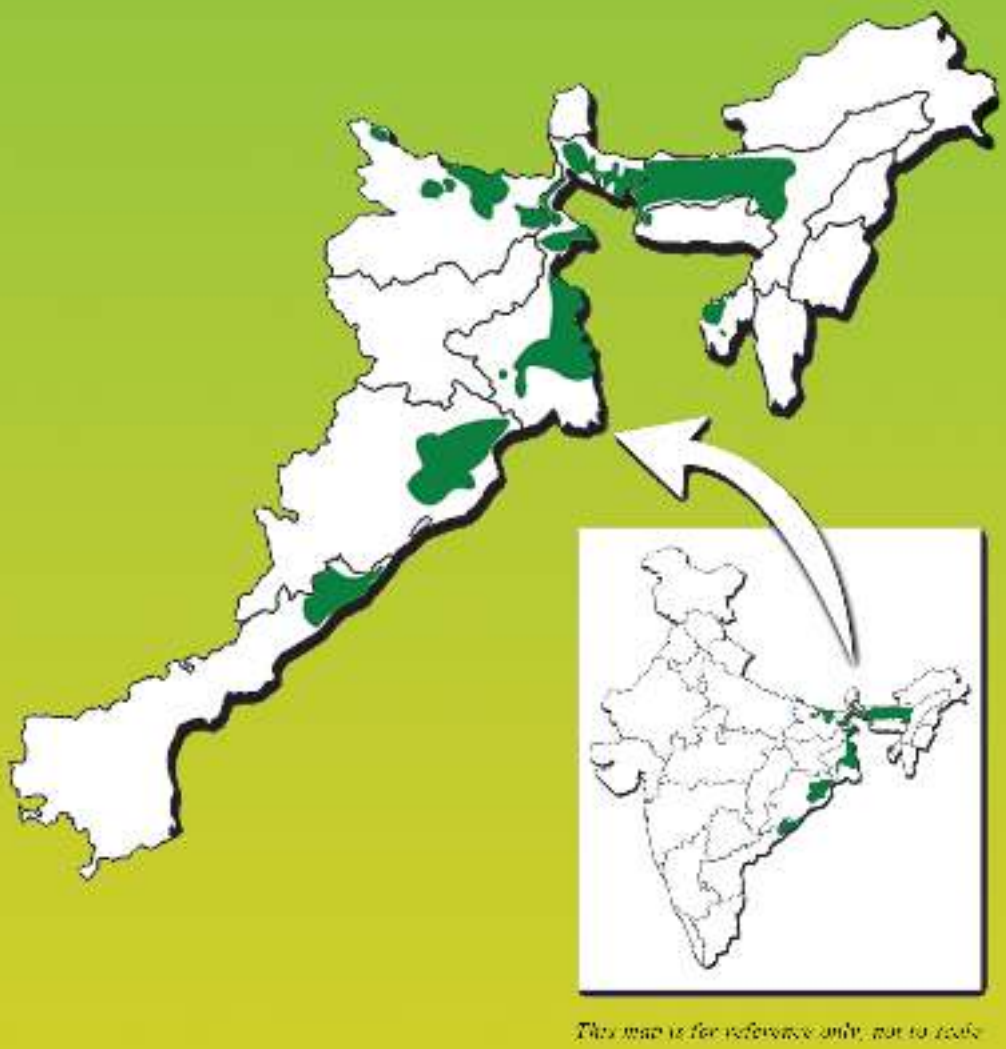

*This map is for reference only, not to scale*

# भारतीय पटसन निगम लिमिटेड

(भारत सरकार की संस्था)
15एन, नेली सेनगुप्ता सरणी, कोलकाता-700 087

सं. भापनि/46वीं एजीएम/सचिवालय/2017-18 दिनांक : 13.10.2017

## 46वीं वार्षिक साधारण सभा की सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय पटसन निगम लिमिटेड की छियालीसवीं वार्षिक साधारण सभा निम्नलिखित कार्य सम्पादित करने के लिए सोमवार, 16 अक्तूबर, 2017 को अपराह्न 5.00 बजे से इस निगम के पंजीकृत कार्यालय, 15एन, नेली सेनगुप्ता सरणी, कोलकाता-700087 में होगी।

**सामान्य कारोबार**

1. 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणियों के साथ-साथ लेखा-परीक्षकों एवं निदेशकों के प्रतिवेदन पर विचार करना एवं उसे पारित करना।

2. सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति को नोट करना और उनका पारिश्रमिक निर्धारित करना।

   निम्नलिखित संकल्प को साधारण संकल्प के रूप में विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा गया तो बिना किसी संशोधन के उसे पारित करना:

''**प्रस्तावित**
कि कम्पनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 139 के अनुसार मेसर्स एम. सी. जैन एण्ड कं., सनदी लेखापाल को वर्ष 2017-18 के लिए निगम के सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किया गया है। इस अधिनियम की धारा 142 के अंतर्गत निगम के निदेशकगण को वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक, आनुषंगिक खर्च, सांविधिक कर एवं अन्य संबंधित खर्च तय करने के लिए प्राधिकृत किया जा सकता है एवं एतद्वारा किया जाता है।''

3. 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए प्रति शेयर 55.20 रु. का लाभांश घोषित करना।

निदेशक मण्डल के आदेशानुसार
**( अभिक साहा )**
कंपनी सचिव

पंजीकृत कार्यालय:
15एन, नेली सेनगुप्ता सरणी,
कोलकाता-700 087

**टिप्पणी :**

सदस्य जो छियालीसवीं वार्षिक साधारण सभा में उपस्थित और वोट देने के हकदार हैं वे अपने तरफ से परोक्षी को उपस्थित और वोट देने के लिए नियुक्त कर सकते हैं (धारा 105)। परोक्षी को निगम का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। परोक्षी का एक रिक्त फार्म संलग्न है, यदि इसका उपयोग किया जाता है तो निगम को वार्षिक साधारण सभा प्रारम्भ होने के 48 घंटे पहले इसे विधिवत भरकर वापस किया जाना चाहिए।

# अध्यक्ष की कलम से

प्रिय सदस्यगण,

मैं भारतीय पटसन निगम लिमिटेड के बोर्ड के निदेशकगण की ओर से निगम की 46वीं वार्षिक साधारण सभा के अवसर पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ।

मैं आप सभी लोगों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम रहने के बावजूद सभा में उपस्थित होकर इसे सफल बनाया।

अब मैं निम्नलिखित क्षेत्रों का वर्णन करते हुए वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान निगम के कार्य-निष्पादन का संक्षिप्त रुपरेखा प्रस्तुत करना चाहूंगा:

## वित्तीय परिणाम

समीक्षाधीन अविध के दौरान निगम ने कर के उपरांत 919.80 लाख रु. का लाभ किया है।

यह उपलब्धि कर्मचारियों के समर्पण व कठिन परिश्रम और निगम द्वारा सही समय पर क्रय, विक्रय एवं अन्य क्रिया-कलापों से संबंधित लिये गये निर्णयों के कारण संभव हुआ जो बोर्ड के निदेशकगण और वस्त्र मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण के समग्र मार्गदर्शन और देख-रेख के अधीन था। यह सही है कि निगम द्वारा समझौता ज्ञापन में प्रतिबद्धता की गई थी और उसके पालन का वित्तीय परिणाम 2016-17 पर सीधा असर पड़ा है।

## बाजार का परिदृश्य

2015-2016 से लाये गये 6 लाख गांठ जूट से फसल वर्ष 2016-17 प्रारंभ हुआ। विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्टों एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में 500 रु. (रु.3200-रु.2700) की बढ़ोतरी (जैसाकि भारत सरकार द्वारा घोषित किया गया) के अनुसार फसल की संभावना पर आधारित कच्चे जूट का कुल उत्पादन 90 लाख गांठ (प्रत्येक 180 कि.) का पूर्वानुमान था। लेकिन वर्ष 2015-16 का वास्तविक उत्पादन 65 लाख गांठ की तुलना में इस वर्ष के दौरान वास्तविक उत्पादन 92 लाख गांठ रहा एवं बंग्लादेश से 4 लाख गांठ जूट का आयात किया गया। इसमें से अनुमानित मिल खपत 80 लाख गांठ की जगह वास्तविक मिल खपत 70 लाख गांठ और घरेलू खपत 10 लाख गांठ रहा। इसलिए 22 लाख गांठ जूट अधिशेष हो जायेगा। मौसम के प्रारंभ में फसल मूल्य एमएसपी से अधिक रहा परन्तु बाद में पर्याप्त फसल होने के कारण मूल्य एमएसपी स्तर पर आ गया एवं यहां तक कि कुछ जगहों में इससे नीचे हो गया। फसल वर्ष 2017-18 के लिए फसल की संभावना उत्साह देने वाला दिखता है।

## न्यूनतम समर्थन मूल्य क्रिया-कलाप

कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी), कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार ने पूरे भारतवर्ष के आधार पर टीडीएन-3 के लिए (टीडी-5 के जगह) न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की संस्तुति की जिसे भारत सरकार ने फसल वर्ष

2016-17 के लिए 3200 रु. प्रति क्विंटल स्वीकार कर लिया। यह न्यूनतम समर्थन मूल्य फसल वर्ष 2015-16 के न्यूनतम समर्थन मूल्य से 500/- रु. प्रति क्विंटल अधिक था। इस क्रम में पटसन आयुक्त का कार्यालय ने घोषित एमएसपी पर आधारित कच्चे जूट के विभिन्न किस्मों और श्रेणियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया।

निगम ने वित्तीय वर्ष 2016-17 में एमएसपी क्रिया-कलाप के अंतर्गत 55580 गांठ कच्चे जूट की खरीददारी की।

## 2016-17 के लिए समझौता ज्ञापन

समझौता ज्ञापन 2016-17 का मूल्यांकन रिपोर्ट वस्त्र मंत्रालय के माध्यम से लोक उद्यम विभाग के पास जमा किया गया है एवं निगम के श्रेणी का अभी भी इंतजार है और हम ''अच्छा'' श्रेणी का आशा कर रहे हैं क्योंकि निगम ने उपरोक्त समझौता ज्ञापन के गैर-वित्तीय पैरामीटर्स को प्राप्त करने में अच्छा कार्य-निष्पादन किया है। तथापि वित्तीय पैरामीटर्स के अंतर्गत निगम ने विक्रय के कुल कारोबार व सकल परिचालन मार्जिन के लक्ष्य के अलावा संतोषजनक ढंग से कार्य निष्पादन किया है।

## कार्पोरेट का सामाजिक उत्तरदायित्व

निगम एक लाभकारी संगठन होने के नाते वह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अंतर्गत सीएसआर के क्रिया-कलापों को पूरा करने के लिए बाध्य है। इसके अतिरिक्त केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) के लिए भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय (लेक अद्यम विभाग) द्वारा परिचालित किए गए कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के दिशा-निर्देशों के अनुसार निगम सीएसआर के क्रिया-कलापों में शामिल होने के लिए भी बाध्य है। कृपया उनके कार्यालय ज्ञापन सं.15(3)/2007-डीपीई(जीएम)-जीआई-99 दिनांक 9 अप्रैल, 2010 का अवलोकन करें।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान निगम ने स्कूलों में स्वच्छता अभियान एवं प्रधान कार्यालय, कोलकाता के आसपास के इलाके में सार्वजनिक शौचालयों की सफाई/सौंदर्यीकरण/निर्माण के क्षेत्रों में सीएसआर के क्रिया-कलापों को पूरा किया। बालिकाओं के स्कूलों, स्वास्थ्य जांच शिविरों, भारतीय थैलेसीमिया सोसाइटी को अंशदान और यूपीआई योजना के बारे में जागरूकता पैदा करने और किसानों व जूट उद्योग से संबंधित अन्य हितधारकों का बैंक खाता खुलवाने में सीएसआर के क्रिया-कलापों को पूरा किया।

## कार्पोरेट गवर्नेन्स

निगम अपने बुनयादी जरुरत को ध्यान में रखते हुए कंपनी अधिनियम, 1956/2013 पर आधारित वर्तमान कार्पोरेट अनुभव और केन्द्र सरकार द्वारा जारी कार्पोरेट गवर्नेन्स से संबंधित संशोधित मार्ग-दर्शनों का अनुसरण करता है जो अनिवार्य है। इस वर्ष में भी निगम ने कार्पोरेट गवर्नेन्स से संबंधित अपनाये गये कार्यों को निदेशकों का रिपोर्ट में विस्तार से वर्णित किया है।

निगम अपने क्रिया-कलापों में अधिकतम पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए कार्पोरेट व्यवहार को उन्नत करने का लगातार प्रयास कर रहा है। विशेष रूप से नई कंपनी अधिनियम की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जिसके अंतर्गत कार्पोरेट गवर्नेंस की अवधारण पूरी तरह से महत्व व सार्थकता के एक अलग स्तर पर बढ़ी है।

## मानव संसाधन प्रबंधन

निगम ने अपने जनशक्ति की क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण एवं कार्यावर्तन के माध्यम से अपना प्रयास जारी रखा है जिससे कि वे अपने वर्तमान कार्य में और अधिक संसाधन बन सके और वे भविष्य के औद्योगिक संबंध को बनाये रखने के लिए तैयार रहे।

समीक्षा वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध सद्भावपूर्ण रहा।

## आगे की ओर देखना

निगम हमेशा प्रौद्योगिकीय विकास के सभी अवसर का लाभ उठाने के लिए बदलते परिदृश्य के साथ अपना तालमेल रखता है। तदनुसार प्रधान कार्यालय के साथ सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को जोड़ते हुए कोलकाता में अपना मुख्य केन्द्र रखते हुए सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित एकीकृत नेटवर्क है जिसे समर्पित आईटी अधिकारियों की एक समूह द्वारा देखा जा रहा है।

जैसाकि आप जानते हैं कि निगम ने एक आउटलेट, सोनाली की स्थापना की है जिसके माध्यम से विशेषाधिकृत महिलाओं का जूट आधारित हस्तकला दिखाया व विक्रय किया जाता है। निगम ने प्रमाणित जूट बीज के वितरण में भी पहल किया है। इसके अलावा निगम ने आईकेयर (जूट: बेहतर खेती और उन्नत रेटिंग अभ्यास) परियोजना को भी अपनाया है जिसके द्वारा बेहतर गुणवत्ता और उपज के लिए कृषकों के पास प्रमाणित जूट बीज वितरित किए जाते हैं। इस परियोजना का उद्देश्य वैज्ञानिक कृषि विज्ञान प्रथा के उपयोग को संस्थागत बनाना है जो जूट कृषकों को दिया जाएगा।

जैसाकि पहले बताया गया है कि निगम आम सुविधा केंद्र (सीएफसी) के लिए एक कार्यान्वयन एजेंसी है जो राष्ट्रीय जूट बोर्ड की एक पहल है जिसे महिला स्व-सहायता समूहों को जूट विविध उत्पादों (जेडीपी) के विनिर्माण का प्रशिक्षण देते हुए उनके स्थायी आय का आजीविका/स्त्रोत प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है।

जूट फसल के आकलन के लिए ''इसरो'' के सहयोग से निगम द्वारा विकसित एंड्रॉइड आधारित मोबाइल एप्लिकेशन "भुवन जंप" बहुत उपयोगी साबित हुआ है। फसल वर्ष 2017-18 के लिए जूट की खेती के क्षेत्रों का वैज्ञानिक मूल्यांकन करने के लिए प्रमुख जूट उगाही राज्यों में विभिन्न जूट उगाही क्षेत्रों से अब तक करीब 2100 फील्ड डैटा ''इसरो सर्वर'' को प्रेषित किया गया है।

चूंकि कृषकों को लाभकारी मूल्य नहीं प्राप्त होने के कारण जूट का कुल उत्पादन एवं इसके क्षेत्रफल नियमित रूप से कम होता जा है इसलिए जूट की खेती करने में यंत्रकला बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसके लिए इस निगम ने इन परियोजनाओं के माध्यम से खेती की लागत में कमी लाने एवं बेहतर उत्पादन व गुणवत्ता के लिए एनजेबी एवं अन्य हितधारकों जैसे क्राइजाफ, इजिरा के सहयोग से कई पहल किये हैं।

इसके अलावा, निगम ने विविधीकरण के अपने दीर्घकालिक लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए व्यापार के नए रास्ते तलाशने के लिए दुबई में "इंटेक्सपो 2017" और गुजरात में टेक्सटाइल्स इंडिया 2017 आदि जैसे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मेलों में भाग लिया है। निगम जूट विविधिकृत उत्पादों का विक्रय करने एवं विपणन करने के लिए पतांजलि आयुर्वेद, पंपाहार, ताज बंगाल, एसबीआई आदि जैसे प्रसिद्ध ब्रांडों के साथ भी बातचीत कर रहा है। निगम वैकल्पिक राजस्व के रास्ते तैयार करने के लिए नए जगहों का पता लगाने का लगातार प्रयास कर रहा है।

## अभिस्वीकृति

मैं वस्त्र मंत्रालय, पटसन आयुक्त का कार्यालय, नेशनल जूट बोर्ड एवं जूट से संबंधित अन्य सभी निकायों के अधिकारियों को निगम के क्रिया-कलापों के लिए उनके पूर्ण सहयोग एवं संरक्षण हेतु कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ।

मैं इस सुअवसर का सदुपयोग करते हुए स्टॉफ यूनियनों एवं ऑफिसर्स एसोसिएशन को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जिन्होंने जूट कृषकों एवं संपूर्ण जूट सेक्टर से संबंधित निगम की प्रतिबद्धता बनाये रखने में अपना लगातार समर्थन देते रहे हैं।

**डा. के.वी.आर. मूर्ति**
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

# निदेशकों का रिपोर्ट
# वर्ष 2016-17

प्रिय शेयरधारीगण,

बोर्ड के निदेशकगण की ओर से मैं आपके समक्ष निगम के कार्य-निष्पादन से संबंधित 46वीं वार्षिक रिपोर्ट के साथ-साथ लेखापरीक्षकों के रिपोर्ट एवं 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षित लेखों एवं उस पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत करने जा रहा हूँ।

निगम के कार्यों से संबंधित मुख्य क्रिया-कलाप नीचे दर्शाये गये हैं :

## 1. कच्चे जूट की मांग-आपूर्ति का परिदृश्य

2015-2016 से लाये गये 6 लाख गांठ जूट से फसल वर्ष 2016-17 प्रारंभ हुआ। विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्टों एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में 500 रु. (रु.3200-रु.2700) की बढ़ोतरी (जैसाकि भारत सरकार द्वारा घोषित किया गया) के अनुसार फसल की संभावना पर आधारित कच्चे जूट का कुल उत्पादन 90 लाख गांठ (प्रत्येक 180 कि.) का पूर्वानुमान था। लेकिन वर्ष 2015-16 का वास्तविक उत्पादन 65 लाख गांठ की तुलना में इस वर्ष के दौरान वास्तविक उत्पादन 92 लाख गांठ रहा एवं बंग्लादेश से 4 लाख गांठ जूट का आयात किया गया। इसमें से अनुमानित मिल खपत 80 लाख गांठ की जगह वास्तविक मिल खपत 70 लाख गांठ और घरेलू खपत 10 लाख गांठ रहा। इसलिए 22 लाख गांठ जूट अधिशेष हो जायेगा। मौसम के प्रारंभ में फसल मूल्य एमएसपी से अधिक रहा परन्तु बाद में पर्याप्त फसल होने के कारण मूल्य एमएसपी स्तर पर आ गया एवं यहां तक कि कुछ जगहों में इससे नीचे हो गया। फसल वर्ष 2017-18 के लिए फसल की संभावना उत्साह देने वाला दिखता है।

## 2. क्रिया-कलाप की समीक्षा

### 2.1 न्यूनतम समर्थन मूल्य का क्रिया-कलाप

कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी), कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार ने पूरे भारतवर्ष के आधार पर टीडीएन-3 के लिए (टीडी-5 के जगह) न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की संस्तुति की जिसे भारत सरकार ने फसल वर्ष 2016-17 के लिए 3200 रु. प्रति क्विंटल स्वीकार कर लिया। यह न्यूनतम समर्थन मूल्य फसल वर्ष 2015-16 के न्यूनतम समर्थन मूल्य से 500/- रु. प्रति क्विंटल अधिक था। इस क्रम में पटसन आयुक्त का कार्यालय ने घोषित एमएसपी पर आधारित कच्चे जूट के विभिन्न किस्मों और श्रेणियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया।

निगम ने वित्तीय वर्ष 2016-17 में एमएसपी क्रिया-कलाप के अंतर्गत 55580 गांठ कच्चे जूट की खरीददारी की। 31 मार्च 2017 तक के वार्षिक लेखा के अनुसार वर्ष 2016-17 के एमएसपी क्रिया-कलाप की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त ब्यौरा निम्न प्रकार है:

| क्रय की मात्रा (180 कि. गांठ) | क्रय मूल्य (रु. लाख में) | परिचालन लागत (रु. लाख में) | विक्रय की मात्रा (गांठ) | विक्रय मूल्य (शुद्ध) (रु. लाख में) |
|---|---|---|---|---|
| 55,580 | 2,879.40 | 83.70 | 897 | 44.10 |
| अंतिम स्टॉक | | | 55,236 | 2,997.49 |
| कुल लाभ/(हानि) कर के उपरांत | | | | 560.93 |

### 2.2 वाणिज्यिक क्रिया-कलाप

वित्तीय वर्ष 2016-17 में निगम ने वाणिज्यिक क्रिया-कलाप के अंतर्गत 1,69,005 गांठ कच्चे जूट की खरीददारी की। 31 मार्च 2017 तक के वार्षिक लेखा के अनुसार वर्ष 2016-17 के वाणिज्यिक क्रिया-कलाप की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त ब्यौरा निम्न प्रकार है :

| क्रय की मात्रा (180 कि. गांठ) | क्रय मूल्य (रु. लाख में) | परिचालन लागत (रु. लाख में) | विक्रय की मात्रा (गांठ) | विक्रय मूल्य (शुद्ध) (रु. लाख में) |
|---|---|---|---|---|
| 1,69,005 | 10,399.35 | 498.06 | 70,012 | 5,053.67 |
| अंतिम स्टॉक | – | – | 1,02,197 | 6,471.72 |
| कुल लाभ/हानि कर के बाद | – | – | – | 324.32 |

## 3. वित्तीय समीक्षा

3.1 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निगम ने एमएसपी के अंतर्गत लगभग 55,580 गांठ कच्चे जूट एवं वाणिज्यिक क्रिया-कलाप के अंतर्गत 1,69,005 गांठ कच्चे जूट की खरीददारी की।

3.2 वर्ष 2016-17 के दौरान निगम का कुल कारोबार 63.30 करोड़ रु. का रहा। परिचालन परिणाम यह दर्शाता है कि कर एवं सभी स्थायी खर्च, भाड़ा, बीमा, ब्याज, मूल्यह्रास और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की छुट्टी भुनाने का लाभ के प्रावधान प्रभार के बाद शुद्ध लाभ 919.80 लाख रु. का हुआ है। प्रस्तावित लाभंश एवं उस पर वितरण कर जो 332.19 लाख रु. आता है, पर विचार करने के उपरांत एवं आरक्षित एवं अधिशेष में शेष लाभ को स्थानांतरित करने के बाद वर्ष के अंत में तुलन-पत्र के उक्त खाता में 10,860.74 लाख रु. दर्शाया गया है।

3.3 समीक्षा के अंतर्गत इस वर्ष के वित्तीय परिणाम को परिशिष्ट 'ए' में दिखाया गया है।

3.4 विगत वर्ष के लाभ राशि 1088.59 लाख रु. की तुलना में इस वर्ष कर के उपरांत 919.80 लाख रु. का लाभ हुआ है।

3.5 2016-17 में कंपनी का अर्जित प्रति शेयर (अंकित मूल्य 100 रु.) विगत वर्ष की राशि 218 रु. की तुलना में 184 रु. है।

3.6 निगम के पास प्रत्येक वर्ष 100 करोड़ रु. से अधिक का समुचित कारोबार करने के लिए आधारभूत ढांचा एवं आवश्यक कार्यकारी पूंजी सीमा है। तथापि एमएसपी के विरूद्ध लिंकेज आदेश पाने के लिए समय का अंतराल एवं वाणिज्यिक विक्रय निविदाओं के प्रत्युत्तर में जूट मिलों की दिलचस्पी की कमी से कुल कच्चे जूट का कारोबार 5097.77 लाख रु. का रहा (इसके अलावा जूट बीज एवं जूट विविधिकृत उत्पादों का कुल कारोबार क्रमश: 1214.17 लाख रु. एवं 18.23 लाख रु. का रहा)।

3.7 प्रस्तावित लाभांश विगत वर्ष की राशि शून्य की तुलना में 332.19 लाख रु. है जिसमें उसपर होनेवाला कर शामिल है।

## 4. न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) क्रिया-कलाप के लिए निगम के आधारभूत ढांचा के रख-रखाव हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना

एमएसपी क्रिया-कलाप हेतु मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति (सीसीईए) ने वास्तविक एमएसपी क्रिया-कलाप घटित होने का विचार किए बिना निगम को उसके आधारभूत ढांचे के रख-रखाव के लिए लगातार आर्थिक सहायता देने का अनुमोदन किया है। तदनुसार सीसीईए ने 28.01.2015 को अपनी बैठक में चार वर्षों अर्थात् वित्तीय वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17 और

2017–18 के लिए क्रमश: 55.00 करोड़ रु., 52.11 करोड़ रु., 49.38 करोड़ रु. और 46.78 करोड़ रु. का आर्थिक सहायता का अनुमोदन किया है। निगम ने वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए आर्थिक सहायता की राशि 49.30 करोड़ रु. प्राप्त किया।

## 5. समझौता ज्ञापन ( मऊ ) 2016–17

आपको सूचित करने में निदेशकों को बहुत खुशी हो रहा है कि निगम वर्ष 2015–16 हेतु ''बहुत अच्छा'' ग्रेड प्राप्त करने में कामयाब रहा। 2016–17 में परिदृश्य बहुत उत्साहजनक नहीं रहा एवं निगम ''अच्छा'' ग्रेड का आशा कर रहा है क्योंकि उक्त समझौता ज्ञापन के गैर–वित्तीय पैरामीटरों को प्राप्त करने में अच्छा कार्य किया है। तथापि वित्तीय पैरामीटरों के अंतर्गत निगम ने विक्रय के कुल कारोबार एवं सकल परिचालन मार्जीन के लक्ष्यों के अलावा संतोषजनक ढंग से कार्य निष्पादन किया है। यह निगम के कर्मचारियों का अथक मेहनत व प्रतिबद्धता और डायनामिक बोर्ड के निदेशकगण द्वारा नेतृत्व की वजह से संभव हुआ।

समझौता ज्ञापन (मऊ) 2016–17 के अंतर्गत निगम को अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित को पूरा करने की जिम्मेदारी है:

**( i ) दक्षता पैरामीटर ( प्रत्यक्ष क्रिया–कलाप )**

कुल भुगतान प्रतिशत के रूप में जूट कृषकों को ऑनलाइन भुगतान वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान निगम ने ऑनलाइन बैंक ट्रांफर प्रणाली के माध्यम से अपने कुल भुगतान का लगभग 25% किया है।

**( ii ) प्रौद्योगिकी उन्नयन**

वाणिज्यिक बिक्री के लिए ई–टेंडरिंग: वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान निगम ने वेब आधारित/इ–टेंडरिंग के माध्यम से वाणिज्यिक क्रिया–कलाप के अंतर्गत खरीदे गये कच्चे जूट की बिक्री का 98% किया है।

उपरोक्त के अलावा वर्ष 2016–17 के अन्य सभी समझौता ज्ञापन के लक्ष्यों का मूल्यांकन मानदंड वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु निगम के वार्षिक लेखा में दर्शाया गया है।

## 6. विविध वाणिज्यिक क्रिया–कलाप

सोनाली जो विविध उत्पादों के लिए निगम का बिक्री केन्द्र है, ने विभिन्न मंचों द्वारा समय–समय पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय मेगा व्यापार मेला, कोलकाता पुस्तक मेला और अन्य ऐसे मेलों में भाग लेता है। वर्तमान में विक्रय केन्द्र को उन्नत करने के लिए कुछ नवीकरण कार्य चल रहा है ताकि यह जेडीपीज के प्रदर्शन और विपरण के लिए और अधिक प्रभावी ढंग से इस्तेमाल हो सके। अतीत में सीपीएसईज और बैंकों सहित विभिन्न संगठनों के साथ गठजोड़ को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किये गये हैं एवं कुछ और ऐसे ही गठजोड़ शीघ्र ही भविष्य में होनेवाले हैं। सोनाली के व्यापारिक क्षेत्र को विस्तार करने की योजनाएं तैयार की जा रही हैं और नए उद्यमियों की सूची बनाने की प्रक्रिया एवं उनके अनूठे सृजनों को प्रदर्शन चल रहा है।

## 7. सामाजिक लागत–लाभ विश्लेषण

देश में लाखों जूट उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार भारत ने कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की अवधारण को चालू किया है। इस योजना के अंतर्गत घोषित एमएसपी पर कच्चे जूट की खरीददारी की जाती है जब चालू बाजार मूल्य उपरोक्त घोषित एमएसपी पर रहता है या उससे कम रहता है। सरकार ने निगम को यह एमएसपी क्रिया–कलाप करने की जिम्मेदारी सौंपी है। निगम देश में कच्चे जूट का

*कच्चे जूट की खरीद*

एमएसपी क्रिया-कलाप करने के लिए नोडल एजेंसी है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, निगम ने विभन्न परियोजनाओं को भी अपनाया है। निगम ने एक विक्रय केन्द्र, सोनाली का स्थापना किया है जिसके माध्यम से विशेषाधिकृत महिलाओं का जूट आधारित हस्तकला दिखाया व विक्रय किया जाता है। निगम ने प्रमाणित जूट बीज के वितरण में भी पहल किया है। इसके अलावा निगम ने आईकेयर (जूट: बेहतर खेती और उन्नत रेटिंग अभ्यास) परियोजना को भी अपनाया है जिसके द्वारा बेहतर गुणवत्ता और उपज के लिए कृषकों के पास प्रामाणित जूट बीज वितरित किए जाते हैं। इस परियोजना का उद्देश्य वैज्ञानिक कृषि विज्ञान प्रथा के उपयोग को संस्थागत बनाना है जो निम्नलिखित निविष्टियों प्रदान करते हुए जूट कृषकों को दिया जाएगा:

1. 100% प्रमाणित जूट बीज प्रदान करना (50% आर्थिक सहायता के साथ)।
2. बीज ड्रिल, नैल वीडर/साइकिल वीडर का उपयोग करते हुए यांत्रिक हस्तक्षेप के साथ कृषकों के खेतों में अपनाने के लिए वैज्ञानिक तरीके से जूट की खेती प्रथा का प्रदर्शन।
3. क्राइज़फ सोना, एक माइक्रोबियल कंसोर्टियम (नि:शुल्क) का उपयोग करते हुए माइक्रोबियल रेटिंग का प्रदर्शन/वितरण।

इस परियोजना के अंतर्गत चरणबद्ध ढ़ग से क्रिया-कलाप किये जा रहा हैं। 2015 में पहला चरण जबरदस्त सफल रहा। कृषक समुदाय के बीज इस योजना की लोकप्रियता और स्वीकृति को देखते हुए निगम ने स्थानीय सहकारी निकायों के सहयोग से वित्तीय वर्ष 2016-17 में क्षेत्र और संख्या के मामले में अपनी पहुंच को दोगुना से अधिक बढ़ा दिया है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आईकेयर योजना ने 24005 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया और 53060 कृषकों को पंजीकृत किया।

जैसाकि विगत वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया है कि निगम सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) के लिए एक कार्यान्वयन एजेंसी है, जो राष्ट्रीय जूट बोर्ड की एक पहल है जिसका स्थापना महिला स्व-सहायता समूहों को सतत आय का आजीविका/स्रोत प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया है जिसमें उन्हें जूट विविधिकृत उत्पादों (जेडीपी) का विनिर्माण करने के लिए प्रशिषण शामिल है।

जूट फसल का आकलन करने के लिए निगम ने इसरो के सहयोग से एंड्रॉइड आधारित मोबाइल एप्लिकेशन "भुवन जंप" विकसित किया है जो बहुत उपयोगी साबित हुआ है। फसल वर्ष 2017-18 के लिए जूट की खेती के क्षेत्रों का वैज्ञानिक मूल्यांकन करने के लिए प्रमुख जूट उगाही राज्यों में विभिन्न जूट उगाही क्षेत्रों से इसरो के सर्वर के पास अब तक लगभग 2100 फील्ड डैटा हस्तांतरित किया गया है।

## 8. प्रबंधन का विचार-विमर्श एवं विश्लेषण

### (ए) उद्योग ढाँचा और विकास

फसल वर्ष 2016-17 के प्रारंभ में कच्चे जूट का बाजार मूल्य एमएसपी से अधिक रहा और 2016-17 के समझौता ज्ञापन के अंतर्गत निर्धारित खरीददारी लक्ष्य हासिल करने के लिए निगम ने वाणिज्यिक क्रिया-कलाप किया और 3 लाख क्विं. जूट खरीदा। इसके साथ ही निगम ने खरीदे गये कच्चे जूट का निपटान करने का भी प्रयास किया और खुली निविदा के माध्यम से 1.25 लाख क्विं. (लगभग) कच्चे जूट को बेचने में सफल रहा। इसके बाद, निगम के नियंत्रण से परे विभिन्न कारकों के कारण बाजार ने इस तरह से व्यवहार किया कि वाणिज्यिक कार्यों को निरस्त किया जाना था। इस अजीब बाजार व्यवहार के कारण कुछ क्षेत्रों में कच्चे जूट के कीमत ने एमएसपी के स्तर को छू लिया। निगम, एमएसपी क्रियी-कलाप करने के लिए सरकार की नोडल एजेंसी होने के नाते, एमएसपी के प्रस्ताव पर कच्चे जूट की खरीद करने के लिए बाध्य था और 1 लाख क्विं. (लगभग) खरीदा जैसाकि पैरा 2.1 में विस्तार से दर्शाया गया है।

**( बी ) सुअवसर एवं खतरा/जोखिम एवं इससे संबंधित**

**सुअवसर**

* पर्यावरण और ग्लोबल वार्मिंग के लिए बढ़ती चिंता को देखते हुए जूट उत्पादें अन्य विकल्प से अधिक तहजीह पा रहे हैं। विविध जूट के सामानों की मांग उसकी कार्यात्मक मूल्य और बायोडिग्रैड्बल उत्पादों के उपयोग के लिए बढ़ती जागरुकता की वजह से बढ़ रही है।
* मनभावन कीमत पर जूट उत्पादों के निर्यात का सुअवसर हो सकता है जिससे कच्चे जूट की मांग बढ़ सकती है।

**जोखिम एवं संबंधित/खतरा**

* कम उत्पदान होने के कारण सरकार द्वारा निर्धारित एमएसपी से कच्चे जूट का कीमत सामान्यत: अधिक रहा, फलस्वरूप एमएसपी के अंतर्गत खरीददारी करना निगम के लिए दिक्कत हो रहा है।
* वाणिज्यिक क्रिया-कलाप के लिए चालू मूल्य पर कच्चे जूट की खरीददारी करना जोखिम भरा भी है।

**( सी ) दृष्टिकोण**

निगम ने कृषकों द्वारा एमएसपी पर प्रस्तावित होनेवाले सभी कच्चे जूट को खरीदने एवं भंडारण करने के लिए सभी कदम उठाए हैं। निगम आनेवाले वर्षों में अपने समग्र कार्य-निष्पादन को उन्नत करने के लिए सभी तरह के प्रयास लगातार करता रहेगा।

**( डी ) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एवं उसकी उपयुक्तता**

निगम ने दक्ष संसाधन, लागत नियंत्रण, सांविधिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन और वित्तीय रिपोर्ट की विश्वासनीयता को सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत और व्यापक विकास किया है। लेखापरीक्षा समिति निगम के आंतिरक लेखापरीक्षा रिपोर्ट, वित्तीय कार्य-निष्पादन का समीक्षा करती है और आंतिरक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करने का सुझाव देती है।

**( ई ) परिचालन निष्पादन के संबंध में वित्तीय निष्पादन पर चर्चा**

वर्ष के दौरान वित्तीय निष्पादन का महत्वपूर्ण क्षेत्र निम्न प्रकार हैं:

* विगत वर्ष के दौरान 0.91 लाख रु. की तुलना में इस वर्ष के दौरान एमएसपी के अंतर्गत कच्चे जूट का क्रय 2,879.40 लाख रु. का रहा।
* विगत वर्ष के दौरान 456.72 लाख रु. की तुलना में इस वर्ष के दौरान वाणिज्यिक क्रिया-कलाप के अंतर्गत कच्चे जूट का क्रय 10,399.35 लाख रु. का रहा।
* विगत वर्ष के दौरान 12.36 लाख रु. की तुलना में इस वर्ष के दौरान एमएसपी के अंतर्गत क्रय किये गये कच्चे जूट का विक्रय 44.10 लाख रु. का रहा।
* विगत वर्ष के दौरान 1477.26 लाख रु. की तुलना इस वर्ष के दौरान वाणिज्यिक क्रिया-कलाप के अंतर्गत क्रय किये गये कच्चे जूट का विक्रय 5053.67 लाख रु. का रहा।
* मुख्यत: कर्मचारी लाभ खर्च एवं प्रशासिनक बंधा खर्च जिसमें गोदाम भाड़ा, रख-रखाव खर्च व सांविधिक भुगतान शामिल है, के कारण समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निगम का परिचालन लाभ (कर के पहले) 539.85 लाख रु. कम हुआ (2015-16 में 1828.85 लाख रु.-2016-17 में 1289.00 लाख रु.)।

**( एफ ) मानवीय स्त्रोत एवं औद्योगिक संबंध**

निगम ने अपने कर्मचारियों की क्षमता को बढ़ाने और उनके वर्तमान कार्य में उन्हें अधिक संसाधन युक्त बनाने के साथ-साथ भविष्य में भूमिका हेतु उन्हें तैयार करने के लिए प्रशिक्षण और कार्यवर्तन के माध्यम से अपना प्रयास जारी रखा है। इस संबंध में निगम ने मुख्यत: जीएसटी कार्यान्वयन एवं आधुनिक कार्यालय प्रबंधन के क्षेत्रों में अपने 78 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध सद्भावपूर्ण रहा।

**( जी ) सतर्कता विवरण**

रिपोर्ट के इस भाग में दी गई विवरण ग्रहण और आगे की घटनाओं की अपेक्षाओं पर आधारित है। फिर भी वास्तविक परिणाम दर्शाये अथवा कार्यान्वित किये गये से भिन्न हो सकते हैं। महत्वपूर्ण कारक जो भिन्न बना सकता है जिसमें सरकार द्वारा निगम को वित्तीय सहयोग में परिवर्तन, सरकारी विनियम में परिवर्तन, उद्योग में औद्योगिक संबंध का माहौल एवं अन्य कारक जैसे मुकदमेबाजी शामिल है।

## 9. कार्पोरेट का सामाजिक दायित्व

निगम एक लाभकारी संगठन होने के नाते वह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अंतर्गत सीएसआर के क्रिया-कलापों को पूरा करने के लिए बाध्य है। इसके अतिरिक्त केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) के लिए भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय (लोक उद्यम विभाग) द्वारा परिचालित किए गए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के दिशा-निर्देशों के अनुसार निगम सीएसआर के क्रिया-कलापों में शामिल होने के लिए भी बाध्य है। कृपया उनके कार्यालय ज्ञापन सं.15(3)/2007-डीपीई(जीएम)-जीआई-99 दिनांक 9 अप्रैल, 2010 का अवलोकन करें।

*सीएसआर कार्यक्रम के अंतर्गत निदेशक (वित्त) द्वारा भारतीय थैलेसीमिया सोसाइटी को सौंपा जा रहा चेक*

निगम ने सीएसआर के क्रिया-कलापों के लिए अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, संयुक्त सचिव (जूट) एवं निदेशक (वित्त) को शामिल करते हुए एक समिति का गठन किया है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान निगम को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुपालन में गणना के अनुसार 33.90 लाख रूपये की राशि खर्च करना था। इस बजट में निगम ने निम्नलिखित क्रिया-कलाप किये:

| क्र.सं. | क्रिया-कलाप | बजट ( रु. लाख में ) |
|---|---|---|
| 1. | स्कूलों में सफाई अभियान (आउटरीच कार्यक्रमों के अंतर्गत) और प्रधान कार्यालय, कोलकाता के आसपास के इलाके में विशेषकर निचले मंजिल पर सार्वजनिक शौचालयों की सफाई/सौंदर्यीकरण/निर्माण। | 8.5 |
| 2. | बालिकाओं के स्कूलों में सीएसआर क्रिया-कलापें | 6 |
| 3. | प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओज) के माध्यम से इसी तरह के क्रिया-कलापों में साबित रिकॉर्ड के साथ स्वास्थ्य जांच शिविर। | 13 |
| 4. | भारतीय थैलेसीमिया सोसाइटी को अंशदान | 3.4 |
| 5. | यूपीआई योजना के बारे में जागरूकता पैदा करने और किसानों व जूट उद्योग से संबंधित अन्य हितधारकों का बैंक खाता खुलवाने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करने में खर्च। | 3 |
| | **कुलः** | **33.90** |

***नोट:*** उपरोक्त में दर्शाये गये अधिकांश क्रिया-कलाप पहले से ही पूरे हो चुके हैं जबकि अन्यान्य शीघ्र ही पूरे होने जा रहे हैं।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के सीएसआर के क्रिया-कलापों से संबंधित विवरण को **परिशिष्ट-सी** के रूप में दिया गया है।

## 10. कार्पोरेट गवर्नेंस

**(ए)** 1971 में निगम को कंपनी अधिनियम 1956 (अधिनियम) के अंतर्गत प्राइवेट लिमिटेड सरकारी कंपनी के रूप में समाविष्ट किया गया था जिसका मूल उद्देश्य था कि जब कच्चे जूट का बाजार मूल्य एमएसपी के बराबर या उसके नीचे रहेगा तब न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के अंतर्गत कच्चे जूट की खरीददारी कर जूट कृषकों को पारिश्रमिक मूल्य दिलाना। वस्त्र मंत्रालय (एमओटी) द्वारा दी गयी निधि का उपयोग एमएसपी क्रिया-कलाप का संचालन करने के लिए किया जाता है जिसमें यह ध्यान रखा जाता है कि इस निधि का सही ढंग से उपयोग हो। निगम यह लगातार ध्यान रखता है कि राजकोष के उपयोग में सुधार करते हुए अधिकतम पारदर्शिता एवं जवाबदेही रहे।

**(बी)** 31.3.2017 तक के निदेशक मण्डल - निगम के आर्टिकल्स ऑफ एसोसियेशन के अनुसार सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की गई है।

| क्र. सं. | नाम | पदनाम | बोर्ड की बैठकों की कुल सं. | निदेशक के कार्यकाल के दौरान बोर्ड की बैठक की सं. | बोर्ड की बैठकों में उपस्थित | क्या विगत एजीएम में उपस्थित रहे (30.09.2016) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | डा. के.वी.आर. मूर्ति (डीआईएन:07628725) (02.07.2016 से) | सीएमडी | 5 | 4 | 4 | हां |
| 2. | डा. सुब्रत गुप्ता (डीआईएन: 00139487) (01.01.2016 से 02,07.2016 तक) | सीएमडी | 5 | 1 | 1 | लागू नहीं (एजीएम के समय बोर्ड में नहीं) |
| 3. | श्रीमती बबनी लाल (डीआईएन: 06952358) (18.06.2014 से) | सरकारी निदेशक | 5 | 5 | 4 | लागू नहीं |
| 4. | श्री ए. एम. रेड्डी (डीआईएन: 06633791) (23.03.2015 से) | सरकारी निदेशक | 5 | 5 | 5 | लागू नहीं |
| 5. | सीए. पी. दाशगुप्ता (डीआईएन: 07059472) (03.11.2014 से) | निदेशक (वित्त) | 5 | 5 | 5 | हां |

बोर्ड की बैठक की तिथि: 28.06.2016, 29.08.2016, 28.09.2016, 21.12.2016 एवं 28.03.2017

**( सी ) लेखापरीक्षा समिति** – निगम की मूल आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एक अच्छे कार्पोरेट अनुभव का अनुसरण करने के लिए अधिनियम की धारा 292ए एवं इससे संबंधित प्रासंगिक/अनुषंगिक विनियम के अनुसार 2001 में निगम के लेखापरीक्षा समिति का गठन किया गया है। इस लेखापरीक्षा समिति में दो सदस्य हैं।

वर्तमान समिति में निम्नलिखित समाविष्ट है:

1. श्रीमती बबनी लाल, सरकारी निदेशक–अध्यक्षा
2. श्री ए. एम. रेड्डी, सरकारी निदेशक–सदस्य
3. डा. के. वी. आर. मूर्ति, सीएमडी–सदस्य

निदेशक (वित्त) लेखापरीक्षा समिति की बैठकों का स्थायी अतिथि हैं।

कंपनी सचिव इस समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

इस समिति से संबंधित शर्त्तों का संक्षिप्त ब्यौरा है :

(ए) कंपनी के वित्तीय विवरणी एवं अन्य रिपोर्टों का समय–समय पर समीक्षा करना।

(बी) मुख्यत: निम्नलिखित पर प्रकाश डालते हुए वार्षिक वित्तीय विवरणियों एवं रिपोर्टों को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने के पहले प्रबंधन एवं लेखापरीक्षकों के साथ समीक्षा करना।

(i) लेखाकरण नीतियों एवं पद्धतियों में कोई परिवर्तन करना।

(ii) लेखापरीक्षा द्वारा उठाने पर योग्यताओं एवं महत्वपूर्ण बिन्दुओं का समायोजन करना।

(iii) सक्रिय और लाभप्रद व्यवसाय ग्रहण करना।

(iv) लेखा मानकों का अनुपालन करना।

(v) प्रबंधन या उनके रिश्तेदारों से संबंधित तथ्य का आदान–प्रदान करना।

(vi) लेखापरीक्षा शुल्क नियत करने के लिए बोर्ड के पास संस्तुति करना।

(vii) सांविधिक लेखा परीक्षाकों को उनके द्वारा दी गई कोई अन्य सेवा के लिए भुगतान का अनुमोदन।

(viii) बोर्ड में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने के पहले प्रबंधन के साथ समीक्षा करना एवं यह सुनिश्चित करना कि कंपनी की वार्षिक वित्तीय विवरणियां और लेखापरीक्षा उपयुक्त कानून, विनियम एवं कम्पनी के नीतियों के अनुसार है।

(ix) आंतरिक लेखा परीक्षकों का कार्य निष्पादन एवं आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता का प्रबंधन के साथ समीक्षा करना।

(x) निगम के किसी भी कर्मचारी से सूचना लेने का प्रयास करना।

(xi) यदि आवश्यक हुआ तो बाहर से कानूनी या किसी दूसरे विषेषज्ञों की सहायता सुनिश्चित करना।

(xii) लेखा परीक्षकों की स्वतंत्रता को मजबूत करते हुए विरोधों को कम करना।

(xiii) आंतरिक नियंत्रण एवं जोखिम वाले प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए सुनिश्चित करना।

(xiv) आंतरिक लेखा परीक्षा प्रक्रिया अथवा बाहरी लेखा परीक्षकों को अनियमितताओं की जानकारी देने वाले कर्मचारियों एवं अन्यों को संरक्षण देना (पहरेदारों को संरक्षण देना)।

(xv) प्रबंधन के विचार–विमर्श एवं वित्तीय स्थिति व क्रिया–कलाप के परिणाम के विश्लेषण का समीक्षा करना।

(xvi) प्रबंधन एवं लेखापरीक्षकों के साथ आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता, आंतरिक लेखापरीक्षा की कार्य–प्रणाली, रिपोर्ट करने की संरचना एवं आंतरिक लेखापरीक्षा के अंतराल की समीक्षा करना।

(xvii) कंपनी के वित्तीय एवं अन्य प्रबंधन के नीतियों की समीक्षा करना।

ऐसे अन्य विषयों का निपटारा करना जिसे बोर्ड द्वारा लिखित रूप में इनके पास भेजा जाता है या संगठन के हित में इसे आवश्यक समझा जाता है।

| क्र. सं. | नाम | पदनाम | लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की कुल सं. | निदेशक के कार्यकाल के दौरान लेखापरीक्षा समिति की बैठक की सं. | लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में उपस्थित |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | श्रीमती बबनी लाल (18.06.2014 से) | सरकारी निदेशक | 5 | 5 | 4 |
| 2. | श्री ए. एम. रेड्डी (23.03.2015 से) | सरकारी निदेशक | 5 | 5 | 5 |
| 3. | डा. के.वी.आर. मूर्ति (02.07.2016 से) | सीएमडी | 5 | 4 | 4 |
| 4. | डा. सुब्रत गुप्ता | सीएमडी (02.07.2016 तक) | 5 | 1 | 1 |

लेखापरीक्षा समिति की बैठक की तिथि : 28.06.2016, 29.08.2016, 28.09.2016, 21.12.2016 एवं 28.03.2017

**डी ) साधारण निकाय की बैठकें :**

| क्र. सं. | | 2013-14 (43वीं एजीएम) | 2014-15 (44वीं एजीएम) | 2015-16 (45वीं एजीएम) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | तिथि | 10.10.2014 | 30.09.2015 | 29.09.2016 |
| 2. | समय | पूर्वाह्न 11.30 बजे | अपराह्न 4.00 बजे | अपराह्न 4.00 बजे |
| 3. | स्थान | जूट आयुक्त का कार्यालय, साल्टलेक, कोलकाता | इस निगम के पंजीकृत कार्यालय, कोलकाता | इस निगम के पंजीकृत कार्यालय कोलकाता |

**ई ) प्रकटन :**

(i) कंपनी अधिनियम, 2013, लेखाकरण मानक पद्धति एवं अन्य लागू अधिनियम/नियम के अंतर्गत प्रकटन अपेक्षित है।

(ii) विगत तीन वर्षों के दौरान निगम पर किसी भी तरह का दंड/अवक्षेप नहीं लगाया गया है।

(iii) कर्मचारीगण अपने पर्यवेक्षकों/मुख्य सतर्कता अधिकारी/अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के पास नियम/विनियम के उल्लंघन का रिपोर्ट करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(iv) मार्ग-दर्शन में विनिर्दिष्ट बिन्दुओं का यथासंभव अनुपालन किया गया है।

(v) केन्द्र सरकार द्वारा जारी अध्यक्षीय निर्देशों का अनुपालन किया गया है।

(vi) कोई भी ऐसे खर्च को लेखा खाता में नहीं दर्शाया गया है जो व्यवसाय से संबंधित नहीं हैं।

(vii) व्यक्तिगत खर्च का वहन नहीं किया गया है किन्तु बैठकों से संबंधित निदेशकों के लिए आवासीय प्रभार आदि के रूप में खर्च किया गया है।

**( एफ ) अन्य सूचना :**

**( i ) बोर्ड/लेखापरीक्षा समिति की बैठकें एवं कार्यवाही** -

प्रत्येक वर्ष बोर्ड/लेखापरीक्षा समिति की न्यूनतम बैठकें की जाती हैं। जैसाकि कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अपेक्षित है।

बोर्ड के समक्ष साधारणत: निम्नलिखित सूचनाएँ रखी गई :

(ए) कार्यवृत की पुष्टि।

(बी) अनुवर्ती कार्रवाई।

(सी) कच्चे जूट के विपणन से संबंधित रिपोर्ट।

(डी) जूट बीजों का वितरण।

(ई) जूट टेक्नोलॉजी मिशन (एम एम-III) की प्रगति से संबंधित रिपोर्ट।

(एफ) कानूनी मामलें।

(जी) सतर्कता से संबंधित रिपोर्ट।

(एच) सांविधिक अनुपालन से संबंधित रिपोर्ट।

(आई) वार्षिक लेखा,

(जे) लेखापरीक्षक।

(ii) **बोर्ड/लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के लिए कार्यसूची** - बोर्ड/लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की तिथियां निर्धारित होने पर अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक विभागीय प्रमुखों के साथ विचार-विमर्श करते हैं एवं निदेश देते हैं कि कार्यसूची से संबंधित कागजात कंपनी सचिव के पास निर्धारित समय सीमा के अंदर जमा कर दी जाय। कार्यसूची से संबंधित कागजात निदेशकों/सदस्यों के पास भेजी जाती है। ठीक वैसे ही बैठक के ड्राफ्ट कार्यवृत्त निदेशकों/सदस्यों के पास उनके विचारार्थ भेजी जाती है।

(iii) **विगत बैठक से संबंधित अनुवर्ती कार्रवाई की क्रियाविधि** - बोर्ड/समिति की आगामी बैठक में विगत बैठक के ड्राफ्ट कार्यवृत्त में दर्ज निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श की जाती है।

(iv) **बोर्ड/समिति की बैठकों में कार्यवृत्त की रिकार्डिंग** - कंपनी सचिव प्रत्येक बोर्ड/समिति की बैठक के कार्यवृत्त को रिकार्ड करता है। अध्यक्ष द्वारा कार्यवृत्त का अनुमोदन होने के बाद उसे सभी निदेशकों/सदस्यों के पास परिचालित किया जाता है। तत्पश्चात् बोर्ड/समिति की आगामी बैठक में इस कार्यवृत्त की पुष्टि की जाती है एवं तदनुसार उसे कार्यवृत्त बही में दर्ज की जाती है।

**( जी ) तिमाही रिपोर्ट**

निगम ने वस्त्र मंत्रालय के पास कार्पोरेट गोवर्नेंस के अंश के रूप में लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय द्वारा अनुबंधित निर्धारित फार्मेट में तिमाही रिपोर्ट फाइल करता है। एक समेकित रिपोर्ट भी डीपीई के पास भेजा जाता है।

**( एच ) बोर्ड के सदस्यगण एवं वरिष्ठ प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन हेतु व्यापार, आचरण एवं नीति संहिता का अंगीकरण - कार्पोरेट गोवर्नेंस के अंश के रूप में धोखेबाजी रोकथाम नीति एवं सीटी बजानेवाला नीति :**

निगम ने सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इन्टरप्राइजेस (सीपीएसईज) के कॉर्पोरेट गोवर्नेंस के मार्ग-दर्शन के आधार पर आचरण-संहिता, जोखिम प्रबंधन - धोखेबाजी रोकथाम नीति एवं सीटी बजानेवाला नीति विकसित किया है जिसे बोर्ड के निदेशकगण द्वारा अपनाया गया है। प्रत्येक नीति की एक प्रति वेब-साइट : www.jci.gov.in पर रखा गया है।

## 11. लाभांश

भारत सरकार के निदेशानुसार 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशकगण ने अपने शेयरहोल्डर अर्थात् भारत सरकार के प्रति शेयर 55.20 रु. के हिसाब से लाभांश का भुगतान की सिफारिश करने के लिए विचार किये हैं। लाभांश के रूप में कर सहित कुल 3.32 करोड़ रु. होगा। निगम के आगामी 46वीं एजीएम में लाभांश का भुगतान सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है।

## 12. 46 वर्षों में वित्तीय निष्पादन का परिदृश्य

46 वर्षों के दौरान प्रारंभ से 2016-17 तक निगम की वित्तीय निष्पादन का एक सूक्ष्म-वीक्षण परिशिष्ट-''बी'' में दिया गया है जो लाभ-हानि और आर्थिक सहायता के लेखा-जोखा से संबंधित है।

## 13. निदेशकगणों के दायित्वपूर्ण वक्तव्य

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के अनुसार निगम के निदेशकों ने पुष्टि की है कि :

1. वार्षिक लेखों की तैयारी करने में सामग्री को छोड़ने के सदर्भ में यदि कुछ होता है तो उचित व्याख्या के साथ लागू लेखा मानकों को अपनाया गया है जैसाकि अलग से लेखाकरण नीति के टिप्पणियों में दर्शाया गया है।
2. उन्होंने ऐसी ही लेखाकरण नीतियों को चुना है और उसे संगतिपूर्वक लागू किया है और उचित एवं विवेक से निर्णय एवं अनुमानित किया है जिससे 31 मार्च, 2017 तक निगम की कार्य प्रणाली एवं उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ-हानि के दृष्टिकोण से एक सच्ची एवं स्वच्छ तस्वीर दिखाई देता है।
3. कंपनी की परिसम्पत्तियों को सुरक्षित रखने एवं धोखा और अन्य अनियमिताओं को रोकने एवं पता लगाने के लिए उन्होंने कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकार्ड्स के रख-रखाव को उचित ढंग से रखा है।
4. उन्होंने सक्रिय और लाभप्रद व्यवसाय के आधार पर वार्षिक लेखों को तैयार किया है।
5. कंपनी सूचीबद्ध नहीं होने के कारण आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को रखने हेतु इस पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) का उप खंड(ई) लागू नहीं है।
6. उन्होंने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समुचित प्रणालियां तैयार किया है और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त हैं एवं प्रभावी ढंग से संचालित हो रही हैं।

## 14. लेखा पर लेखापरीक्षा के मंतव्य एवं वक्तव्य

इस वर्ष निगम के लेखा पर कंपनी अधिनियम 2013, संशोधित, के अंतर्गत सांविधिक लेखा परीक्षकों का मंतव्य प्रस्तुत किया जा रहा है।

## 15. मानवीय श्रोत प्रबंधन एवं औद्योगिक संबंध

निगम ने अपने कर्मचारियों के ज्ञान में इजाफा तथा नवीनतम विकास के साथ तालमेल रखने के लिए जीएसटी के कार्यान्वयन एवं आधुनिक कार्यालय प्रबंधन से संबिंधत प्रशिक्षण दिलाने की आवश्यक व्यवस्था की है। निगम के कुल 78 कर्मचारीगण ऐसे प्रशिक्षणों में गये।

निगम में औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण है। सामान्य/पेंसन संबंधी शिकायतों को ऑन लाइन दर्ज करने एवं उसके समाधान के लिए प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा एक पोर्टल (सपेनग्राम्स) चालू किया गया है।

*भापनि को विश्व एचआरडी कांग्रेस द्वारा ''सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता पुरस्कार'' से सम्मानित किया जा रहा है*

## 16. सूचना अधिकार अधिनियम, 2005

निगम प्रधान कार्यालय में एक केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालयों में लोक सूचना अधिकारी एवं अपील प्राधिकारी की नियुक्ति के साथ सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 को कार्यान्वित किया है। निगम ने वस्त्र मंत्रालय के निदेशानुसार एक पारदर्शिता अधिकारी की भी नियुक्त की है। सूचना निर्धारित समय के अंदर दी जाती है। वार्षिक विवरणी, मास्टर अद्यतनीकरण एवं आरटीआई मैन्युअल/प्रकटन उपलब्ध कराने की दृष्टि से केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा एक पोर्टल चालू किया गया है।

### 17. मानव शक्ति

31.03.2017 तक निगम में 363 नियमित एवं 211 आकस्मिक कर्मचारीगण थे।

### 18. अनुसूचित जाति/अनु.जनजाति/अ.पि.जा. की स्थिति

31.03.2017 तक निगम में अनु.जा. की सं. 56, अनु.ज.जा. की सं.23 और अ.पि.जा. की सं.28 था।

### 19. परिवार कल्याण

परिवार कल्याण के सम्बन्ध में निगम ने समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी निदेशों का अनुपालन करने के लिए सभी तरह का प्रयास किया है।

### 20. यौन उत्पीड़न पर सरकारी निदेशों का अनुपालन

समिति को आज तक कोई शिकायत नहीं मिली है।

### 21. विकलांग व्यक्तियों के कल्याण हेतु निगम द्वारा उठए गए कदमों का संक्षिप्त ब्यौरा

यद्यपि शारीरिक विकलांग व्यक्तियों के लिए कोई बजटीय नियतन नहीं है (ऐसी कोई विनिर्दिष्ट योजना निगम को नहीं सौंपी गई है) परन्तु उनके लिए वाहन भत्ता पर खर्च की इजाजत दी गई है जो सामान्य मामले में भुगतान की गई वाहन भत्ता की राशि से दोगुना है और इसके फलस्वरूप 31.03.2017 तक निगम के 12 (बारह) शारीरिक विकलांग कर्मचारीगण लाभान्वित हो रहे हैं।

### 22. राजभाषा का प्रचार-प्रसार

*श्री केशरी नाथ त्रिपाठी, महामहिम राज्यपाल, पश्चिम बंगाल से नराकास (उपक्रम) कोलकाता का राजभाषा पुरस्कार प्राप्त करते हुए अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एवं मुख्य(सतर्कता एवं प्रशा.)*

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा तैयार वार्षिक कार्यक्रमों के अनुसार निगम राजभाषा नीति का कार्यान्वयन करता आ रहा है। निगम के प्रधान कार्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के कर्मचारीगण हिन्दी का प्रशिक्षण ले रहे हैं। 14 सितम्बर, 2016 को हिन्दी दिवस मनाया गया और 1 सितम्बर, 2016 से 13 सितम्बर, 2016 के बीच हिन्दी पखवाड़ा का भी आयोजन किया जिसमें प्रधान कार्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में हिन्दी प्रतियोगिताओं तथा कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और निगम में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए भाग लेनेवाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। हिंदी दिवस को लक्ष्य कर निगम के प्रधान कार्यालय में हिंदी कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। राजभाषा के रूप में हिन्दी के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए नियमित रूप से तिमाही बैठकें हो रही हैं एवं बोर्ड को उनकी बैठक में इसकी प्रगति के बारे में लगातार सूचित किया जा रहा है।

### 23. विजिलेंस जागरूकता कार्यक्रम

31.10.2016 से 05.11.2016 तक विजिलेंस जागरूकता कार्यक्रम मनाया गया। उक्त सप्ताह के दौरान कर्मचारियों द्वारा क्रिया-कलापों के सभी क्षेत्र में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार का उन्मूलन कार्य करने का प्रतिज्ञा लिया गया। सर्तकता व इसकी जागरुकता के महत्व का प्रचार-प्रसार करते हुए निगम के प्रधान कार्यालय के दिवारों पर पोस्टर एवं बैनर चिपकाये गये। एक परस्पर संवादात्मक सत्र का आयोजन किया गया जिसमें श्री राकेश कुमार, मु.स.अ., हिंदुस्तान कॉपर लि. को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया जिन्होंने कर्मचारियों के साथ

विभिन्न प्रकार के सर्तकता के विषय जैसे अपनाये जानेवाले रोकथाम के उपाय, समुचित सर्तकता की प्रक्रिया को कार्यान्वित करने में आनेवाले संभावित बाधाओं पर परस्पर संवाद किया। उसपर काबू पाने के लिए निगम के सतर्कता विभाग को चुनौतियों का सामना करना पड़ा क्योंकि नियमित कर्मचारियों का सेवानिवृत होने के कारण जनशक्ति की कमी हुई।

## 24. बोर्ड के निदेशकगण

डा. सुब्रत गुप्ता ने 02.07.2016 को डीएमडी के रूप में अपने अतिरिक्त प्रभार को छोड़ दिया। डा. सुब्रत गुप्ता द्वारा निगम के सीएमडी के रूप में दी गई बहुमूल्य सेवाओं के लिए बोर्ड ने नोट किया।

डा. के.वी.आर. मूर्ति, आईआरटीएस ने इस निगम के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के रूप में 02.07.2016 को ज्वाइन किया। बोर्ड के निदेशकगण ने डा. मूर्ति को इस नियम के डीएमडी के रूप में बोर्ड में ज्वाइन करने के लिए स्वागत किया।

तथापि लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए निगम ने स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए आवश्यक कदम उठाये हैं।

## 25. वार्षिक विवरण का सार

फार्म सं. एमजीटी-9
वार्षिक विवरण का सार
31.03.2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष तक
[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसार]

### I. पंजीकरण और अन्य ब्यौरा

| | | |
|---|---|---|
| (i) | सीआईएन | यू17232डब्ल्यूबी1971जीओआई027958 |
| (ii) | पंजीकरण तिथि | 02.04.1971 |
| (iii) | कंपनी का नाम | भारतीय पटसन निगम लिमिटेड |
| (iv) | कंपनी की श्रेणी/उपश्रेणी | शेयर/संघ सरकार कंपनी द्वारा कंपनी लिमिटेड |
| (v) | पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क ब्यौरा | 15एन,नेली सेनगुप्ता सरणी, 7वां तल, कोलकाता-700087<br>दूरभाष: 033 2252 7027/7028<br>फैक्स: 91 33 2252 1771/7390 |
| (vi) | क्या कंपनी सूचीबद्ध है हां/नहीं | नहीं |
| (vii) | रेजिस्ट्रर और हस्तांतरण एजेंट का नाम, पता और संपर्क ब्यौरा, यदि कुछ हो | लागू नहीं |

### II. कंपनी का प्रधान व्यापार का क्रिया-कलाप

सभी व्यापार के क्रिया-कलाप जिसमें कंपनी के कुल कारोबार का 10% अथवा उससे अधिक का अंशदान कर रहा है, को दर्शाया जाय:

| क्र. सं. | मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम और विवरण | उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड | कंपनी के कुल कारोबार का % |
|---|---|---|---|
| (i) | जूट बीज, जूट और इससे संबंधित उत्पादों का व्यापार और वितरण | | 100% |

## III. होल्डिंग, सहायक और सह कंपनियों का ब्यौरा

| क्र. सं. | कंपनी का नाम और पता | सीआईएन/ जीएलएन | होल्डिंग/सहायक/ सह | रखे गये शेयरों की % | लागू धारा |
|---|---|---|---|---|---|
| | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नही |

## IV. शेयर होल्डिंग पेटर्न ( कुल इक्विटी की प्रतिशतता के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी का ब्यौरा )

### ( i ) श्रेणीवार शेयर होल्डिंग

| शेयरधारकों की श्रेणी | वर्ष के प्रारंभ में रखे गये शेयरों की सं. | | | | वर्ष के अंत में रखे गये शेयरों की सं. | | | | वर्ष के दौरान % परिवर्तन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | डिमैट | प्रत्यक्ष | कुल | कुल शेयरों का % | डिमैट | प्रत्यक्ष | कुल | कुल शेयरों का % | |
| **ए. प्रोमोटर्स** | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| (1) भारतीय | | | | | | | | | |
| ए) व्यक्तिगत/एचयूएफ | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| बी) केन्द्र सरकार | शून्य | 500000 | 500000 | 100 | शून्य | 500000 | 500000 | 100 | शून्य |
| सी) राज्य सरकार (रों) | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| डी) निकायों कार्पोरेट | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| ई) बैंकों/एफआई | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| एफ) कोई अन्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| **उप कुल ( ए )( 1 )** | शून्य | 500000 | 500000 | 100 | शून्य | 500000 | 500000 | 100 | शून्य |
| (2) विदेशी | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| ए) एनआरआईज-व्यक्तिगत | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| बी) अन्य - व्यक्तिगत | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| सी) निकायों कार्पोरेट | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| डी) बैंकों/एफआई | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| ई) कोई अन्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| **उप कुल ( ए )( 2 )** | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| प्रोमोटर का कुल शेयर होल्डिंग (ए) =(ए)(1)+(ए)(2) | शून्य | 500000 | 500000 | 100 | शून्य | 500000 | 500000 | 100 | शून्य |
| **बी. सार्वजनिक शेयर होल्डिंग** | | | | | | | | | |
| 1. संस्थानों | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| ए) म्यूचुअल फंड्स | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| बी बैंकों/एफआई | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| सी) केन्द्र सरकार | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| डी) राज्य सरकार (रों) | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| ई) वेंचर पूंजी निधि | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| एफ) बीमा कंपनियों | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| जी) एफआईआईज | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| एच) विदेशी वेंचर पूंजी निधि | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| आई) अन्यान्य (उल्लेख करें) | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| **उप कुल ( बी )( 1 )** | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |

| शेयरधारकों की श्रेणी | वर्ष के प्रारंभ में रखे गये शेयरों की सं. | | | | वर्ष के अंत में रखे गये शेयरों की सं. | | | | वर्ष के दौरान % परिवर्तन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | डिमैट | प्रत्यक्ष | कुल | कुल शेयरों का % | डिमैट | प्रत्यक्ष | कुल | कुल शेयरों का % | |
| 2. गैर संस्थानों | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| ए) निकायों कार्पोरेट | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| i) भारतीय | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| ii) विदेशी | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| बी) व्यक्तिगत | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| i) व्यक्तिगत शेयरधारकगण जिनका नाममात्र शेयर पूंजी 1 लाख रु. तक है | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| ii) व्यक्तिगत शेयरधारकगण जिनका नाममात्र शेयर पूंजी 1 लाख रु. से अधिक है | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| सी) अन्यान्य (उल्लेख करें) | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| **उप कुल ( बी )( 2 )** | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| **कुल सार्वजनिक शेयर होल्टिंग ( बी )= ( बी )( 1 )+( बी )( 2 )** | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| सी. संरक्षक द्वारा जीडीआर्स व एडीआर्स हेतु रखे गये शेयर | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| **कुल योग ( ए+बी+सी )** | शून्य | 500000 | 500000 | 100 | शून्य | 500000 | 500000 | 100 | शून्य |

**(ii) प्रोमोटरों का शेयर होल्डिंग**

| **क्र.सं.** | **शेयरधारक का नाम** | **वर्ष के प्रारंभ में रखे गये शेयर** | | | **वर्ष के अंत में रखे गये शेयर** | | | **वर्ष के दौरान रखे गये शेयर में % परिवर्तन** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | शेयरों की सं. | कंपनी के कुल शेयरों का % | कुल शेयरों के गिरवी/ ऋणग्रस्त शेयरों का % | शेयरों की सं. | कंपनी के कुल शेयरों का % | कुल शेयरों के गिरवी/ ऋणग्रस्त शेयरों का % | |
| 1. | भारत के राष्ट्रपति | 500000 | 100 | शून्य | 500000 | 100 | शून्य | शून्य |
| | कुल | 500000 | 100 | शून्य | 500000 | 100 | शून्य | शून्य |

**(iii) प्रोमोटरों के शेयर होल्टिंग में परिवर्तन ( यदि कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो कृपया उल्लेख करें )**

| क्र.. सं. | | वर्ष के प्रारंभ में रखे गये शेयर | | वर्ष के दौरान रखे गये संचित शेयर | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | शेयरों की सं. | कंपनी के कुल शेयरों का % | शेयरों की सं. | कंपनी के कुल शेयरों का % |
| | वर्ष के प्रारंभ में | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| | बढ़ोतरी/कमी (जैसे आवंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि) के कारणों का उल्लेख करते हुए वर्ष के दौरान प्रोमोटरों के शेयर होल्टिंग में तिथिवार बढ़ोतरी/कमी | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| | वर्ष के अंत में | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |

**(iv) शीर्ष के दस शेयरधारकों के शेयर होल्टिंग पेटर्न ( निदेशकों, प्रोमोटरों और जीडीआर्स व एडीआर्स के धारकों के अलावा )**

| क्र. सं. | भारत के राष्ट्रपति | वर्ष के प्रारंभ में रखे गये शेयर | | वर्ष के दौरान रखे गये संचित शेयर | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | शेयरों की सं. | कंपनी के कुल शोयरों का % | शेयरों की सं. | कंपनी के कुल शेयरों का % |
| | वर्ष के प्रारंभ में | 500000 | 100 | 500000 | 100 |
| | बढ़ोतरी/कमी (जैसे आवंटन/हस्तांतरण/ बोनस/स्वीट इक्विटी आदि) के कारणों का उल्लेख करते हुए वर्ष के दौरान शेयर होल्टिंग में तिथिवार बढ़ोतरी/कमी | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| | वर्ष के अंत में (अथवा अलग होने की तिथि पर यदि वर्ष के दौरान अलग हुआ हो) | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |

**(v) निदेशकगण और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के शेयर होल्डिंग**

| क्र. सं. | प्रत्येक निदेशक और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के लिए | वर्ष के प्रारंभ में रखे गये शेयर | | वर्ष के दौरान रखे गये संचित शेयर | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | शेयरों की सं. | कंपनी के कुल शेयरों का % | शेयरों की सं. | कंपनी के कुल शेयरों का % |
| | वर्ष के प्रारंभ में | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | बढ़ोतरी/कमी (जैसे आवंटन/हस्तांतरण/ बोनस/स्वीट इक्विटी आदि) के कारणों का उल्लेख करते हुए वर्ष के दौरान शेयर होल्टिंग में तिथिवार बढ़ोतरी/कमी | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | वर्ष के अंत में (अथवा अलग होने की तिथि पर यदि वर्ष के दौरान अलग हुआ हो) | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |

## V. कर्जदारी

**ब्याज का बकाया/अर्जित सहित कंपनी की कर्जदारी परंतु भुगतान हेतु बकाया नहीं**

| | जमा राशि को छोड़कर सुरक्षित ऋण | असुरक्षित ऋण | जमा राशि | कुल कर्जदारी |
|---|---|---|---|---|
| वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में कर्जदारी<br>(i) मूल राशि<br>(ii) बकाया ब्याज परंतु भुगतान नहीं किया गया<br>(iii) अर्जित ब्याज परंतु बकाया नहीं | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| कुल (i)+(ii)+(iii) | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| वित्तीय वर्ष के दौरान कर्जदारी में परिवर्तन<br>* बढ़ोतरी<br>* कटौती | <br>46.48 लाख रु.<br>शून्य | <br>शून्य<br>शून्य | <br>शून्य<br>शून्य | <br>46.48 लाख रु.<br>शून्य |
| शुद्ध परिवर्तन | 46.48 लाख रु. | शून्य | शून्य | 46.48 लाख रु. |
| वित्तीय वर्ष के अंत में कर्जदारी<br>(i) मूल राशि<br>(ii) बकाया ब्याज परंतु भुगतान नहीं किया गया<br>(iii) अर्जित ब्याज परंतु बकाया नहीं | <br>46.48 लाख रु.<br>शून्य<br>शून्य | <br>शून्य<br>शून्य<br>शून्य | <br>शून्य<br>शून्य<br>शून्य | <br>46.48 लाख रु.<br>शून्य<br>शून्य |
| कुल (i)+(ii)+(iii) | 46.48 लाख रु. | शून्य | शून्य | 46.48 लाख रु. |

## VI. निदेशकगण और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के पारिश्रमिक

निगम सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इन्टरप्राइज (सरकारी कंपनी) होने के नाते निदेशकगण दोनों कार्यकारी एवं गैर-कार्यकारी की नियुक्ति एवं कार्य निष्पादन का मूल्यांकन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। कार्यकारी निदेशकों के पारिश्रमिक का भुगतान भारत सरकार द्वारा उनकी नियुक्ति की शर्तों के अनुसार किया जाता है।

## VII. अपराधों का दंड/सजा/समझौता

| प्रकार | कंपनी अधिनियम की धारा | संक्षिप्त ब्यौरा | लगाये गये दंड/सजा/समझौता फीस का ब्यौरा | प्राधिकारी (आरडी/एनसीएलटी/कोर्ट) | अपील की गई, यदि कुछ हो (ब्यौरा दें) |
|---|---|---|---|---|---|
| **ए. कंपनी** | | | | | |
| दंड | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| सजा | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| समझौता | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| **बी. निदेशकों** | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| दंड | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| सजा | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| समझौता | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| **सी. चूक में अन्य अधिकारियों** | | | | | |
| दंड | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| सजा | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| समझौता | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |

## 26. उर्जा, प्रौद्योगिकी समावेशन का संरक्षण और विदेशी मुद्रा का उपार्जन व व्यय

ऊर्जा की अनुवर्ती कार्रवाई के रुप में उच्च ऊर्जा खपत करनेवाले लाइटों को कम ऊर्जा खपत करनेवाले लाइटों से बदला गया।

विभिन्न जूट उगाही राज्यों में फील्ड प्रदर्शन के साथ-साथ समायोज्य स्प्रिंग लोडिंग रोलर के साथ सज्जा मशीन का संशोधन।

## 27. विदेश दौरा

सीएमडी की अध्यक्षता में निगम के तीन सदस्यीय दल ने फरवरी, 2017 में दुबई में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो "इंटेक्सपो 2017" में भाग लिया। उपरोक्त व्यापार मेले में भाग लेने का मुख्य उद्देश्य एनजेबी द्वारा दी गई वित्त सहायता से निगम द्वारा संचालित की जा रही सामान्य सुविधा केंद्रों पर उत्पादित जूट विविधिकृत उत्पादों के लिए विपणन के नए अवसरों का पता लगाना और संभावित ग्राहकों का पहचान करना था। भापनि द्वारा बनाए गए स्टॉल में उत्पन्न प्रत्युत्तर बहुत उत्साहजनक था और जूट विविधिकृत उत्पादों जैसे फैशन बैग, बहुमुखी उपयोगिता और ढुलाई बैग, लट वाली जूट की वस्तुओं जैसे फर्श कालीन, टेबल मैट, कॉस्टर, टेबल धावक, जूट आधारित स्टेशनरी वस्तुओं जैसे फाइल्स-फोल्डर्स, जूट आधारित शॉपीस और गिफ्ट आइटम्स की व्यापक सराहना की गई। "इंटेक्सपो 2017" में भागीदारी ने निगम को आवश्यक अंतर्राष्ट्रीय निवेश दिया है और यदि प्राप्त प्रत्युत्तर कुछ भी नहीं होता है तो हम निकट भविष्य में मध्य पूर्व के आसपास के क्षेत्रों से व्यवसायिक पूछताछ की उम्मीद कर सकते हैं।

## 28. टेक्सटाइल्स इंडिया 2017 में भागीदारी

*गांधीनगर, गुजरात में टेक्सटाइल इंडिया, 2017 में निगम के स्टाम्प का अनावरण के दौरान श्री अनंत कुमार सिंह, सचिव, वस्त्र मंत्रालय एवं सीएमडी*

वस्त्र मंत्रालय ने 30 जून से 2 जुलाई 2017 तक अहमदाबाद में "टेक्सटाइल्स इंडिया 2017" के नाम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन किया। यह वस्त्रों पर फोकस देने के साथ एक बड़ा मेला था और कुछ बहुत ही प्रमुख देशों ने इसमें हिस्सा लिया था। निगम ने "टेक्सटाइल्स इंडिया 2017" में पूर्ण उत्साह के साथ अपनी उपस्थिति बना ली और अपने विभिन्न क्रिया-कलापों एवं इसके द्वारा बनाए गए सीएफसीज से प्राप्त जेडीपीज को प्रदर्शित करने के लिए एक सुंदर मंडप(पैविलियन) लगाया। असली जूट के पौधे और कच्चे जूट के नमूने को मंडप में प्रदर्शित किए गए थे ताकि आगंतुकों को पूरी तरह जूट और इसके महत्व व उपयोगिता की अवधारण दी जा सके। निगम के मंडप ने कई प्रशंसाएं पाई और हरएक ने सराहना की। यह सबसे लोकप्रिय पैविलियनों में से एक था और भारी संख्या में ग्राहकों को आकर्षित किया था। टेक्सटाइल्स इंडिया 2017 में भागीदारी ने कई नए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के बीच निगम को उनके क्रिया-कलापों एवं उत्पादों का प्रचार करने के लिए एक ठोस मंच प्रदान किया। निगम टेक्सटाइल्स इंडिया के आगामी संस्करण में और अधिक सक्रिय भागीदारी करने का निश्चय करता है।

## 29. वस्त्र मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की 23वीं बैठक

निगम को कोलकाता में 27 दिसंबर, 2016 को आयोजित वस्त्र मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की 23वीं बैठक की मेजबानी करने के लिए नोडल संगठन होने का विशेषाधिकार था। पूरे कार्यक्रमों का व्यवस्था करने की मुख्य जिम्मेदारी निगम को सौंपी गई थी। यह बैठक कोलकाता में प्रतिष्ठित जे. डब्ल्यू. मैरियॉट होटल में आयोजित की गई और इसकी अध्यक्षता माननीय वस्त्र राज्य मंत्री श्री ए टम्टा द्वारा की गई। कई गणमान्य व्यक्तियों ने इस अवसर को अपनी दयालुतापूर्ण उपस्थिति के साथ ज्योतिमय किया। सलाहकार समिति की बैठक की सफलतापूर्वक मेजबानी के लिए निगम की अत्यधिक प्रशंसा हुई।

*कोलकाता में वस्त्र मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की 23वीं बैठक के दौरान श्री ए. टम्टा, माननीय वस्त्र मंत्री के साथ भापनि के सीएमडी एवं अन्य अधिकारीगण*

## 30. सांविधिक लेखापरीक्षक

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 यथा संशोधित के अंतर्गत कम्पट्रोलर एवं ऑडिटर जेनरल ऑफ इण्डिया द्वारा वर्ष 2017-18 के लिए मेसर्स एम.सी. जैन, सनदी लेखापाल, कोलकाता को निगम का सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया है।

## 31. आभार प्रदर्शन

आपके निदेशकगण भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों विशेषकर वस्त्र मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, पटसन आयुक्त का कार्यालय एवं नेशनल जूट बोर्ड को निगम के कार्यों में समय-समय पर उनके सहयोग एवं पथ-प्रदर्शन प्रदान करने के लिए आभार प्रकट करता है। वे कृषि लागत और मूल्य आयोग, राज्य सरकारों, कृषि और सहकारिता विभागों, राज्य के शीर्ष सहकारिता संगठनों, पटसन विकास निदेशालय से प्राप्त सहयोग के लिए भी अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। निदेशकगण भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक, केनरा बैंक, विजया बैंक तथा अन्य बैंकों को उनके सहयोग और आवश्यक समर्थन देने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। निदेशकगण मेसर्स घोसाल एवं घोसाल, आंतरिक लेखापरीक्षक, मेसर्स एम.सी.जैन एवं कं., सनदी लेखापाल, सांविधिक लेखापरीक्षक, वाणिज्य

लेखापरीक्षा के मुख्य निदेशक एवं कम्पनी पंजीयक कार्यालय एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय को उनके सहयोग एवं पथ-प्रदर्शन के लिए भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।

अन्त में, निदेशकगण निगम के स्टाफ, अधिकारियों एवं हितधारकों द्वारा दिये गये सहयोग हेतु अपना आभार प्रकट करते हैं।

कृते एवं बोर्ड के निदेशकगण की ओर से

**डा. के. वी. आर. मूर्ति**
अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 26.09.2017

*प्रधान कार्यालय, कोलकाता में 'स्वच्छता ही सेवा' मनाया जा रहा है*

*निगम के प्रधान कार्यालय में 21.06.2017 को विश्व योगा दिवस मनाया जा रहा है*

*गांधीनगर, गुजरात में टेक्सटाइल इंडिया, 2017 में भापनि का पैविलियन*

**परिशिष्ट-''ए''**

## वित्तीय परिणाम 2016-17

(रुपये लाख में)

| | अन्तर्देशीय कच्चा जूट | | | विविध | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| | मूल्य समर्थन | वाणिज्यिक | जूट बीज | जूट उत्पाद | |
| **आय** | | | | | |
| विक्रय | 44.10 | 5,053.67 | 1,214.17 | 18.23 | 6,330.17 |
| ब्याज | 726.52 | 0 | 0 | 1.18 | 727.70 |
| सरकार से आर्थिक सहायता (एमएसपी) | 4,938.00 | 0 | 0 | 0 | 4,938.00 |
| अन्य जमा | 282.83 | 0 | 0 | 0 | 282.83 |
| अन्तर्देशीय कच्चे जूट से स्थानांतरण | 5.10 | 0 | 0 | 0 | 5.10 |
| अन्तिम स्टॉक | 2,997.49 | 6,471.72 | 0 | 5.11 | 9,474.32 |
| पूर्व अवधि का समायोजन | 58.10 | 0 | 0 | 0 | 58.10 |
| **कुल :** | **9,052.14** | **11,525.39** | **1,214.17** | **24.52** | **21,816.22** |
| **व्यय** | | | | | |
| प्रारंभिक स्टॉक | 18.18 | 161.71 | 0 | 0 | 179.89 |
| क्रय | 2,879.40 | 10,399.35 | 1160.28 | 21.85 | 14,460.88 |
| व्यापारिक खर्चे | 83.70 | 498.06 | 2.12 | 0 | 583.88 |
| गोदाम भाड़ा एवं बीमा | 118.95 | 7.02 | 0 | 0.01 | 125.98 |
| अन्तर्देशीय कच्चे जूट से स्थानांतरण | 0 | 5.10 | 0 | 0 | 5.10 |
| स्थायी खर्च | 5157.87 | 0 | 0 | 5.07 | 5162.94 |
| पूर्व अवधि का समायेजन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **कुल :** | **8,258.10** | **1,1071.24** | **1,162.40** | **26.93** | **20,518.67** |
| अधिक्य(+)/कमी(-) | **794.04** | **454.15** | **51.77** | **–2.41** | **1,297.55** |
| ब्याज और मूल्यह्रास के पहले एक वर्ष का परिचालन | | | | | |
| ब्याज | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.48 |
| मूल्यह्रास और परिशोधन | 8.06 | 0 | 0 | 0 | 8.06 |
| आयकर के लिए प्रावधान | 224.57 | 129.84 | 14.80 | 0 | 369.21 |
| वर्ष के लिए लाभ(+)/हानि(-) | 560.93 | 324.31 | 36.97 | –2.41 | 919.80 |
| प्रस्तावित लाभांश | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.00 |
| प्रस्तावित लाभांश पर लाभांश वितरण कर | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.19 |
| वर्ष के लिए शुद्ध अधिशेष | 0 | 0 | 0 | 0 | 587.61 |
| 31.3.2016 तक आरक्षित एवं अधिशेष | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,273.13 |
| 31.3.2017 तक आरक्षित एवं अधिशेष | **0** | **0** | **0** | **0** | **10,860.74** |

**परिशिष्ट-''बी''**

## 46 वर्षों ( 1971-72 से 2016-2017 ) की लाभ-हानि का सूक्ष्म-वीक्षण

(रुपये करोड़ में)

| | | 2016-2017 तक संचयी | कुल व्यय 4653.79 रुपये के विभिन्न मदों की प्रतिशतता |
|---|---|---|---|
| 1. | **आय** | | |
| | विक्रय | 3162.79 | |
| | सरकार से आर्थिक सहायता (एमएसपी) | 578.32 | |
| | सरकार से आर्थिक सहायता (बीज) | 14.93 | |
| | पश्चिम बंगाल से विशेष आर्थिक सहायता (एमएसपी) | 1.55 | |
| | अन्य आय | 243.79 | |
| | अन्तिम स्टॉक | 94.74 | |
| | | **4096.12** | **88** |
| 2. | **व्यय** (स्थायी खर्च एवं ब्याज को छोड़कर) | | |
| | क्रय | 2606.10 | |
| | व्यापारिक एवं परिचालन व्यय | 298.65 | |
| | भंडारण | 92.70 | |
| | बीमा | 32.11 | |
| | पूर्व अवधि तथा अन्य का समायोजन | 16.08 | |
| | | **3,045.64** | 65 |
| 3. | स्थायी खर्च एवं ब्याज के पहले का अधिशेष (1-2) | 1050.48 | |
| 4. | बाद : स्थायी खर्च | 1025.23 | **22** |
| 5. | ब्याज के पहले का अधिशेष/(कमी) (3-4) | 25.25 | |
| 6. | योग : उधार पर ब्याज | (582.92) | **13** |
| | | (557.67) | |
| 7. | आयकर (1973-74, 1976-77, 2004-05, 2008-09, 2009-10, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17) | 52.29 | |
| | फ्रिंज लाभ कर (2005-06 से 2008-09) | 0.37 | |
| | वितरण कर सहित सरकार को लाभांश (1971-72, 1973-74 व 2016-17) | 3.39 | |
| | हानि : | (613.72) | |
| 8. | खाते में आर्थिक सहायता जमा (2002-03 तक) | 555.20 | |
| 9. | वित्तीय पुन:संरचना के फलस्वरूप बट्टे खाते में 2002-03 तक का संचित हानि | 144.17 | |
| 10. | वित्तीय पुनर्गठन के फलस्वरूप पूँजीगत लाभ | 22.96 | |
| 11. | तुलन-पत्र में लाये गये वित्तीय वर्ष 2016-17 तक का लाभ (जमा अंक) (8+9+10-7) | 108. 61 | |

**परिशिष्ट ''सी''**

## सीएसआर के क्रिया-कलाप से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट

| | |
|---|---|
| 1. कंपनी के सीएसआर की नीति के संक्षिप्त रुपरेखा जिसमें अपनाये जानेवाली प्रस्तावित परियोजनाओं या कार्यक्रमों के परिदृश्य और सीएसआर की नीति व परियोजनाओं या कार्यक्रमों के वेब-लिंक के संदर्भ शामिल हैं। | भापनि एक लाभकारी संगठन होने के नाते वह कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अंतर्गत सीएसआर के क्रिया-कलापों को पूरा करने के लिए बाध्य है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) के लिए भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय (लोक उद्यम विभाग) द्वारा परिचालित किए गए कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के दिशा-निर्देशों के अनुसार निगम सीएसआर के क्रिया-कलापों में शामिल होने के लिए भी बाध्य है। कृपया उनके कार्यालय ज्ञापन सं.15(3)/2007-डीपीई(जीएम)-जीआई-99 दिनांक 9 अप्रैल, 2010 का अवलेकन करें।<br>वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान बनाये गये योजनाओं एवं वजट का कार्यक्रम<br>1. स्कूलों में सफाई अभियान (आउटरीच कार्यक्रमों के अंतर्गत) और प्रधान कार्यालय, कोलकाता के आसपास के इलाके में विशेषकर निचले मंजिल पर सार्वजनिक शौचालयों की सफाई/सौंदर्यीकरण/निर्माण।<br>2. बालिकाओं के स्कूलों में सीएसआर क्रिया-कलापें।<br>3. प्रतिष्ठत गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओज) के माध्यम से इसी तरह के क्रिया-कलापों में साबित रिकॉर्ड के साथ स्वास्थ्य जांच शिविर।<br>4. भारतीय थलासेमिया सोसाइटी को अंशदान।<br>5. यूपीआई योजना के बारे में जागरूकता पैदा करने और किसानों व जूट उद्योग से संबंधित अन्य हितधारकों का बैंक खाता खुलवाने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करने में खर्च। |
| 2. सीएसआर की समिति का गठन | 1. अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, भापनि<br>2. संयुक्त सचिव (जूट), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार<br>3. निदेशक (वित्त), भापनि |
| 3. विगत तीन वित्तीय वर्षों के कंपनी का औसतन शुद्ध लाभ (कर के पहले) (2013-14, 2014-15, एवं 2015-16) | 16,95,05,278 रुपये |
| 4. निर्धारित सीएसआर पर खर्च (उपरोक्त 3 में दी गई राशि का दो प्रतिशत) | 33,90,105 रुपये |
| 5. वित्तीय वर्ष के दौरान सीएसआर पर खर्च की गई राशि का ब्यौरा<br>1. वित्तीय वर्ष हेतु खर्च की जानेवाली कुल राशि<br>2. अव्ययित राशि, यदि कुछ हो<br>3. वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि का ढंग | 1. 33,90,105 रुपये<br>2. 2017-18 के सीएसआर बजट के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2017-18 में 16.89 लाख रु. खर्च की जाएगी।<br>3. खर्च की गई राशि के ढंग को नीचे में दर्शाया गया है : |

**टेबल 2016-17 में खर्च की गई सीएसआर की राशि का ब्यौरा**

| क्रम | सीएसआर की परियोजना | सेक्टर | परियोजना राज्य/जिला | राशि ( रु. में ) |
|---|---|---|---|---|
| i. | स्कूलों में सफाई अभियान (आउटरीच कार्यक्रमों के अंतर्गत) और प्रधान कार्यालय, कोलकाता के आसपास के इलाके में विशेषकर निचले मंजिल पर सार्वजनिक शौचालयों की सफाई/सौंदर्यीकरण/निर्माण। | स्वच्छ भारत/ स्वच्छता | पश्चिम बंगाल एवं असम | 3,20,668 |
| ii. | प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओज) के माध्यम से इसी तरह के क्रिया-कलापों में साबित रिकाई के साथ स्वास्थ्य जांच शिविर | स्वास्थ्य | पश्चिम बंगाल एवं असम | 9,40,127 |
| iii. | भारतीय थलासेमिया सोसाइटी को अंशदान | स्वास्थ्य | पूरे भारतवर्ष | 3,40,000 |
| iv. | यूपीआई योजना के बारे में जागरूकता पैदा करने और किसानों व जूट उद्योग से संबंधित अन्य हितधारकों का बैंक खाता खुलवाने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करने में खर्च। | ग्रामीण विकास | पश्चिम बंगाल | 1,00,000 |
| | **कुल** | | | **17,00,795** |

| | |
|---|---|
| 6. चिह्नित राशि को खर्च नहीं करने का कारण | वर्ष के अंत में संबंधित क्रिया-कलापें पूर्ण होनेवाले थे। योजना पूरा हो जाएगा एवं 2017-18 में खर्च की जाएगी जैसाकि क्र.सं. 2 में दर्शाया गया है। |
| 7. सीएसआर की समिति से विवरण | सीएसआर की समिति ने पुष्टि की है कि सीएसआर से संबंधित खर्च का पालन पैरा-1 में दी गई सीएसआर के क्रिया-कलापों की रुपरेखा के अनुरुप किया गया है। |

**टेबल - वित्तीय वर्ष 2015-16 के सीएसआर के खर्च के बजट से संबंधित अव्ययित राशि के विरूद्ध खर्च की गई राशि का ब्यौरा ( वित्तीय वर्ष 2016-17 में खर्च )**

| क्रिया-कलाप | राशि ( रु. में ) |
|---|---|
| स्वच्छ विद्यालय अभियान के अंतर्गत महिला शौचालयों का पुनर्निर्माण | 7,31,000 |
| प्रधानमंत्री के राहत निधि में अंशदान | 8,27,000 |
| स्वच्छ भारत कोष में अंशदान | 1,56,000 |
| **कुल** | **17,14,000** |

2016-17 के दौरान सीएसआर के लिए कुल खर्च 34,14,795 रु. वहन किया गया जिसमें वित्तीय वर्ष 2015-16 के सीएसआर के बजट की अव्ययित राशि 17,14,000 रु. शामिल है जो 2016-17 में खर्च हुआ। वित्तीय वर्ष 2016-17 का अव्ययित बजट की राशि 16.89 लाख रु. को 2017-18 में खर्च करने की योजना है जिसकी समुचित टिप्पणी को वार्षिक लेखा 2016-17 में शामिल किया गया है।

# पांच वर्षों की रूपरेखा

*( रु. लाख में )*

| क्र.सं. | ब्यौरा | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ए** | **परिचालन के आंकड़े** | | | | | |
| | कुल कारोबार | 11279.01 | 12574.94 | 8945.39 | 2134.02 | 6330.17 |
| | अन्य आय | 6182,31 | 6874.60 | 6322.53 | 6096.21 | 5948.53 |
| | खर्च | 15561.84 | 17797.06 | 13655.19 | 6395.47 | 11047.80 |
| | पूर्व अवधि का समायोजन (शुद्ध) | 1.71 | 5.38 | 3.51 | 5.90 | (58.10) |
| | कर के पहले लाभ | 1897.77 | 1647.10 | 1609.21 | 1828.84 | 1289.00 |
| | कर | 561.00 | 660.00 | 595.62 | 715.00 | 353.00 |
| | आस्थगित कर खर्चे | – | – | (41.46) | 25.25 | 16.21 |
| | कर के उपरांत लाभ | 1336.77 | 987.10 | 1055.05 | 1088.60 | 919.80 |
| | लाभांश कर सहित लाभांश | – | – | – | – | 332.19 |
| | सामान्य रिजर्व में राशि स्थानांतरण | 1336.77 | 987.10 | 1055.05 | 1088.60 | 587.61 |
| **बी** | **वित्तीय स्थिति** | | | | | |
| | नियोजित पूंजी | 7650.16 | 8637.26 | 9684.54 | 10773.13 | 11360.74 |
| | अप्रचलित परिसम्पत्तियां | 258.28 | 254.38 | 292.03 | 249.62 | 243.64 |
| | चालू परिसम्पत्तियां | 15695.66 | 16456.15 | 16193.99 | 17235.87 | 19074.52 |
| | **इक्विटी एवं देयताएं** | | | | | |
| | (i) शेयर पूंजी | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| | (ii) आरक्षित एवं अधिशेष | 7150.16 | 8137.26 | 9184.54 | 10273.13 | 10860.74 |
| | अप्रचलित देयताएं | 3337.12 | 3084.16 | 4178.11 | 3722.76 | 3446.25 |
| | चालू देयताएं | 4966.66 | 4989.11 | 2623.37 | 2989.60 | 4511.17 |
| **सी** | **अनुपात** | | | | | |
| | पीबीटी/कुल कारोबार | 0.17 | 0.13 | 0.18 | 0.86 | 0.20 |
| | पीएटी/कुल कारोबार | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 0.51 | 0.15 |
| | पीबीटी/नियोजित पूंजी | 0.25 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.11 |
| | पीएटी/कुल मूल्य | 0.17 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.08 |
| | कुल कारोबार/कुल मूल्य (कई बार) | 1.47 | 1.46 | 0.92 | 0.20 | 0.56 |
| | प्राप्तियोग्य व्यापार/कुल कारोबार (%) | 10.44 | 3.07 | 7.88 | 8.16 | 0.93 |

# कार्पोरेट गोवर्नेंस प्रमाण-पत्र

सेवा में
सदस्यगण
भारतीय पटसन निगम लिमिटेड
15एन, नेली सेनगुप्ता सरणी,
कोलकाता-700 087

हमने 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय पटसन निगम लिमिटेड (''कंपनी'') द्वारा किये गये कार्पोरेट गोवर्नेंस की शर्त्तों का अनुपालन की जांच की जैसाकि केन्द्रीय लोक सेक्टर उद्यम (सीपीएसईज) के लिए लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार के का.ज्ञा.सं.18(8)/2005-जीएम दिनांक 14 मई, 2010 द्वारा जारी कार्पोरेट गोवर्नेंस से संबंधित मार्ग-दर्शन (''मार्ग-दर्शन'') में निर्धारित किया गया है।

कार्पोरेट गोवर्नेंस की शर्त्तों का अनुपालन करना कंपनी के प्रबंधन का दायित्व है। हमारा उसकी प्रक्रिया एवं कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए जांच की दायरा सीमित है जिसे कंपनी द्वारा कार्पोरेट गोवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपनाया गया है जैसाकि मार्ग-दर्शन में निर्धारित है। यह न तो लेखापरीक्षा है न ही कंपनी के वित्तीय विवरणी पर विचार प्रकट करना है।

हमारी राय में और जहाँ तक जानकारी है एवं प्रबंधन द्वारा हमें दी गई व्याख्या के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि निम्नलिखित को छोड़कर कंपनी ने कार्पोरेट गोवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन किया है जैसाकि उपरोक्त मार्ग-दर्शन में निर्धारित किया गया है:-

i. मार्ग-दर्शन का खंड 3.1.4 : कि यदि सीपीएसई सूचीबद्ध नहीं है तो बोर्ड के सदस्य का कम-से-कम एक तिहाई स्वतंत्र निदेशकगण होना चाहिए।

ii. मार्ग-दर्शन का खंड 3.3.1 : कि दो बोर्ड की बैठकों के बीच समय का अंतराल तीन महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए।

iii मार्ग-दर्शन का खंड 4.1.1 : कि लेखापरीक्षा समिति का दो-तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशकगण होगा।

iv. मार्ग-दर्शन का खंड 4.1.2 : कि लेखापरीक्षा समिति का अध्यक्ष स्वतंत्र निदेशक होगा।

हम पुन: जानकारी देते हैं कि ऐसा अनुपालन न तो कंपनी के भविष्य में व्यवहार्यता के रूप में आश्वासन है न ही इसका दक्षता या प्रभाव है जिससे प्रबंधन कंपनी के कार्य का संचालन किया है।

**वास्ते एम. सी. जैन एण्ड कं.**
सनदी लेखापाल
आईसीएआई पंजी. सं.304012ई

**( एम. के. पटवारी )**
साझेदार
सदस्यता सं.056623

33, ब्रबर्न रोड, कोलकाता -1
04 सितम्बर, 2017

# क्षेत्रीय कार्यालय

**31.3.2017 तक**

| राज्य | क्षेत्र | | डीपीसी की संख्या |
|---|---|---|---|
| पश्चिम बंगाल | 1. | बारासात | 13 |
| | 2. | शेवड़ाफुली | 9 |
| | 3. | कृष्णानगर | 15 |
| | 4. | बेथुवाडहरी | 11 |
| | 5. | बरहमपुर | 13 |
| | 6. | मालदा | 10 |
| | 7. | सिलीगुड़ी | 10 |
| | 8. | कूचबिहार | 9 |
| बिहार | 1. | पूर्णिया | 8 |
| | 2. | सहरसा | 9 |
| असम/मेघालय | 1. | नौगांव | 10 |
| | 2. | धुबड़ी | 5 |
| | 3. | गुवाहाटी | 7 |
| त्रिपुरा | | अगरतला | 2 |
| ओडिसा | | भद्रक | 6 |
| आन्ध्र प्रदेश | | पार्वतीपुरम् | 4 |
| | | | **141** |

# स्वतंत्र लेखापरीक्षकों का रिपोर्ट

**सदस्यगण,**
**भारतीय पटसन निगम लिमिटेड**

## वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने भारतीय पटसन निगम लिमिटेड (''कंपनी'') के वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण किया जिसमें 31 मार्च 2017 तक के तुलन-पत्र, लाभ-हानि विवरण, वर्ष के अंत तक का नगद प्रवाह विवरण, महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचना शामिल हैं।

## वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का दायित्व

कंपनी के बोर्ड के निदेशकगण इस वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 (''अधिनियम'') की धारा 134(5) में दर्शाये गये विषय-वस्तु के लिए जिम्मेदार है जो कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ-साथ इस अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विर्निदिष्ट लेखाकरण मानक सहित साधारणत: भारत में स्वीकार किये गये लेखाकरण सिद्धान्तों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य-निष्पादन एवं नकद प्रवाह का सही व स्वच्छ तस्वीर प्रस्तुत करता है। इस जवाबदेही में यह भी शामिल है कि कंपनी के परिसम्पत्तियों की सुरक्षा करने और जालसाजी को रोकने व पता लगाने एवं अन्य अनियमितताओं के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लोखाकरण रिकार्डों का रख-रखाव; उपयुक्त लेखाकरण नीतियों का चयन व अनुपयोग, निर्णय व आकलन करना जो उचित और विवेकपूर्ण है; पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन व रख-रखाव जो लेखाकरण रिकार्डों की परिशुद्धता व सम्पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रुप से कार्य कर रहा था, वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं प्रस्तुति से संबधित जो सही एवं स्वच्छ तस्वीर देता है और गलत विवरण दस्तावेज जो जालसाजी अथवा गलती से मुक्त है।

## लेखापरीक्षकों की जवाबदेही

हमारी जवाबदेही है कि अपने लेखापरीक्षा के आधार पर इस वित्तीय विवरणों पर अपने विचार को प्रकट करें।

हमने इस अधिनियम के प्रावधानों, लेखाकरण और लेखापरीक्षा मानक व इससे संबंधित विषय-वस्तु को खाते में लिये हैं जो इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत लेखापरीक्षा रिपोर्ट व इसके अधीन बने नियमों में शामिल किया जाना अपेक्षित है।

हमने इस अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत विर्निदिष्ट लेखाकरण मानक के अनुसार अपने लेखापरीक्षा का संचालन किया है। उस मानकों की आवश्यकता है कि क्या वित्तीय विवरणियां गलत विवरण से मुक्त है के बारे में विश्वासनीय आश्वासन प्राप्त करने हेतु हम लेखा परीक्षण के नीतिगत आवश्यकताओं एवं योजना व कार्य-निष्पादन का अनुपालन करें।

लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में दर्शाये गये राशि एवं प्रकटन से संबंधित लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्य-निष्पादन प्रक्रिया शामिल है। लेखापरीक्षकों के निर्णय पर यह प्रक्रिया चयनित किया गया है जिसमें वित्तीय विवरणों में गलत विवरण दस्तावेज के जोखिम का निर्धारण चाहे जालसाजी अथवा गलती से हो शामिल है। ऐसे जोखिम निर्धारण बनाने में लेखापरीक्षक लेखापरीक्षा प्रक्रिया के स्वरूप के लिए कंपनी की तैयारी एवं वित्तीय विवरणों का स्वच्छ प्रस्तुतीकरण से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर विचार करता है जो इस परिस्थितियों में उचित है, लेकिन क्या कंपनी के पास वित्तीय जानकारी एवं ऐसी नियंत्रणों का प्रभावीपूर्ण परिचालन के लिए पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है, पर विचार प्रकट करने का उद्देश्य नहीं है। लेखापरीक्षा में कंपनी के निदेशकगण द्वारा बनाये गये लेखाकरण अनुमानों के औचित्य व उपयोग में लाये गये लेखाकरण नीतियों के विनियोजितपर्णूता के मूल्यांकन और वित्तीय विवरणों के समस्त प्रस्तुतीकरण के मूल्यांकन को भी शामिल किया जाता है।

हम विश्वास करते हैं कि हमें वित्तीय विवरणों पर हमारे लेखापरीक्षा की राय का आधार प्रदान करने के लिए जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वह पर्याप्त एवं उचित है।

## सशर्त राय के लिए आधार

1. कंपनी के पास विविध देनदारों, विविध ऋणदाताओं, ग्राहकों से अग्रिम, प्रतिभूति एवं बयाना जमा, बकाया देयताएं, अन्य देय व अन्य अग्रिमों के नामें/जमा राशि से संबंधित जमा शेष राशि की पुष्टि करने की कोई भी प्रणाली नहीं है। जहां तक पार्टियों के नामें/जमा शेष राशि का सबंध है, इसे तत्पश्चात वसूला अथवा मुक्त नहीं किया गया है जिसका पुष्टि/समाधान होना है। परिणामी राजस्व का प्रभाव यदि कुछ हो तो वह अभी अभिनिश्चित योग्य नहीं है (टिप्पणी 07, 08, 14 व 16 देखें)।

2. कंपनी ने बीमांकित मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर सेवानिवृत पर छुट्टी भुनाने का लाभ के खाते पर व्यय हेतु अपने लाभ-हानि खाते में 2,19,83,738 रु. डेबिट किया है जबकि विगत वर्ष की राशि 25,40,965 रु. था। खड़ी विचरण पूर्ण तथ्य और आंकड़ों के साथ अपरिवर्तित है। परिणामी राजस्व का प्रभाव यदि कुछ हो तो अभी अभिनिश्चित योग्य नहीं है (टिप्पणी 20 देखें)।

3. खर्चे एवं अन्य देय हेतु देयता में सस्पेंस ग्रैच्युटी/मरणोपरांत लाभ के लिए 1,45,61,323 रु. शामिल है जिसका आवश्यक व्याख्या एवं ब्यौरा हमें उपलब्ध नहीं कराया गया है और वह असत्यापित है। परिणाामी राजस्व का प्रभाव यदि कुछ हो तो अभी अभिनिश्चित योग्य नहीं है (टिप्पणी 8 देखें)।

4. खर्चे एवं अन्य देय हेतु देयता में 15,13,96,679 रु. शामिल है जो बकाया देयताओं के बही खाता में जमा शेष राशि है। इस खाते का समाधान नहीं किया गया है एवं 31.03.2017 तक के बकाया शेष राशि का मदवार विवरण भी हमें उपलब्ध नहीं कराया गया है और वह असत्यापित है। परिणामी राजस्व का प्रभाव यदि कुछ हो तो अभी अभिनिश्चित योग्य नहीं है (टिप्पणी 8 देखें)।

5. खर्चे एवं अन्य देय हेतु देयता में निम्नलिखित राशि शामिल है जिसका आवश्यक व्याख्या एवं ब्यौरा हमें उपलब्ध नहीं कराया गया है और वह असत्यापित है। परिणामी राजस्व का प्रभाव यदि कुछ हो तो अभी अभिनिश्चित योग्य नहीं है (टिप्पणी 8 देखें)।

   * यूनियन के निधि में कर्मचारियों का अंशदान 87,741 रु.

   * वेतन बचत योजना 32,196 रु.

6. 31.03.2017 तक का बकाया बयाना जमा की कुल राशि 3,20,73,212 रु. में वर्ष के दौरान विभिन्न जूट मिलों से प्राप्त बयाना जमा राशि 2,07,63,500 रु. शामिल है जो असत्यापित है क्योंकि हमें आवश्यक ब्यौरा/कागजात उपलब्ध नहीं कराया गया है। जमा कुल 7,12,915 रु. का पार्टीवार ब्यौरा भी उपलब्ध नहीं कराया है और वह असत्यापित है। परिणामी राजस्व का प्रभाव यदि कुछ हो तो अभी अभिनिश्चित योग्य नहीं है (टिप्पणी 8 देखें)।

7. 31.03.2017 तक का बकाया प्रतिभूति जमा की कुल राशि 5,40,242 में 4,26,028 रु. शामिल है जिसका पार्टीवार ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराया गया है और वह असत्यापित है। परिणामी राजस्व का प्रभाव यदि कुछ हो तो अभी अभिनिश्चित योग्य नहीं है (टिप्पणी 12 देखें)।

8. विक्रय से संबंधित वैट/विक्रय कर के लिए कंपनी द्वारा भुगतान की गई राशि का संग्रह की गई वैट/विक्रय कर के साथ समायोजन नहीं हुआ है और दोनों की राशि को अलग से अग्रिम विक्रय कर/वैट एवं वैट/विक्रय कर हेतु प्रावधान के रुप में खाता में रखा गया है। 31.03.2017 तक का अग्रिम विक्रय कर/वैट की कुल राशि 3,29,05,275 रु. का मदवार ब्यौरा एवं 31.03.2017 तक का विक्रय कर/वैट हेतु रखे गये प्रावधान की कुल राशि 3,13,48,556 रु. से ध्यान में आया कि वर्ष के अधिकांश समय भुगतान की गई अग्रिम विक्रय कर/वैट की राशि रखे गये प्रावधान के साथ मेल नहीं खा रहा है जो अस्पष्टीकृत है। आगे विक्रय कर हेतु रखे गये 46,75,050 रु. का प्रावधान के लिए वर्षवार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है और

असत्यापित है। परिणामी राजस्व का प्रभाव यदि कुछ हो तो अभी अभिनिश्चित योग्य नहीं है (टिप्पणी 16 देखें)।

9. खाते में रखे गये निम्नलिखित जमा राशि की पुष्टि/समाधान होना है। परिणामी राजस्व का प्रभाव यदि कुछ हो तो अभी अभिनिश्चित योग्य नहीं है (टिप्पणी 8 एवं 16 देखें)।

   * नेशनल जूट बोर्ड 23,67,536 रु. (नामें)

   * जूट प्रौद्योगिकी मिशन 10,29,105 रु. (जमा)

10. टिप्पणी 8 एवं 16 – कंपनी ने वर्ष की समाप्ति तिथि तक सेवानिवृत नियमित कर्मचारियों को देय ग्रैच्यूटी के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम से प्राप्त होने वाली राशि हेतु सस्पेंस ग्रैच्युटी/मरणोपरांत खाता में समान राशि जमा करते हुए 31.03.2017 को ग्रैच्युटी प्राप्य खाता में 2,49,83,843 रु. डेबिट किया है। हमारी राय से यह प्रविष्टि वित्तीय वर्ष 2016-17 के खातों में नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि प्रतिपूर्ति की प्रकृति के अनुसार प्रविष्टि को सिर्फ उस वर्ष में पास करने की जरूरत है जिस वर्ष राशि प्राप्त एवं प्रतिपूर्ति होता है। फलस्वरूप चालू परिसंपत्ति में 2,49,83,843 रु. अधिक दर्शाया गया है एवं चालू देयताओं में उतना ही राशि अधिक दर्शाया गया है।

## सशर्त राय

हमारे राय से एवं जहाँ तक हमें सूचना है एवं हमें दी गई व्याख्या के अनुसार उपरोक्त सशर्त राय के पैरा के लिए आधार में वर्णित मामले के प्रभाव को छोड़कर इस अधिनियम के आवश्यकतानुसार सूचना दी गई है एवं भारत में साधारणत: स्वीकार किये गये लेखाकरण सिद्धान्तों के अनुरूप 31 मार्च 2017 तक कंपनी के कार्य विवरण एवं इसके लाभ और उस तिथि को समाप्त वर्ष का नकद प्रवाह सही व स्वच्छ तस्वीर प्रस्तुत करता है।

## इस मामले के जोर

वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में निम्नलिखित मामले की ओर ध्यान आकृष्ट किये हैं :

1. टिप्पणी सं. 24-गोदाम भाड़ा का भुगतान 1,16,88,349 रु. किया गया, का मदवार ब्यौरा हमें उपलब्ध नहीं कराया गया है जैसाकि लाभ-हानि खाता के नामें किया गया है एवं उस पर श्रोत पर आयकर की कटौती की गई है और इसलिए हम सत्यापित नहीं कर सके कि क्या सभी लागू ममलों में टीडीएस की कटौती की गई है।
2. टिप्पणी सं. 8- संभावित देयता हेतु विगत वर्षों में 2009-10 से 2013-14 के दौरान बनाये गये प्रावधानों के लिए दावे देय खाते में 74,12,821 रु. रखा गया है जो क्रेताओं द्वारा दायर मात्रात्मक व गुणात्मक दावे के लिए उठ सकता है। तथापि क्रेताओं द्वारा दायर एवं निपटारण हेतु लंबित मात्रा/ब्यौरा हमें उपलब्ध नहीं कराया गया है।
3. टिप्पणी सं. 8-खर्चे एवं अन्य देय हेतु देयता में लोरी भाड़ा एवं विगत वर्षों से संबंधित मार्केट लेवी देय के लिए देयता शामिल है जिसका लंबे समय से भुगतान नहीं हुआ है। उपलब्ध सूचना से उसकी मात्रा आसानी से अभिनिश्चित योग्य नहीं है।
4. टिप्पणी सं. 8- 31.03.2017 तक ग्राहक से बकाया अग्रिम राशि 2,31,02,972 रु. में जमा कुल राशि 76,26,915 रु. शामिल है जो तीन वर्षों से अधिक का बकाया है।
5. टिप्पणी सं. 4 एवं 15 – जेटीएम, रेटिंग टैंक एवं मैनुअल डवलपमैंट रिबनर प्रोजेक्ट एवं आईजेएसजी हेतु रखे गये सावधि जमा राशि पर प्राप्त ब्याज को संबंधित परियोजानाओं में जमा की गई है तथापि कंपनी द्वारा प्राप्त एवं उपार्जित ब्याज पर टीडीएस का दावा किया जा रहा है।
6. टिप्पणी सं. 7 एवं 15 – कंपनी ने प्रोजेक्ट आई-केयर, प्रोजेक्ट सज्जा मशीन, प्रोजेक्ट संतृप्ति, प्रोजेक्ट एनजाइम रेटिंग, आम सुविधा केन्द्र एवं पायलट प्रोजेक्ट हेतु नेशनल जूट बोर्ड के प्राधिकारी से प्राप्त निधि एवं उसका उपयोग करने का रिकार्डिंग दर्ज करने के लिए समुचित लेखाकरण को लागू नहीं कर रहा है एवं इसके परिणामस्वरूप पूर्व अविध का समायोजन खाते को

जमा करते हुए वर्ष के दौरान 59,60,024 रु. का आय दर्शाया गया है। इन परियोजनाओं से संबंधित लेखा में नामें/जमा राशि रखा गया है और एनजेबी के प्राधिकारी द्वारा पुष्टि एवं समाधान किया जाना है।

7. टिप्पणी सं.16 – अन्य पार्टियों को अग्रिम में 8,46,522 रु. शामिल है जो गोदाम मालिकों से वापसी योग्य खर्च है जिसे कंपनी ने गोदाम के मरम्मत व नवनीकरण पर वहन किया है। उसका मदवार ब्यौरा हमें उपलब्ध नहीं कराया गया है और इसलिए हमारे तरफ से असत्यापित है। तथापि कंपनी ने पूरे राशि के लिए प्रदान किया है एवं इसे खाते में 8,46,522 रु. का प्रावधान रखा है।

8. टिप्पणी सं.20 – जूट के कुल वाणिज्यिक एवं एमएसपी के खरीद पर मार्केट लेवी 1% के हिसाब से देय है एवं तदनुसार वर्ष के दौरान कुल 132,78,73,336 रु. की खरीददारी की गई एवं मार्केट लेवी 1,32,78,754 रु. को लाभ–हानि खाता में डेबिट किया जाना चाहिए था परन्तु उसके जगह 69,99,184 रु. मात्र लाभ–हानि खाता में डेबिट किया गया है। हमें बताया गया है कि विनियामक बाजार सिमित द्वारा जितनी मांग की गई है उतनी ही मार्केट लेवी का भुगतान/प्रदान किया गया है।

9. टिप्पणी सं.8 – कंपनी ने अपने नियमित कर्मचारियों को देय ग्रैच्युटी के लिए अपनी देयता का निर्वहन करने हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रशासित ग्रुप ग्रैच्युटी स्कीम को चुना है। तदनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा की गई मांग के अनुसार कंपनी द्वारा वार्षिक अंशदान का भुगतान किया जाता है एवं इस क्रम में भारतीय जीवन बीमा निगम ने नियमित कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति पर देय ग्रैच्युटी की राशि की व्यवस्था करता है एवं भेजता है। तथापि यह ध्यान में आया है कि 31.03.2017 तक सस्पेंस ग्रैच्युटी/मरणोपरांत लाभ खाता में नामें जमा की राशि 1,04,22,520 रु. है (31.03.2017 तक प्राप्य ग्रैच्युटी की राशि 2,49,83,843 रु. होने के उपरांत) एवं इस प्रकार वर्णण किया गया कि कंपनी ने भारतीय जीवन बीमा निगम से निधि प्राप्त किये बिना वर्ष के दौरान अपने कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ राशि 1,04,22,520 रु. का भुगतान किया है।

10. टिप्पणी सं.18 एवं 20 – कंपनी ने पूर्व अनुबंधित दर से बाजार से जूट बीज खरीदा है एवं उसे लागत एवं पूर्व तय निर्धारित मार्जिन पर डीलरों और कृषकों के पास बेचा गया। तथापि यह ध्यान में आया कि वर्ष के दौरान कंपनी ने फसल वर्ष 2015–16 के लिए 59,82,440 रु. का जूट बीज खरीदा है जबकि इसकी बिक्री केवल 55,79,361 रु. का है। फलस्वरूप शुद्ध हानि 4,03,079 रु. का है।

इन विषयों के संबंध में हमारा राय योग्य (क्वालिफाइड) नहीं है।

## अन्य कानूनी एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप धारा (11) के शर्त्तानुसार भारत के केन्द्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखपरीक्षक के रिपोर्ट) आदेश, 2016 (''आदेश'') द्वारा जैसाकि अपेक्षित है एवं कंपनी के बही–खाते व रिकार्ड्स की जांच के आधार पर जैसाकि हमने उचित समझा और हमें दी गई सूचना व व्याख्याओं के अनुसार हमने आदेश के पैरा 3 एवं 4, लागू होने तक, में विनिर्दिष्ट ममलों पर ''संलग्नक –ए'' में विवरण दिये हैं।

2. भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक ने इस अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (5) के शर्तानुसार जांच होने वाले क्षेत्रों को दर्शाते हुए दिशा–निदेश जारी किया है जिसके अनुपालन का उल्लेख ''संलग्नक–बी'' में किया गया है।

3. जैसाकि इस अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित है, हम रिपोर्ट करते हैं कि
   (i) लेखापरीक्षा के उद्देश्य से हमने वे सभी सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण प्राप्त किये हैं जो हमारे जानकारी व विश्वास से आवश्यक थे।
   (ii) हमारी राय से लेखा के समुचित बही–खाते जो कंपनी को विधिवत रखनी चाहिए, हमारे जांच के समय देखा गया कि उन्होंने उसे सही ढंग से रखे हैं।
   (iii) इस रिपोर्ट में दर्शाये गये तुलन–पत्र, लाभ–हानि विवरण एवं नकद प्रवाह विवरण लेखा के बही–खाते से मेल खाते हैं।

(iv) हमारी राय से उपरोक्त वित्तीय विवरणों का अनुपालन कंपनी (लेखा) नियम, 2014 का नियम 7 के साथ-साथ इस अधिनियम की धारा 133 के अतंर्गत विनिर्दिष्ट लेखाकरण मानक के साथ किया गया है।

(v) कार्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं. जीएसआर 463(ई) दिनांक 5 जून, 2015 के शर्तानुसार निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में इस अधिनियम की धारा 164(2) का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(vi) कंपनी की वित्तीय रिपोर्ट देने से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों के परिचालन की प्रभावपूर्णता के संदर्भ में हमारा पृथक रिपोर्ट ''संलग्नक-सी'' में देखें और

(vii) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 का नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक के रिपोर्ट में शामिल होने वाले अन्य ममलों के संदर्भ में हमारी राय व जानकारी से और हमें दी गई स्पष्टीकरण के अनुसार :

ए. कंपनी ने अपने वित्तीय विवरण में लंबित मुकदमेबाजी के प्रभाव को दर्शाया है। वित्तीय विवरणियों की टिप्पणी सं. 28 का अवलोकन करें।

बी. कंपनी ने कोई दीर्घकालिक अनुबंध, अमौलिक अनुबंध सहित नहीं किया है जिससे पहले ही से हानि का अनुमान लगाया जा सके।

सी. ऐसी कोई भी राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में स्थानांतरित होने की आवश्यकता पड़े।

डी. कंपनी ने 08 नवम्बर, 2016 से 30 दिसम्बर, 2016 के दौरान विनिर्दिष्ट बैंक के टिप्पणियों में अपने लेन-देन से संबंधित वित्तीय विवरणियों में अपेक्षित जानकारी दी है जैसाकि वित्त मंत्रालय की आधिसूचना एस.ओ.3407(ई) दिनांक 08 नवम्बर, 2016 में परिभाषित है। लेखापरीक्षा की प्रक्रिया पर आधारित कार्य-निष्पादन किया है एवं हमें अभ्यावेदन प्रदान किया है। हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी द्वारा रख-रखाव की गई लेखा बही के अनुसार जानकारी दी गई है एवं जैसाकि प्रबंधन द्वारा हमारे पास प्रस्तुत किया गया है।

**वास्ते एम. सी. जैन एण्ड कं.**
सनदी लेखापाल
(आईसीएआई पंजी. सं.304012ई)

**( एम. के. पटवारी )**
साझेदार
सदस्यता सं.056623

33, ब्रबर्न रोड, कोलकाता -1
04 सितम्बर, 2017

## भारतीय पटसन निगम लिमिटेड के सदस्यों को उस तिथि के हमारे रिपोर्ट के ''अन्य कानूनी एवं विनियामक आवश्यकताओं से संबंधित रिपोर्ट'' शीर्षक के अंतर्गत पैरा-1 में दर्शाये गये संलग्नक-ए

1. (ए) कंपनी ने संपूर्ण विवरण दर्शाते हुए समुचित रिकार्डों का रख-रखाव किया है जिसमें निश्चित परिसम्पतियों की मात्रात्मक ब्यौरा एवं परिस्थिति शामिल है।

   (बी) प्रबंधन द्वारा उचित अंतराल पर कंपनी की निश्चित परिसम्पतियों का प्रत्यक्ष सत्यायन किया गया है। जैसाकि हमें सूचित किया गया है, ऐसे सत्यापन पर कोई भी विसंगतियां ध्यान में नहीं आई है।

   (सी) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकार्डों की जांच के आधार पर अचल परिसम्पतियों का अधिकार-पत्र कंपनी के नाम से है।

2. प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान उचित अंतराल पर वस्तुसूचियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है। वस्तुसूचियों का प्रत्यक्ष सत्यापन करने पर ध्यान में आई विसंगतियों का महत्व नहीं था और उसे लेखा के बही-खाते में उचित ढंग से निपटाया गया है।

3. हमारी राय से एवं हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत रख-रखाव किये गये रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता साझेदारी अथवा अन्य पार्टियों को कोई ऋण, सुरक्षित या असुरक्षित प्रदान नहीं किया है। तदनुसार कंपनी पर इस आदेश के खंड 3(iii) (ए), (बी) एवं (सी) का प्रावधान लागू नहीं होता है।

4. हमें दी गई सूचना व व्याख्या के अनुसार कंपनी ने किसी भी प्रकार का ऋण नहीं दिया है अथवा किसी प्रकार का विनिवेश नहीं किया है अथवा कोई गारंटी नहीं दिया है अथवा कोई सुरक्षा प्रदान नहीं किया है जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 एवं 186 के अंतर्गत शामिल है। तदनुसार कंपनी पर इस आदेश के खंड 3 (iv) का प्रावधान लागू नहीं होता है।

5. इस अधिनियम की धारा 73 से 76 तक तथा उसके अंतर्गत अधिसूचित तक तैयार नियमों के अन्दर कंपनी ने पब्लिक से कोई भी जमा राशि स्वीकार नहीं किया है।

6. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148 (1) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा कंपनी के उत्पादों के लागत रिकार्डों का रख-रखाव को विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है। तदनुसार कंपनी पर इस आदेश के खंड 3 (vi) का प्रावधान लागू नहीं होता है।

7. (ए) हमें दी गई सूचना व व्याख्या के अनुसार एवं कंपनी के रिकार्डों की जांच के आधार पर सक्षम प्राधिकारी के पास साधारणत: नियमित रूप से जमा भविष्य निधि, कर्मयारियों का राज्य बीमा, आयकर, सेवाकर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, वस्तु के उत्पादन पर लगाए जानेवाला कर, अधिशेष एवं कोई अन्य सांविधिक बकाया राशि को सम्मलित करते हुए अविवादित सांविधिक बकाया राशि से संबंधित राशि की कटौती/संचय की गई है। हम सूचित करते हैं कि कंपनी पर कर्मचारियों का राज्य बीमा योजना लागू नहीं है। हमें दी गई सूचना व व्याख्या के अनुसार वित्तीय वर्ष 2015-16 का सेवाकर की बकाया राशि 1,55,000 रु. एवं वित्तीय वर्ष 2016-17 का सेवाकर की बकाया राशि 54,369 रु. एवं निर्धारण वर्ष 2004-05 का आयकर की बकाया राशि 6,77,691 रु. को छोड़कर 31 मार्च 2017 तक उपरोक्त सांविधिक बकाया राशि से संबंधित कोई भी अविवादित राशि देय तिथि से छ: महीने से अधिक अवधि का बकाया नहीं है।

   (बी) हमें दी गई सूचना व व्याख्या के अनुसार एवं कंपनी के रिकार्ड के अनुसार विवादित होने के कारण निम्नलिखित सांविधिक बकाया राशि जमा नहीं हुई है :

| संविधि का नाम | बकाया राशि की प्रवृति | फोरम जहां विवाद लंबित है | राशि शामिल (रु. लाख में) | अवधि जिससे संबंधित है |
|---|---|---|---|---|
| आयकर अधिनियम, 1961 | आयकर | जैसाकि हमें सूचित किया गया है कि कंपनी ने हल करने के उपाय को अपनाने की प्रक्रिया शुरु की है एवं मांग को हटाने के लिए आवेदन आकलन अधिकारी के पास शीघ्र ही किया जाएगा। | 108.23 | नि.व. 2004-05 |
| आयकर अधिनियम, 1961 | आयकर | जैसाकि हमें सूचित किया गया है कि कंपनी ने हल करने के उपाय को अपनाने की प्रक्रिया शुरु की है एवं मांग को हटाने के लिए आवेदन आकलन अधिकारी के पास शीघ्र ही किया जाएगा। | 99.25 | नि.व. 2005-06 |
| आयकर अधिनियम, 1961 | आयकर | जैसाकि हमें सूचित किया गया है कि कंपनी ने हल करने के उपाय को अपनाने की प्रक्रिया शुरु की है एवं मांग को हटाने के लिए आवेदन आकलन अधिकारी के पास शीघ्र ही किया जाएगा। | 0.15 | नि.व. 2007-08 |
| आयकर अधिनियम, 1961 | आयकर | जैसाकि हमें सूचित किया गया है कि कंपनी ने हल करने के उपाय को अपनाने की प्रक्रिया शुरु की है एवं मांग को हटाने के लिए आवेदन आकलन अधिकारी के पास शीघ्र ही किया जाएगा। | 1170.57 | नि.व. 2008-09 |
| आयकर अधिनियम, 1961 | आयकर | आयकर अपील अधिकरण | 868.44 | नि.व. 2009-10 |
| आयकर अधिनियम, 1961 | आयकर | आकलन अधिकारी | 22.28 | नि.व. 2013-14 |

8. हमारी राय से एवं हमें दी गई व्याख्या के अनुसार एवं निष्पादित हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया के आधार पर कंपनी बैंक को बकाया राशि का पुन: भुगतान करने में कसूरवार नहीं है। वर्ष के दौरान कंपनी पर वित्तीय संस्थान अथवा सरकार से संबंधित कोई भी बकाया राशि नहीं है और कोई बकाया डिबेंचर नहीं है।

9. हमारी राय से एवं हमें दी गई सूचना व व्याख्या के अनुसार कंपनी ने प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश/दुवारा सार्वजनिक पेशकश/ ऋण के साधन एवं आवधिक ऋण के माध्यम से कोई भी मुद्रा प्राप्त नहीं किया है। तदनुसार कंपनी पर इस आदेश के खंड 3 (ix) का प्रावधान लागू नहीं है।

10. हमारे लेखापरीक्षा की प्रकिया के आधार पर एवं हमें दी गई सूचना व व्याख्या के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखा-धड़ी अथवा कंपनी पर उसके अधिकारियों/कर्मचारियों को शामिल करते हुए किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई धोखाधड़ी नहीं देखा गया है अथवा रिपोर्टित किया गया है।

11. कार्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं. जीएसआर 463(ई) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 इस कंपनी पर लागू नहीं है। तदनुसार इस आदेश के खंड 3(xi) का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।

12. हमें दी गई सूचना एवं व्याख्या के अनुसार कंपनी निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार इस आदेश के खंड 3(xii)का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।

13. हमें दी गई सूचना एवं व्याख्या के अनुसार एवं कंपनी के रिकार्डों की जांच के आधार पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 एवं 188 का अनुपालन करते हुए संबंधित पार्टियों के साथ लेन-देन हुआ है, जहां कहीं लागू और उसका ब्यौरा वित्तीय विवरणियों की टिप्पणियों में दर्शाया गया है जैसाकि लागू लेखाकरण मानक द्वारा अपेक्षित है।

14. हमारे लेखापरीक्षा की प्रक्रिया के आधार पर एवं हमें दी गई सूचना व व्याख्या के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी ने शेयरों अथवा संपूर्ण डिबेंचरों या आंशिक बदलने योग्य डिबेंचरों का कोई भी तरजीही आबंटन अथवा प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं किया है। तदनुसार इस आदेश के खंड 3(xiv) का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।

15. हमारी राय से एवं हमें दी गई सूचना व व्याख्या के अनुसार कंपनी ने निदेशकों अथवा उनसे संबंधित व्यक्तियों के साथ किसी भी गैर-नकद लेन-देन में प्रवेश नहीं किया है। तदनुसार इस आदेश के खंड 3(xv) का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।

16. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के अंतर्गत कंपनी को पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है।

**वास्ते एम. सी. जैन एण्ड कं.**
सनदी लेखापाल
(आईसीएआई पंजी. सं. 304012ई)

**( एम. के. पटवारी )**
साझेदार
सदस्यता सं.056623

33, ब्रबर्न रोड, कोलकाता -1
04 सितम्बर, 2017

## भारतीय पटसन निगम लिमिटेड के सदस्यों को उस तिथि के हमारे रिपोर्ट के ''अन्य कानूनी एवं विनियामक आवश्यकताओं से संबंधित रिपोर्ट'' शीर्षक के अंतर्गत पैरा-2 में दर्शाये गये संलग्नक-बी

| क्र. सं. | विवरण | जवाब |
|---|---|---|
| 1. | क्या कंपनी के पास क्रमश: फ्री होल्ड एवं लीज की जमीन के लिए विशुद्ध टाइटिल/लीज का दस्तावेज है ? यदि नहीं तो कृपया फ्री होल्ड एवं लीज की जमीन के क्षेत्र बताएं जिसका टाइटिल/ लीज का दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। | कंपनी के पास केवल एक लीज होल्ड संपत्ति है जिसका टाइटिल दस्तावेज उपलब्ध है। |
| 2. | क्या ऋण/कर्ज/ब्याज आदि की माफी/बट्टे खाते डालने का कोई मामला है। यदि हां तो उसका कारण एवं शामिल राशि। | मामले के आधार पर सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त कर बट्टे खाते डाला गया है। ऋण/कर्ज/ब्याज की माफी/ बट्टे खाते डालने का ब्यौरा उसके वृहत कारणों के साथ नीचे दर्शाया गया है: |
| 3. | क्या तीसरे पार्टियों के पास पड़े वस्तुसूचियों के लिए समुचित रिकार्डों का रख-रखाव होता है एवं सरकार अथवा अन्य प्राधिकारियों से उपहार/ अनुदान के रूप में परिसम्पतियां प्राप्त हुई है। | हमारी राय से एवं हमें दी गई व्याख्या के अनुसार तीसरे पार्टियों के पास कोई भी वस्तुसूची पड़ा नहीं है। जैसाकि सूचित किया गया है, कंपनी ने सरकार एवं अन्य प्राधिकारियों से उपहार/अनुदान के रूप में कोई भी परिसंपत्ति प्राप्त नहीं किया है। |

| क्र. सं. | बकाया राशि की प्रवृति | शामिल राशि (रु.में) | माफी/बट्टे खाते डालने का वृहत कारण |
|---|---|---|---|
| 1. | विविध देनदारों के नामें जमा शेष राषि को बट्टे खाते डालना | 317082 | पुराना बकाया राशि एवं वसूलने का कम मौका |

**वास्ते एम. सी. जैन एण्ड कं.**
सनदी लेखापाल
(आईसीएआई पंजी. सं. 304012ई)

**( एम. के. पटवारी )**
साझेदार
सदस्यता सं.056623

33, ब्रबर्न रोड, कोलकाता -1
04 सितम्बर, 2017

## उस तिथि के हमारे रिपोर्ट के
## ''अन्य कानूनी एवं विनियामक आवश्यकताओं से संबंधित रिपोर्ट''
## शीर्षक के अंतर्गत पैरा-3(vi) में दर्शाये गये संलग्नक-सी

**कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 143 की उप धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण से संबंधित रिपोर्ट।**

31 मार्च, 2017 तक का हमने भारतीय पटसन निगम लिमिटेड (''कंपनी'') के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का लेखापरीक्षा किया है जो उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणियों का हमारे लेखापरीक्षा के साथ संयोजन के रूप में है।

### आतंरिक वित्तीय नियंत्रण हेतु प्रबंधन का दायित्व

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (''आईसीएआई'') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा से संबंधित मार्ग-दर्शन की टिप्पणी में दर्शाये गये आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी के प्रबंधन को कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग के मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को स्थापित व रख-रखाव करने का दायित्व है। इन दायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन एवं रख-रखाव शामिल है जो इसके व्यापार को सुव्यवस्थित रुप से एवं दक्ष संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावकारी रुप से परिचालन हो रहे थे जिसमें कंपनी के नीतियों का अवलंबन, अपनी परिसम्पतियों को सुरक्षित करना, धोखाधड़ी व त्रुटियां रोकना एवं पता लागाना, लेखाकरण के रिकार्डों की शुद्धता व संपूर्णता एवं विश्वासनीय वित्तीय सूचना को सही समय से तैयार करना शामिल है जैसाकि कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अपेक्षित है।

### लेखापरीक्षकों की जवाबदेही

हमारी जवाबदेही है कि अपने लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण से संबंधित विचार प्रकट करना। हमने आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा से संबंधित मार्ग-दर्शन (''मार्ग-दर्शन की टिप्पणी'') एवं लेखाकरण संबंधी मानकों एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के अंतर्गत निर्धारित समझा गया के अनुसार अपने लेखापरीक्षा का संचालन किया है, जहां तक आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा पर लागू है, दोनों ही आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा पर लागू है और दोनों को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किया गया है। उन मानकों एवं मार्ग-दर्शन की टिप्पणी की मांग है कि हम क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित व रख-रखाव किया गया है से संबंधित उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा के नैतिक आवश्यकताओं, प्लान एवं कार्य निष्पादन का अनुपालन करें और ऐसी नियंत्रण सभी संदर्भों में प्रभावकारी रूप से परिचालित हुई है।

हमारे लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग एवं उसके परिचालन के प्रभावपूर्णता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता से संबंधित लेखापरीक्षा का साक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्य निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का हमारे लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का ताल-मेल प्राप्त करना, जोखिम आंकना जो भौतिक कमजोरी विद्यमान है, डिजाइन का जांच व मूल्यांकन करना एवं मूल्यांकित जोखिम पर आधारित आंतरिक नियंत्रण के प्रभावपूर्णता का परिचालन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर आश्रित है जिसमें वित्तीय विवरणों के गलत विवरण के जोखिम का मूल्यांकन शामिल है चाहे वह धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण हो।

हम विश्वास करते हैं कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षा का साक्ष्य वित्तीय रिपोटिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर लेखापरीक्षा की राय हेतु आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त है।

## वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वासनीयता एवं साधारणत: स्वीकार किये गये लेखाकरण सिद्धान्तों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों हेतु वित्तीय विवरणों की तैयारी से संबंधित उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए बनाई गई एक प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में निम्नलिखित नीतियां एवं कार्यविधि शामिल हैं। (1) उचित ब्यौरा के साथ रिकार्डों का रख-रखाव होना जो कंपनी के परिसम्पत्तियों का लेन-देन व प्रबंध को सही ढंग से व न्यायपूर्वक प्रतिविम्बित करता है (2) उचित आश्वासन प्रदान करना जिसका लेन-देन रिकार्ड होता है जैसाकि साधारणत: स्वीकार किये गये लेखाकरण सिद्धन्तों के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने की अनुमति के लिए आवश्यक है एवं कंपनी के प्रबंधन व निदेशकों की अनुमति के अनुसार कंपनी की प्राप्ति एवं खर्च की जा रही है और (3) कंपनी के परिसम्पतियों का अनाधिकृत अर्जन, उपयोग अथवा प्रबंध को रोकने या सही समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करना जो वित्तीय विवरणों पर प्रभाव डाला हो।

## वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अंतर्निहित सीमाएं

मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन, नियंत्रणों का अधिभावी, त्रुटि अथवा धोखाधड़ी की वजह से गलत विवरणों की संभावना शामिल करते हुए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अंतर्निहित सीमाओं के कारण घटित हो सकता है और पता नहीं लगा हो। भविष्य में वित्तीय रिपोर्टिग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन का प्रक्षेपण जोखिम के अधीन है जिससे परिस्थितियों में परिवर्तन होने के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है अथवा जिससे नीतियों या प्रक्रियाओं का अनुपालन बिगड़ सकता है।

## राय

हमारी राय से सभी मामलों में कंपनी के पास वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है एवं वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा से संबंधित मार्ग-दर्शन की टिप्पणी में दर्शाये गये आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग के मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित 31 मार्च, 2017 तक का प्रभावी ढंग से परिचालन किया है।

**वास्ते एम. सी. जैन एण्ड कं.**
सनदी लेखापाल
(आईसीएआई पंजी. सं. 304012ई)

**( एम. के. पटवारी )**
साझेदार
सदस्यता सं.056623

33, ब्रबर्न रोड, कोलकाता-1
04 सितम्बर, 2017

# वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए निगम के लेखा पर सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा किये गये टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर

| क्र. सं. | लेखापरीक्षा का मंतव्य | प्रबंधन का उत्तर |
|---|---|---|
| | **भाग-I : सशर्त राय का आधार :** | |
| 1. | कंपनी के पास विविध देनदारों के नामें/जमा शेष राशि, विविध लेनदारों, ग्रहकों से अग्रिम, सुरक्षा व बयाना जमा राशि, बकाया देयताएं, अन्य देय एवं अन्य अग्रिम से संबंधित जमा शेष राशि की पुष्टि करने के लिए कोई प्रणाली नहीं है। जहां तक पार्टियों के नामें/जमा शेष राशि जिसे बाद में वसुला या मुक्त किया गया है, की पुष्टि/समाधान करना शेष है। परिणामी राजस्व का प्रभाव यदि कुछ हो तो वर्तमान में अभिनिश्चय योग्य नहीं है। | चूंकि वित्तीय वर्ष 2015-16 से संबंधित इसी तरह के लेखापरीक्षा के बिंदु का उत्तर देने के लिए प्रतिबद्ध था इसलिए देनदारों/लेनदारों से जमा शेष राशि की पुष्टि करने की एक प्रणाली इस वर्ष शुरू की गई और कुछ नमूने लेखापरीक्षकों को दिखाए गए। चूंकि भापनि मूल रूप से किसानों से तत्काल भुगतान कर जूट खरीदता है और ग्राहकों को क्रेडिट के पत्रों के विरूद्ध अग्रिम भुगतान/ तत्काल संग्रह के विरूद्ध बिक्री करता दै इसलिए चालू अवधि में देनदारों/लेनदारों की मात्रा बहुत सीमित हो गया है और वह पूरी तरह से नियंत्रण में है। बहुत पुराने देनदार/ लेनदार के जमा शेष राशि के संबंध में एक संपूर्ण समीक्षा प्रगति पर है और सुधारात्मक उपाय जारी रहेगा। |
| 2. | कंपनी ने बीमांकिकी मूल्यांकन रिपोर्ट पर आधारित सेवानिवृत पर छुट्टी भुनाने का लाभ खाते में खर्च हेतु अपने लाभ-हानि खाता में 2,19,83,738 रु. नामें किया है जबकि विगत वर्ष के लिए राशि 25,40,965 रु. था। बहुत अधिक भिन्नता की सीमा पूर्ण तथ्य एवं अंकों का व्याख्या दिये बिना है। परिणामी राजस्व का प्रभाव यदि कुछ हो तो वर्तमान में अभिनिश्चय योग्य नहीं है। | लेखापरीक्षकों के पास व्याख्या किया गया था कि वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए इसमें उल्लिखित राशि 2014-15 और 2015-16 के छुट्टी भुनाने का बीमांकिक मूल्यांकन का संचयी प्रभाव है जबकि वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए उल्लिखित राशि इस वर्ष की छुट्टी भुनाने का वास्तविक बीमांकिक मूल्यांकन है। |
| 3. | खर्चे एवं अन्य देय की देयता में अनिश्चय ग्रेच्युटी/ मरणोपरान्त लाभ के लिए 1,45,61,323 रु. शामिल है जिसका आवश्यक व्याख्या एवं ब्यौरा हमें उपलब्ध नहीं हुआ है और वह असत्यापित है। परिणामी राजस्व का प्रभाव यदि कुछ हो तो वर्तमान में अभिनिश्चय योग्य नहीं है। | लेखापरीक्षकों के पास व्याख्या किया गया था कि इस विषय से संबंधित खाते में नामें शेष रीशि ग्रैच्युटी के देयताओं के निर्वहन का शुद्ध प्रभाव है एवं ग्रैच्युटी ट्रस्ट के बैंक खाते से प्राप्य राशि की प्रविष्टि की बुकिंग के कारण है क्योंकि उस राशि का हस्तांतरण वर्ष के अंत तक लंबित था। |
| 4. | खर्चे एवं अन्य देय की देयता में बकाया देयताओं के बही खाता में पड़े नामें जमा शेष राशि 15,13,96,679 रु. शामिल है। इस खाता का समाधान नहीं किया गया | खर्चे आदि के लिए बकाया देयता की अनुसूची जैसाकि इसमें दर्शाया गया है उसे लेखापरीक्षकों के पास सत्यापन के लिए प्रस्तुत किया गया है। |

| क्र. सं. | लेखापरीक्षा का मंतव्य | प्रबंधन का उत्तर |
|---|---|---|
| | है एवं 31.03.2017 तक के जमा बकाया राशि का मदवार ब्यौरा भी हमें उपलब्ध नहीं कराया गया है और वह असत्यापित है। परिणामी राजस्व का प्रभाव यदि कुछ हो तो वर्तमान में अभिनिश्चित योग्य नहीं हैं। | कुछ मामलों में बहुत पुराने जमा शेष राशि को संपूर्ण समीक्षा प्रक्रिया के लिए लिया गया है। जैसाकि लेखा की टिप्पणी सं, 19 में बताया गया है, समीक्षा के बाद वर्ष के दौरान एक महत्वपूर्ण अंश को लिखा गया है। चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में भी वैसी ही समीक्षा प्रक्रिया चल रही है। |
| 5. | खर्चे एवं अन्य देय की देयता में निम्नलिखित राशि शामिल है जिसका आवश्यक व्याख्या एवं ब्यौरा हमें उपलब्ध नहीं कराया गया है और वह असत्यापित है। परिणामी राजस्व का प्रभाव यदि कुछ हो तो वर्तमान में अभिनिश्चित योग्य नहीं है।<br>* यूनियन निधि में कर्मचारियों का अंशदान 87,741 रु.<br>* वेतन बचत योजना 32,196 रु. | 31.03.2017 तक के संबंधित जमा शेष राशि जैसाकि इसमें दर्शाया गया है उसे बाद में चल रही वित्तीय वर्ष 2017-18 में संबंधित आंतरिक प्रविष्टियों के साथ निपटाया गया है। |
| 6. | 31.03.2017 तक का बकाया बयाना जमा की कुल राशि 3,20,73,212 रु. में वर्ष के दौरान विभिन्न जूट मिलों से प्राप्त बयाना जमा राशि 2,07,63,500 रु. शामिल है जो असत्यापित है क्योंकि हमें आवश्यक ब्यौरा/कागजात उपलब्ध नहीं कराया गया है। जमा कुल 7,12,915 रु. का पार्टीवार ब्यौरा भी उपलब्ध नहीं कराया है और वह असत्यापित है। परिणामी राजस्व का प्रभाव यदि कुछ हो तो अभी अभिनिश्चित योग्य नहीं है। | ईएमडी की अनुसूची को महत्वपूर्ण मदों के समर्थित कागजातों के साथ सत्यापन के लिए जमा किया गया है जैसाकि इसमें शामिल किया गया है। इस मामले में भी बहुत पुराने जमा शेष राशि से संबंधित संपूर्ण समीक्षा प्रक्रिया को लिया गया है। |
| 7. | 31.03.2017 तक का बकाया प्रतिभूति जमा की कुल राशि 5,40,242 रु. में 4,26,028 रु. शामिल है जिसका पार्टीवार ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराया गया है और वह असत्यापित है। परिणामी राजस्व का प्रभाव यदि कुछ हो तो अभी अभिनिश्चित योग्य नहीं है। | प्रतिभूति जमा खाता में प्रारंभिक जमा शेष राशि जैसाकि इसमें दर्शाया गया है उसे लेखापरीक्षक द्वारा विधिवत लेखापरीक्षा किया गया हे जब वित्तीय वर्ष 2015-16 के लेखा को प्रमाणित किया जा रहा था। चालू वर्ष में फिर इसका समीक्षा किया जाएगा। |
| 8. | विक्रय से संबंधित वैट/विक्रय कर के लिए कंपनी द्वारा भुगतान की गई राशि का संग्रह की गई वैट/विक्रय कर के साथ समायोजन नहीं हुआ है और दोनों की राशि को अलग से अग्रिम विक्रय कर/वैट एवं वैट/विक्रय कर हेतु प्रावधान के रूप में खाता में रखा गया है। 31.03.2017 तक का अग्रिम विक्रय कर/वैट की कुल राशि 3,29, 05,275 रु. का मदवार ब्यौरा एवं 31.03.2017 तक का | वार्षिक लेखा 2016-17 में इस खाता से संबंधित वास्तविक स्थिति जो शुद्ध अग्रिम है को चालू परिसम्पत्तियों के वृहत वर्गीकरण के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। लेजर में पिछले कई सालों से अलग से दिखाए गए प्रावधान और अग्रिम को इस मामले की समीक्षा में आसानी और इस संबंध में बेहतर नियंत्रण के लिए बनाए गए हैं। पुराने मूल्यांकन/ कर रिटर्न के रिकॉर्ड्स के लिए अभी एक प्रयास शुरू किया |

| क्र. सं. | लेखापरीक्षा का मंतव्य | प्रबंधन का उत्तर |
|---|---|---|
| | विक्रय कर/वैट हेतु रखे गये प्रावधान की कुल राशि 3,13,48,556 रु. से ध्यान में आया कि वर्ष के अधिकांश समय भुगतान की गई अग्रिम विक्रय कर/वैट की राशि में रखे गये प्रावधान के साथ मेल नहीं खा रहा है जो अस्पष्टीकृत है। आगे विक्रय कर हेतु रखे गये 46,75,050 रु. का प्रावधान के लिए वर्षवार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है और असत्यापित है। परिणामी राजस्व का प्रभाव यदि कुछ हो तो अभी अभिनिश्चित योग्य नहीं है। | गया है जो नियंत्रण खोए बिना शुद्ध रूप से स्थिति को संक्षेपन करने में उपलब्ध हो सकता है। |
| 9. | खाते में रखे गये निम्नळिखित जमा राशि की पुष्टि/ समाधान होना है। परिणामी राजस्व का प्रभाव यदि कुछ हो तो अभी अभिनिश्चित योग्य नहीं है।<br>* नेशनल जूट बोर्ड 23,67,536 रु. (नामें)<br>* जूट प्रौद्योगिकी मिशन 10,29,105 रु. (जमा) | नेशनल जूट बोर्ड के खाते में जमा शेष राशि के संबंध में पुष्टि के मामले उनके साथ उठाये गये हैं। जूट प्रौद्योगिकी मिशन के लिए भापनि खुद कार्यान्वयन एजेंसी है और इस तरह पार्टी से पुष्टि प्राप्त करने का सवाल उठता नहीं है। |
| 10. | कंपनी ने वर्ष की समाप्ति तिथि तक सेवानिवृत्त नियमित कर्मचारियों को देय ग्रैच्युटी के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम से प्राप्त होनेवाली राशि हेतु सस्पेंस ग्रैच्युटी/ मरणोपरांत खाता में समान राशि जमा करते हुए 31.03.2017 को ग्रैच्युटी प्राप्त खाता में 2,49,83,843 रु. डेबिट किया है। हमारी राय से यह प्रविष्टि वित्तीय वर्ष 2016-17 के खातों में नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि प्रतिपूर्ति की प्रकृति के अनुसार प्रविष्टि को सिर्फ उस वर्ष में पास करने की जरूरत है जिस वर्ष राशि प्राप्त एवं प्रतिपूर्ति होता है। फलस्वरूप चालू परिसम्पति में 2,49,83,843 रु. अधिक दर्शाया गया है एवं चालू देयताओं में उतना ही राशि अधिक दर्शाया गया है। | भापनि का ग्रैच्युटी ट्रस्ट जो एक आंतरिक इकाई है ने वित्तीय वर्ष 2016-17 में एलआईसी से पहले ही संबंधित राशि प्राप्त कर चुका है। प्राप्य प्रविष्टि जैसाकि लेखापरीक्षाकों द्वारा दर्शाया गया है को भापनि के पुस्तकों में पास किया गया है जबिक ट्रस्ट के बैंक खाता से भापनि के बैंक खाता में उक्त राशि का वास्तविक हस्तांतरण 31.03.2017 तक लंबित था। इस प्रकार से चालू परिसंपत्तियों/देयताओं के विवरण कम/अधिक नहीं है जैसाकि लेखापरीक्षकों द्वारा दर्शाया किया गया है। |
| **भाग-II : इस मामले के जोर** | | |
| 1. | गोदाम भाड़ा का भुगतान 1,16,88,349 रु. किया गया, का मदवार ब्यौरा हमें उपलब्ध नहीं कराया गया है जैसाकि लाभ-हानि खाता के नामें किया गया है एवं उस पर श्रोत पर आयकर की कटौती की गई है और इसलिए हम सत्यापित नहीं कर सके कि क्या सभी लागू मामलों में टीडीएस की कटौती की गई है। | गोदाम भाड़ा की अनुसूची लेखापरीक्ष्कों को प्रस्तुत किया गया था जिसमें टीडीएस विवरण के साथ कुछ मामलों के उदाहरण दिए गए थे (क्योंकि किराया भुगतान के अधिक मामले थे)। यह पुष्टि की कि हम किराया भुगतान से टीडीएस कटौती की प्रणाली का पालन करते हैं जैसाकि सांविधिक रूप से अपेक्षित है। |

| क्र. सं. | लेखापरीक्षा का मंतव्य | प्रबंधन का उत्तर |
|---|---|---|
| 2. | संभावित देयता हेतु विगत वर्षों में 2009-10 से 2013-14 के दौरान बनाये गये प्रावधानों के लिए दावे देय खाते में 74,12,821 रु. रखा गया है जो क्रेताओं द्वारा दायर मात्रात्मक व गुणात्मक दावे के लिए उठ सकता है। तथापि क्रेताओं द्वारा दायर एवं निपटारण हेतु लंबित मात्रा/ब्यौरा हमें उपलब्ध नहीं कराया गया है। | दावे को उसी के दावे के विरूद्ध प्रदान किया गया जाता है, जबकि दावे का निपटारा अंतिम सौम्यता और आपसी समझौते की पुष्टि पर किया जाता है जो दावे के प्रावधान बनाने के उपरांत काफी समय ले सकता है। हमने इस क्षेत्र में पूरी तरह से समीक्षा प्रक्रिया शुरू की है और जैसाकि लेखा टिप्पणी 19 में दर्शाया गया है। समीक्षा के बाद वर्ष के दौरान एक महत्वपूर्ण हिस्से को वापस लिखा गया है। चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अभी भी वैसी ही समीक्षा प्रक्रिया जारी है। |
| 3. | खर्चे एवं अन्य देय हेतु देयता में लोरी भाड़ा एवं विगत वर्षों से संबंधित मार्केट लेवी देय के लिए देयता शामिल है जिसका लंबे समय से भुगतान नहीं हुआ है। उपलब्ध सूचना से उसकी मात्रा आसानी से अभिनिश्चित योग्य नहीं है। | वही उत्तर जैसाकि क्र.सं.4 के भाग-1 के लिए दिया गया है। |
| 4. | 31.03.2017 तक ग्राहक से बकाया अग्रिम राशि 2,31,02,972 रु. में जमा कुल राशि 76,26,915 रु. शामिल है जो तीन वर्षों से अधिक का बकाया है। | आवश्यक सुधारात्मक उपायों को अपनाने के लिए मामले की समीक्षा की जाएगी। |
| 5. | जेटीएम, रेटिंग टैंक एवं मैनुअल डवलपमैंट रिबनर प्रोजेक्ट एवं आईजेएसजी हेतु रखे गये सावधिक जमा राशि पर प्राप्त ब्याज को संबंधित परियोजनाओं में जमा की गई है तथापि कंपनी द्वरा प्राप्त एवं उपार्जित ब्याज पर टीडीएस का दावा किया जा रहा है। | अभ्यास जैसाकि इसमें उल्लेख किया गया है, का कई वर्षों तक सारे संबंधित परियोजना के जीवन के लिए लगातार पालन किया गया है। हालांकि भविष्य में लागू होनेवाले परिवर्तनों को अपनाने के लिए मामले की और समीक्षा की जाएगी। |
| 6. | कंपनी ने प्रोजेक्ट आई-केयर, प्रोजेक्ट सज्जा मशीन, प्रोजेक्ट संतृप्ति, प्रोजेक्ट एनजाइम रेटिंग, आम सुविधा केन्द्र एवं पायलट प्रोजेक्ट हेतु नेशनल जूट बोर्ड के प्राधिकारी से प्राप्त निधि एवं उसका उपयोग करने का रिकार्डिंग दर्ज करने के लिए समुचित लेखाकरण को लागू नहीं कर रहा है एवं इसके परिणामस्वरूप पूर्व अवधि का समायोजन खाते को जमा करते हुए वर्ष के दौरान 59,60,024 रु. का आय दर्शाया गया है। इन परियोजनाओं से संबंधित लेखा में नामें/जमा राशि रखा गया है और एनजेबी के प्राधिकारी द्वारा पुष्टि एवं समाधान किया जाना है। | जैसाकि वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए लेखापरीक्षकों द्वारा सलाह दी गई थी, वित्तीय वर्ष 2016-17 में एनजेबी के खाता को अलग किया गया है। लेखापरीक्षक द्वारा बताए गए प्रविष्टि पुराने गैर-स्थायी जमा शेष राशि को हटाने के लिए वास्तव में एक सुधारात्मक उपाय है। |
| 7. | अन्य पार्टियों को अग्रिम में 8,46,522 रु. शामिल है जो गोदाम मालिकों से वापसी योग्य खर्च है जिसे कंपनी ने गोदाम के मरम्मत व नवनीकरण पर वहन किया है। उसका मदवार ब्यौरा हमें उपलब्ध नहीं कराया गया है और इसलिए हमारे तरफ से असत्यापित है। तथापि कंपनी ने | जैसाकि लेखापरीक्षकों द्वारा बताए गए हैं, हमारे बही में उस राशि को उपयुक्त ढंग से प्रदान किया गया है। |

| क्र. सं. | लेखापरीक्षा का मंतव्य | प्रबंधन का उत्तर |
|---|---|---|
| | पूरे राशि के लिए प्रदान किया है एवं इस खाते में 8,46,522 रु. काप्रावधान रखा है। | |
| 8. | जूट के कुल वाणिज्यिक एवं एमएसपी के खरीद पर मार्केट लेवी 1% के हिसाब से देय है एवं तदनुसार वर्ष के दौरान कुल 1,32,78,73,336 रु. की खरीददारी की गई एवं मार्केट लेवी 1,32,78,754 रु. को लाभ-हानि खाता में डेबिट किया जाना चाहिए था परन्तु उसके जगह 69,99,184 रु. मात्र लाभ-हानि खाता में डेबिट किया गया है। हमें बताया गया है कि विनियामक बाजार समिति द्वारा जितनी मांग की गई है उतनी ही मार्केट लेवी का भुगतान/प्रदान किया गया है। | इस विषय को जैसाकि लेखापरीक्षकों द्वारा बताए गए हैं, लेखा टिप्पणी सं.29.1 में उपयुक्त ढंग से दर्शाया गया है। |
| 9. | कंपनी ने अपने नियमित कर्मचारियों को देय ग्रैच्युटी के लिए अपनी देयता का निर्वहन करने हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रशासित ग्रुप ग्रैच्युटी स्कीम को चुना है। तदनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा की गई मांग के अनुसार कंपनी द्वारा वार्षिक अंशदान का भुगतान किया जाता है एवं इस क्रम में भारतीय जीवन बीमा निगम ने नियमित कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति पर देय ग्रैच्युटी की राशि की व्यवस्था करता है एवं भेजता है। तथापि यह ध्यान में आया है कि 31.03.2017 तक सस्पेंस ग्रैच्युटी/मरणोपरांत लाभ खाता में नामें जमा की राशि 1,04,22,520 रु. है (31.03.2017 तक प्राप्य ग्रैच्युटी की राशि 2,49,83,843 होने के उपरांत) एवं इस प्रकार वर्णन किया गया है कि कंपनी ने भारतीय जीवन बीमा निगम से निधि प्राप्त किये बिना वर्ष के दौरान अपने कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ राशि 1,04,22,520 रु. का भुगतान किया है। | इस विषय पर भाग-1 के क्र.सं.3 व 10 में उठाए गए बिन्दुओं के उत्तर में पहले ही व्याख्या किया गया है। |
| 10. | कंपनी ने पूर्व अनुबंधित दर से बाजार से जूट बीज खरीदा है एवं उसे लागत एवं पूर्व तय निर्धारित मार्जिन पर डीलरों और कृषकों के पास बेचा गया। तथापि यह ध्यान में आया कि वर्ष के दौरान कंपनी ने फसल वर्ष 2015-16 के लिए 59,82,440 रु. का जूट बीज खरीदा है जबकि इसकी बिक्री केवल 55,79,361 रु. का है। फलस्वरूप शुद्ध हानि 4,03,079 रु. काहै। | लेखापरीक्षकों के पास व्याख्या किया गया है कि वित्तीय वर्ष के आधार पर जूट बीज की खरीद एवं विक्रय को दर्शाया गया है एवं उसे फसल वर्ष के अधार पर नहीं दर्शाया गया है। इस प्रकार से वित्तीय वर्ष 2016-17 में इस खाता पर कोई हानि नहीं हुई है। |

# 31 मार्च, 2017 को समाप्त होनेवाले वर्ष के लिए भारतीय पटसन निगम लिमिटेड, कोलकाता के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143( 6 )( बी ) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणी

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्ट के कार्य प्रणाली के अनुसार 31 मार्च 2017 को समाप्त होनेवाले वर्ष के लिए भारतीय पटसन निगम लिमिटेड, कोलकाता का वित्तीय विवरण तैयार करने का दायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। इस अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक का दायित्व है कि वे स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर इस अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत इस वित्तीय विवरणों पर अपना विचार रखे जो इस अधिनियम की धारा 143(10) के अतंर्गत निर्धारित लेखा मानक के अनुसार हो। यह दर्शाया जाता है कि उनके लेखापरीक्षा रिपोर्ट दिनांक 04 सितम्बर 2017 में ऐसा ही किया गया होगा।

मैं, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से इस अधिनियम की धारा 143(6)(ए) के अंतर्गत 31 मार्च 2017 को समाप्त होनेवाले वर्ष के लिए भारतीय पटसन निगम लिमिटेड, कोलकाता के वित्तीय विवरणों का अनुपूरक लेखापरीक्षा का संचालन नहीं करने का निर्णय लिया।

कृते एवं भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से

**( रीना साहा )**
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
तथा पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड-1
कोलकाता

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 12 सितम्बर, 2017

## 31 मार्च, 2017 तक का तुलन-पत्र

*(राशि रुपये में)*

| | ब्यौरा | टिप्पणी सं. | 31.03.2017 को | 31.03.2016 को |
|---|---|---|---|---|
| **I.** | **इक्वीटी एवं दायित्व** | | | |
| | अंशधारियों की निधि | | | |
| | शेयर पूँजी | 3 (ए) | 5,00,00,000 | 5,00,00,000 |
| | आरक्षित एवं अधिशेष | 3 (बी) | 108,60,73,944 | 102,73,13,056 |
| | **अप्रचलित देयताएं** | | | |
| | अन्य दीर्घावधि देयताएं | 4 | 19,81,60,853 | 19,64,06,824 |
| | दीर्घावधि प्रावधान | 5 | 14,64,63,475 | 17,58,69,246 |
| | **चालू देयताएं** | | | |
| | अल्पावधि उधार | 6 | 46,48,275 | – |
| | व्यापारिक देय | 7 | 11,10,70,010 | 5,18,85,067 |
| | अन्य चालू देयताएं | 8 | 25,83,62,238 | 15,88,19,439 |
| | अल्पावधि प्रावधान | 9 | 7,70,37,511 | 8,82,55,739 |
| | **कुल** | | **193,18,16,306** | **174,85,49,370** |
| **(II)** | **परिसम्पत्तियाँ** | | | |
| | **अप्रचलित परिसम्पत्तियाँ** | | | |
| | स्थायी परिसम्पत्तियाँ | | | |
| | प्रत्यक्ष परिसम्पत्तियाँ | 10 | 2,35,23,826 | 2,29,13,634 |
| | अप्रत्यक्ष परिसम्पत्तियाँ | | 6,767 | 1,716 |
| | आस्थगित कर परिसम्पतियाँ (शुद्ध) | 11 | – | 16,20,654 |
| | दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम | 12 | 5,40,242 | 4,26,028 |
| | **चालू परिसम्पत्तियाँ** | | | |
| | वस्तुसूची | 13 | 94,74,32,490 | 1,79,88,948 |
| | व्यापारिक प्राप्य | 14 | 58,82,534 | 1,74,07,815 |
| | नकद एवं नकद समतुल्य | 15 | 87,93,31,987 | 165,53,26,744 |
| | अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम | 16 | 5,53,07,440 | 44,30,315 |
| | अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ | 17 | 1,97,91,020 | 2,84,33,516 |
| | **कुल** | | **193,18,16,306** | **174,85,49,370** |
| | सामान्य सूचना एवं महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ | 1 एवं 2 | | |
| | वित्तीय विवरण की अन्य टिप्पणियाँ | (27-41) | | |

उपरोक्त फार्म में दर्शायी गयी टिप्पणियाँ इस वित्तीय विवरणियों का अभिन्न अंग है।

हमारे उस तिथि के संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

वास्ते **एम. सी. जैन एण्ड कं.**
सनदी लेखापाल
एफ आर नं. 304012ई

*कृते एवं बोर्ड की ओर से*

| **(मुकेश कुमार पटवारी)** | **(अभिक साहा)** | **(सीए पी. दाशगुप्ता)** | **(डा. के. वी. आर. मूर्ति)** |
|---|---|---|---|
| **साझेदार** | कंपनी सचिव | निदेशक(वित्त) | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक |
| सदस्यता सं.056623 | | **डीआईएन-07059472** | **डीआईएन-07628725** |

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 04.09.2017

## 31 मार्च, 2017 को समाप्त अवधि का लाभ-हानि विवरण

*(राशि रुपये में)*

| | ब्यौरा | टिप्पणी सं. | 31.03.2017 को | 31.03.2016 को |
|---|---|---|---|---|
| **I.** | **राजस्व** | | | |
| | क्रिया-कलापों से राजस्व | 18 | 63,30,17,437 | 21,34,01,792 |
| | अन्य आय | 19 | 60,06,62,548 | 60,90,30,675 |
| | **कुल राजस्व** | | **123,36,79,985** | **82,24,32,467** |
| **II.** | **खर्चे:** | | | |
| | व्यापारिक सामग्री एवं प्रत्यक्ष खर्चे का लागत | 20 | 148,58,47,360 | 11,53,78,413 |
| | व्यापारिक सामग्री की वस्तुसूची में परिवर्तन | 21 | (92,94,43,542) | 5,98,25,530 |
| | कर्मचारी लाभ खर्चे | 22 | 46,82,67,892 | 41,53,12,745 |
| | वित्तीय लागत | 23 | 48,029 | – |
| | मूल्यह्रास एवं परिशोधन खर्चे | 26 | 8,06,236 | 9,19,590 |
| | अन्य खर्चे | 24 | 6,00,62,416 | 3,74,41,574 |
| | विविध खर्चे | 25 | 1,91,91,354 | 1,06,69,673 |
| | **कुल खर्चे** | | **110,47,79,745** | **63,95,47,526** |
| | विशिष्ट एवं असाधारण खर्चे के पहले लाभ | | 12,89,00,240 | 18,28,84,941 |
| | विशिष्ट मदें | | – | – |
| | असाधारण मदें | | – | – |
| | **कर के पहले लाभ** | | **12,89,00,240** | **18,28,84,941** |
| | **कर खर्चे:** | | | |
| | वर्तमान कर | | (3,53,00,000) | (715,00,000) |
| | आस्थगित कर | | (16,20,654) | (25,25,556) |
| | **कर के बाद लाभ** | | **9,19,79,586** | **10,88,59,385** |
| | **इक्वीटी शेयर का औसतन सं. ( प्रत्येक 100 रु. का अंकित मूल्य )** | | **5,00,000** | **5,00,000** |
| | मूल अर्जन प्रति शेयर | | 184 | 218 |
| | मिश्रित अर्जन प्रति शेयर | | 184 | 218 |
| | सामान्य सूचना एवं महत्वपूर्ण लेखा नीतियॉ | 1 एवं 2 | | |
| | वित्तीय विवरण की अन्य टिप्पणियॉ | 27-41 | | |
| | उपरोक्त फार्म में दर्शायी गयी टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग है। | | | |

हमारे उस तिथि के संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

वास्ते **एम. सी. जैन एण्ड कं.**
सनदी लेखापाल
एफ आर नं. 304012ई

*कृते एवं बोर्ड की ओर से*

| **( मुकेश कुमार पटवारी )** | **( अभिक साहा )** | **( सीए पी. दाशगुप्ता )** | **( डा. के. वी. आर. मूर्ति )** |
|---|---|---|---|
| **साझेदार** | कंपनी सचिव | निदेशक(वित्त) | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक |
| सदस्यता सं.056623 | | **( डीआईएन-07059472 )** | **( डीआईएन-07628725 )** |

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 04.09.2017

## 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष का नकद प्रवाह विवरण

*(राशि रुपये में)*

| | ब्यौरा | टिप्पणी सं. | 2016-2017 | 2015-2016 |
|---|---|---|---|---|
| **ए.** | **परिचालन के क्रिया-कलापों से नकद प्रवाह :** | | | |
| | कर एवं पूर्व अवधि का समायोजन के पहले लाभ/(-)हानि : | | 12,89,00,240 | 18,28,84,941 |
| | समायोजन : | | | |
| | मूल्यह्रास/परिशोधन | | 8,06,236 | 9,19,590 |
| | ब्याज आय | | (7,27,69,317) | (8,47,35,625) |
| | ब्याज खर्चे | | 48,029 | – |
| | | | (7,19,15,052) | (8,38,16,035) |
| | **कार्यकारी पूंजी को परिवर्तन करने के पहले परिचालन लाभ** | | **5,69,85,188** | **9,90,68,906** |
| | चालू परिसम्पतियों, चालू देयताओं एवं प्रावधानों में परिवर्तन | | | |
| | विविध देनदारों | | 1,15,25,281 | 5,30,58,827 |
| | वस्तुसूची | | (92,94,43,542) | 5,98,25,530 |
| | ऋण एवं पेशगियां | | (5,09,91,339) | 93,10,841 |
| | देयताओं एवं प्रावधानों | | 12,76,31,812 | (77,45,776) |
| | अन्य चालू परिसम्पत्ति | | – | 55,25,71,913 |
| | प्रदत्त आय कर | 1 | (7,80,46,766) | (5,61,80,155) |
| | | | (91,93,24,554) | 61,08,41,180 |
| | **परिचालन के क्रिया-कलापों ( में प्रयुक्त ) से शुद्ध नकद प्रवाह** | | **( 86,23,39,366 )** | **70,99,10,086** |
| **बी.** | **निवेश की गतिविधियों से नकद प्रवाह :** | | | |
| | निश्चित/अप्रत्यक्ष परिसम्पतियों का क्रय | | (14,21,479) | (1,23,774) |
| | प्राप्त ब्याज | 2 | 8,14,11,813 | 6,97,43,698 |
| | **निवेश की गतिविधियों ( में प्रयुक्त ) से शुद्ध नकद प्रवाह** | | **7,99,90,334** | **6,96,19,924** |
| **सी.** | **वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह :** | | | |
| | सुरक्षित ऋण की प्राप्ति | | 46,48,275 | – |
| | प्रदत्त ब्याज | | (48,029) | – |
| | **वित्तीय गतिविधियों ( में प्रयुक्त ) से शुद्ध नकद प्रवाह** | | 46,00,246 | – |
| | नकद एवं नकद के समतुल्य में शुद्ध वृद्धि/(कमी) (ए+बी+सी) | | (77,77,48,786) | 77,95,30,010 |
| | **इस अवधि के प्रारंभ में नकद एवं नकद के समतुल्य** | | **145,89,19,920** | **67,93,89,910** |
| | **इस अवधि की समाप्ति पर नकद एवं नकद के समतुल्य ( टिप्पणी 1 से 3 )** | **3** | **68,11,71,134** | **145,89,19,920** |

हमारे उस तिथि के संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

वास्ते **एम. सी. जैन एण्ड कं.**
सनदी लेखापाल
एफ आर नं. 304012ई

*कृते एवं बोर्ड की ओर से*

| **( मुकेश कुमार पटवारी )** | **( अभिक साहा )** | **( सीए पी. दाशगुप्ता )** | **( डा. के. वी. आर. मूर्ति )** |
|---|---|---|---|
| **साझेदार** | कंपनी सचिव | निदेशक(वित्त) | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक |
| सदस्यता सं.056623 | | **डीआईएन-07059472** | **डीआईएन-07628725** |

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 04.09.2017

## 31 मार्च को समाप्त वर्ष का नकद प्रवाह विवरण की टिप्पणी

रु. अंकों में

| | ब्यौरा | टिप्पणी सं. | 2016-2017 | 2015-2016 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | **आयकर खर्चे** | | | |
| | योग : वर्ष के प्रारंभ में अग्रिम आयकर | | 45,54,39,214 | 39,92,59,059 |
| | बाद : वर्ष की समाप्ति पर अग्रिम आयकर | | (53,34,85,980) | 45,54,39,214 |
| | | 1 | **( 7,80,46,766 )** | **( 5,61,80,155 )** |
| 2. | **प्राप्त ब्याज** | | | |
| | लाभ-हानि खाता के अनुसार प्राप्त ब्याज | | 7,27,69,317 | 8,47,35,625 |
| | योग : प्राप्तियोग्य प्रारंभिक ब्याज | | 2,84,33,516 | 1,34,41,589 |
| | | | 10,12,02,833 | 9,81,77,214 |
| | बाद : प्राप्तियोग्य अंतिम ब्याज | | 1,97,91,020 | 2,84,33,516 |
| | | 2 | **8,14,11,813** | **6,97,43,698** |
| | | | **87,93,31,987** | **165,53,26,744** |
| 3. | **नकद एवं नकद के समतुल्य** | | | |
| | तुलन-पत्र के अनुसार - नकद एवं बैंक में शेष राशि | | | |
| | बाद : नकद, बैंक एवं आवधिक जमा : | | | |
| | रेटिंग टैंक भारत सरकार | | 63,96,502 | 59,83,043 |
| | जूट टेक्नोलॉजी मिशन | | 17,97,98,795 | 17,92,37,267 |
| | भारत सरकार से रिबनर का विकास | | 1,04,64,836 | 97,80,507 |
| | आई जे एस जी | | 13,83,415 | 12,88,702 |
| | बायो-टेक्नोलॉजीकल रेटिंग टेक्नोलॉजी | | 1,17,305 | 1,17,305 |
| | कुल नकद एवं नकद के समतुल्य | 3 | **68,11,71,134** | **145,89,19,920** |

# 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष का वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

## टिप्पणी-1

### 1. सामान्य सूचना

वस्त्र मंत्रालय के अधीन भारतीय पटसन निगम लिमिटेड (भापनि), सीपीएसई की स्थापना भारत में कच्चे जूट के एमएसपी क्रिया-कलाप करने हेतु नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए 1971 में हुआ। प्रारंभ में भापनि ने छोटे व्यापार एजेंसी के रूप में अपना क्रिया-कलाप प्रारंभ किया किन्तु इसके बाद धीरे-धीरे इसने भारत के जूट उगाही क्षेत्रों में अपने नेटवर्क का विस्तार किया और अभी यह सफलतापूर्वक भारत के 6 राज्यों (पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, त्रिपुरा, ओडिशा एवं आन्ध्रप्रदेश) में फैला हुआ है। भापनि अपने 141 विभागीय क्रय केन्द्र एवं 16 क्षेत्रीय कार्यालय के साथ-साथ कोलकाता में प्रधान कार्यालय के माध्यम से क्रिया-कलाप करता है।

भापनि जूट की खरीददारी करने हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) क्रिया-कलापों का निष्पादन करने के लिए जिम्मेदार है एवं वह कच्चे जूट के बाजार में स्थिरता लानेवाला एजेंसी के रूप में कार्य करता है। भापनि के मूल्य-समर्थन क्रिया-कलापों में एमएसपी पर कृषकों, सामान्यत: छोटे एवं उपांतिक (मार्जिनल) कृषकों से कच्चे जूट की खरीददारी करना शामिल है जो किसी मात्रात्मक सीमा के बिना है और जब कच्चे जूट का चालू बाजार मूल्य एमएसपी स्तर पर पहुँच जाता है। ये क्रिया-कलापें अधिक आपूर्ति को रोकते हुए बाजार में कल्पित बफर को सृजित करने में मदद करते हैं ताकि कच्चे जूट के मूल्यों में अंतर-मौसमी चंचलता रुक सके। यह जमीनी मूल्य भी प्रदान करता है जिसपर जूट कृषक अपने उत्पाद को बेच सके।

न्यूनतम समर्थन मूल्य क्रिया-कलाप (एमएसपी) के अलावा भापनि ने कच्चे जूट का वाणिज्यिक क्रिया-कलाप, विविध जूट उत्पादों में व्यापार एवं प्रमाणित जूट बीज का वितरण को भी अपनाया है।

### 2. महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

#### 2.1 लेखाकरण का आधार और वित्तीय विवरणों की तैयारी

लेखा को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 एवं उससे संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत अधिसूचित लागू भारतीय लेखाकरण सिद्धान्त, लागू लेखाकरण मानकों के साथ सभी सामग्री में अनुपालन करने के लिए तैयार किया गया है। सभी परिसम्पत्तियों एवं देयताओं को कंपनी के सामान्य परिचालन परिधि एवं कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची-III में विस्थापित अन्य मानदण्ड के अनुसार चालू अथवा गैर-चालू के रूप में वर्कीकृत किया गया है।

वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत रिबाज के अंतर्गत एकीकृत के आधार पर तैयार किया गया है। वित्तीय विवरणों की तैयारी करने में अपनाये गये लेखाकरण नीतियां विगत वर्ष के समान हैं।

#### 2.2 प्रत्यक्ष निश्चित परिसम्पत्तियां एवं मूल्यह्रास :

(I) निश्चित परिसम्पत्तियों को मूल्यह्रास बाद कर अर्जन के लागत पर दिखाया गया है।

(II) लीजहोल्ड परिसर की लागत को लीज की अवधि में अमॉर्टाइज किया गया है।

(III) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में निर्धारित दर एवं उसी भांति से सीधे तौर पर लीजहोल्ड परिसर के अलावे निश्चित परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास को दिखाया गया है।

(IV) लीजहोल्ड जमीन के परिसर के मूल्यह्रास को या तो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में निर्धारित दर एवं उसी भांति से उस अवधि में या जमीन लीज की अवधि में, जो भी पहले हो, दर्शाया गया है।

#### 2.3 अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां और परिशोधन

(I) अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियाँ जैसे कम्प्यूटर साफ्टवेयर आदि जैसाकि भारतीय सनदी लेखापाल संस्थान (आई सी ए आई) द्वारा जारी लेखाकरण मानक (एएस 26) में परिभाषित किया गया है को परिशोधन बाद कर अर्जन के लागत पर दर्शाया गया है।

(II) अप्रत्यक्ष परिसम्पतियों को भारतीय सनदी लेखापाल संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी एएस-26 के अनुरूप उसके व्यवहारिक जीवन पर विचार करते हुए पाँच वर्ष के लिए सीधे लाइन पर परिशोधित किया गया है।

**2.4 वस्तुसूचियाँ**

(I) मूल्य समर्थन क्रियाओं के अन्तर्गत क्रय किये गये कच्चे जूट के स्टॉक का कीमत इसके लागत या शुद्ध वसूली योग्य कीमत, जो भी कम हो, पर की जाती है।

(II) वाणिज्यिक क्रिया-कलाप के अन्तर्गत क्रय किये गये कच्चे जूट के स्टॉक का कीमत उसके वजन का औसतन लागत या शुद्ध वसूली योग्य कीमत, जो भी कम हो, पर की जाती है।

(III) जूट से बनी वस्तुओं का कीमत उसकी लागत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर की जाती है।

(IV) जूट बीज का कीमत उसकी औसतन लागत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर की जाती है।

(V) लेखा में कच्चे जूट के स्टॉक की मात्रा को 180 किलोग्राम प्रति गांठ में दर्शाया गया है।

**2.5 नकद एवं नकद समतुल्य**

नकद जिसमें नकद हाथ में, बैंको में जमा शेष राशि जो नकद राशि में परिवर्तनीय पढ़ा जाता है, सम्मलित है और वह परिवर्तन के नगण्य जोखिम के अधीन हैं।

**2.6 नकद प्रवाह विवरण**

अप्रत्यक्ष पद्धति का उपयोग करते हुए नकद प्रवाहों का रिपोर्ट किया जाता है जिसके द्वारा अपवादी एवं असाधारण मदों व कर के पहले नकद प्रवृति के लेन-देन के लिए लाभ को समायोजित किया जाता है। उपलब्ध सूचना के आधार पर नकद प्रवाह निगम के परिचालन, निवेश एवं वित्तीय क्रिया-कलापों से अलग रहता है एवं लेखाकरण मानक 3 का अनुपालन किया जाता है।

**2.7 कर्मचारियों को लाभ**

**(i) ग्रेच्युटी**

**(ए) नियमित कर्मचारीगण**

निगम भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा निर्देशित ग्रुप ग्रेच्युटी निधि में नियमित अंशदान करता है एवं इस निधि से नियमित कर्मचारियों को ग्रेच्युटी देयता दी जाती है।

**(बी) आकस्मिक कर्मचारीगण**

निगम ने वास्तविक मूल्य के आधार पर वित्तीय विवरण में आकस्मिक कर्मचारियों के ग्रेच्युटी हेतु देयता प्रदान करता है एवं निगम द्वारा आकस्मिक कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृति पर ग्रेच्युटी देयताएं दी जाती है।

सभी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी देय है जिसका अधिकतम सीमा 10 लाख रु. है। कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष है। भविष्य में होनेवाली वेतन वृद्धि को लेखा में दर्शाया जाता है जब देयता की गणना की जाती है। मंहगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी को बीमांकिक मूल्यांकन में उचित ढंग से विचारा गया है। बीमांकिक मूल्यकनों में अंगीकार एवं व्यवहार किये गये कार्यप्रणाली लेखाकरण मानक 15 (2005 में संशोधित) के आवश्यकतानुसार विद्यमान है।

**(ii) छुट्टी भुनाने का लाभ (अनिधिक)**

निगम नियमित कर्मचारियों को वास्तविक मूल्य के आधार पर सेवानिवृत होने पर वर्त्तमान कर्मचारियों की छुट्टी भुनाने के लाभ को वित्तीय विवरणी में अंतिम तिथि पर देयता प्रदान करता है।

वास्तविक मूल्य में अंगीकार एवं व्यवहार किये गये कार्यप्रणाली लेखाकरण मानक 15 (2005 में संशोधित) के आवश्यकतानुसार विद्यमान है।

**( iii ) कर्मचारियों को भविष्यनिधि और परिवार पेंशन निधि**

भविष्यनिधि एवं पेंशन निधि के अंशदान को उस अवधि के लिए मान्यता दी जाती है जिस अवधि के दौरान कर्मचारियों ने सेवा दी है। भविष्यनिधि के अंशदान भारतीय पटसन निगम लि. के अंशदायी भविष्यनिधि ट्रस्ट के पास जमा होता है। कर्मचारियों के भविष्यनिधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के प्रावधान के अनुसार पेंशन निधि के अंशदान क्षेत्रीय भविष्यनिधि आयुक्त के पास जमा होता है।

**2.8 राजस्व अभिज्ञान :**

वित्तीय विवरण तैयार करने में आय/व्यय को उस वर्ष में मान्यता दी जाती है जिस वर्ष उस राशि की वसूली/भुगतान साधारणतया निश्चित मालूम पड़ता है और/या निपटाई जाती है। निम्नलिखित मामलों के लिए आय/व्यय की मान्यता वास्तविक वसूली पर दी गई है।

(ए) लिखित ऋणों पर ब्याज की आय यदि कुछ हो।

(बी) कर्मचारियों को अग्रिम पर ब्याज यदि कुछ हो।

(सी) बीमा कंपनियों एवं अन्य अभिकरणों के साथ दर्ज की गई अस्थाई दावे यदि कुछ हो।

(डी) ढुलाई लागत यदि कुछ हो।

(ई) एमएसपी क्रिया-कलाप के लिए सरकार से आर्थिक सहायता को उस वर्ष में दर्शाया जाता है जिस वर्ष सरकार द्वारा अनुसोदन किया जाता है, यदि वह अनुमोदन उस वर्ष के लेखा का अंतिम रुप देने के पहले प्राप्त होता है। यदि आर्थिक सहयता का सरकारी अनुमोदन उस वर्ष के लेखा का अंतिम रुप देने के उपरांत प्राप्त होता है तब लेखा में उचित टिप्पणी के साथ उसे अनुमोदन प्राप्त होनेवाले वर्ष में दर्शाया जाता है।

**2.9 वेतनमान का संशोधन करने के लिए देयता**

कर्मचारियों के वेतन और भत्ते में संशोधन/बढ़ोतरी करने के लिए देयता को उस वर्ष में ही मान्यता दी जाती है जिस वर्ष सरकार उसे अनुमोदित करता है तथा/या निगम को अधिसूचित करता है।

**2.10 पूर्व अवधि का समायोजन**

विगत वर्ष से संबंधित 10,000 रु. से अधिक का व्यक्तिगत लेन-देन को पूर्व अवधि का समायोजन लेखा के अंतर्गत दिखाया गया है।

**2.11 चालू एवं आस्थगित कर हेतु प्रावधान**

आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधान के अंतर्गत स्वीकार योग्य लाभ पर विचार करने के उपरांत चालू कर के लिए प्रावधान बना है।

आस्थगित कर को वर्ष के कर योग्य आय एवं लेखाकरण आय के बीच अंतर होने की वजह से समय के अंतर पर मान्यता दी जाती है और संभवत: एक या उससे अधिक बार आगामी अविध में उल्टा हो जाता है (एएस 22 के अनुरूप)।

**2.12 परिसंपत्तियों की हानि**

परिसंपत्ति को खराब के रुप में समझा गया जब परिसंपत्तियों का ढुलाई लागत उसकी वापसी योग्य कीमत से अधिक हो गया। हानि को वर्ष के लाभ-हानि खाता में दिखाया गया है जिसमें परिसंपत्ति को खराब के रुप में चिह्नीत किया गया है। यदि वापसी योग्य कीमत का आकलन करने में परिवर्तन हुआ है तो लेखाकरण अवधि के पूर्व मान्यता दी गई हानि में उलट-फेर हुई है।

**2.13 प्रावधान, प्रासंगिक देयताएं एवं प्रासंगिक परिसंपत्तियां**

विगत घटनाओं के फलस्वरुप जब वर्तमान दायित्व रहता है तब मापने में अनुमान की पर्याप्त डिग्री को शामिल करते हुए प्रावधान को मान्यता दी जाती है एवं यह संभव है कि यह संसाधन से बाहर होगा। प्रासंगिक देयताओं को मान्यता दी गई है एवं उसे टिप्पणी में दिखाया गया है। प्रासंगिक परिसंपत्तियों को न तो मान्यता दी गई है न ही वित्तीय विवरणियों में दिखलाया गया है।

## 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष का वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

### टिप्पणी 3( ए ): शेयर पूंजी

*(राशि रुपये में)*

| ब्यौरा | 31.03.2017 तक | 31.03.2016 तक |
|---|---|---|
| **प्राधिकृत पूंजी** | | |
| 100 रु. का प्रत्येक शेयर की 5,00,000 इक्वीटी शेयर | 5,00,00,000 | 5,00,00,000 |
| | 5,00,00,000 | 5,00,00,000 |
| **जारी, अभिदत्त और चुकता पूंजी** | | |
| 100 रु. का प्रत्येक शेयर की सम्पूर्ण चुकता का 5,00,000 इक्वीटी शेयर | 5,00,00,000 | 5,00,00,000 |
| | 5,00,00,000 | 5,00,00,000 |

| **( ए ) वर्ष की समाप्ति पर बकाया इक्वीटी शेयरों की संख्या का समाधान** | **शेयरों की सं.** | **राशि** | **शेयरों की सं.** | **राशि** |
|---|---|---|---|---|
| वर्ष के प्रारंभ में शेयरों की संख्या | 5,00,000 | 5,00,00,000 | 5,00,000 | 5,00,00,000 |
| वर्ष के दौरान जारी किये गये शेयर | – | – | – | – |
| बाद: वर्ष के दौरान खरीदे गये शेयर | – | – | – | – |
| वर्ष की समाप्ति पर बकाया शेयरों की संख्या | 5,00,000 | 5,00,00,000 | 5,00,000 | 5,00,00,000 |

**( बी )** इक्वीटी शेयरों के साथ संलग्न नियम और अधिकार
कंपनी में के पास केवल एक ही श्रेणी की इक्वीटी शेयर है और इसमें शेयर होल्डर को शेयर के अनुरूप वोट देने का अधिकार है।

**( सी )** कंपनी में 5% शेयरों से अधिक रखने वाले शेयर होल्डरों का ब्योरा।

| **शेयर होल्डर का नाम** | **31 मार्च, 2017 तक** | | **31 मार्च 2016 तक** | |
|---|---|---|---|---|
| | **शेयरों की सं.** | **होल्डिंग की %** | **शेयरों की सं.** | **होल्डिंग की %** |
| भारत के राष्ट्रपति | 499998 | 99.99% | 499998 | 99.99% |

## 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष का वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

### टिप्पणी 3 ( बी ): आरक्षित एवं अधिशेष

*(राशि रुपये में)*

| ब्यौरा | 31.03.2017 तक | | 31.03.2016 तक | |
|---|---|---|---|---|
| लाभ-हानि खाता के अनुसार अधिशेष | | | | |
| विगत तुलन-पत्र के अनुसार | 102,73,13,056 | – | 91,84,53,671 | – |
| योग : इस वर्ष का लाभ/(हानि) | 9,19,79,586 | | 10,88,59,385 | |
| | 111,92,92,642 | | 102,73,13,056 | |
| प्रस्तावित लाभांश | 2,76,00,000 | – | – | – |
| प्रस्तावित लाभांश पर लाभांश बंटन कर | 56,18,698 | 108,60,73,944 | – | 102,73,13,056 |
| शुद्ध अधिशेष | | **108,60,73,944** | | **102,73,13,056** |

### टिप्पणी 4. अन्य दीर्घावधि देयताएं

| ब्यौरा | 31.03.2017 तक | 31.03.2016 तक |
|---|---|---|
| **परियोजना निधि में जमा शेष राशि** | | |
| रेटिंग टैंक (भारत सरकार) | 63,96,502 | 59,83,043 |
| बायो टेक्नोलॉजीकल रेटिंग टेक्नोलॉजी | 1,17,305 | 1,17,305 |
| आई जे एस जी | 13,83,415 | 12,88,702 |
| भारत सरकार से रिबनर का विकास | 1,04,64,836 | 97,80,507 |
| जूट टेक्नोलॉजी मिशन | 17,97,98,795 | 17,92,37,267 |
| **कुल** | **19,81,60,853** | **19,64,06,824** |

### टिप्पणी 5. दीर्घावधि प्रावधान

| ब्यौरा | 31.03.2017 तक | 31.03.2016 तक |
|---|---|---|
| **कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान:** | | |
| ग्रैच्युटी (आकस्मिक कर्मचारी) | 4,54,33,200 | 4,62,22,034 |
| छुट्टी का वेतन | 10,10,30,275 | 12,96,47,212 |
| | **14,64,63,475** | **17,58,69,246** |

### टिप्पणी 6. अल्पावधि उधार

| अन्य दीर्घावधि देयताएँ | 31.03.2017 तक | 31.03.2016 तक |
|---|---|---|
| **भारतीय केन्द्रीय बैंक से नकद जमा** | **46,48,275** | – |
| | **46,48,275** | – |

नोट: नकद ऋण वर्तमान और भविष्य दोनों जूट स्टॉक के ढांचे के माध्यम से सुरक्षित है।

## 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष का वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

### टिप्पणी 7. व्यापारिक देय

*(राशि रुपये में)*

| ब्यौरा | 31.03.2017 तक | 31.03.2016 तक |
|---|---|---|
| समस्त लेनदार | 11,10,70,010 | 5,18,85,067 |
| | **11,10,70,010** | **5,18,85,067** |

### टिप्पणी 8. अन्य चालू देयताएँ

| ब्यौरा | 31.03.2017 तक | | 31.03.2016 तक | |
|---|---|---|---|---|
| बयाना जमा राशि | – | 3,20,73,212 | – | 26,52,937 |
| सुरक्षित जमा | – | 15,00,000 | – | 15,00,000 |
| भविष्य निधि देय | – | 81,51,011 | – | 1,01,41,972 |
| खर्चे का देयता एवं अन्य देय | – | 17,42,70,494 | – | 7,93,13,362 |
| **परियोजना निधि में शेष राशि** | | | | |
| परियोजना आई-केयर | – | – | – | 73,82,788 |
| पायलट परियोजना खाता | – | 47,748 | – | 47748 |
| परियोजना साजसज्जा मशीन | – | 10,88,417 | – | 10,97,387 |
| परियोजना संतृप्ति | – | 48,38,462 | – | 81,79,805 |
| सामान्य सुविधा केंद्र | – | 44,05,998 | – | 1,77,157 |
| ग्राहकों से अग्रिम | – | 2,31,02,972 | – | 2,29,21,966 |
| दावे देय | – | 75,32,819 | – | 2,43,04,875 |
| बीज के लिए प्राप्त अग्रिम | – | 3,22,000 | – | 322000 |
| जेटीएम से अग्रिम | – | 10,29,105 | – | 7,77,442 |
| | – | **25,83,62,238** | – | **15,88,19,439** |

### टिप्पणी 9. अल्पावधि प्रावधान

| ब्यौरा | 31.03.2017 तक | | 31.03.2016 तक | |
|---|---|---|---|---|
| **कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान** | | | | |
| बोनस | 18,46,233 | | – | |
| एल आई सी | 66,69,712 | | 74,36,763 | |
| छुट्टी का वेतन (नियमित कर्मचारी) | 4,42,71,051 | | 5,25,47,326 | |
| ग्रैच्युटी (आकस्मिक कर्मचारी) | 1,34,55,216 | | 84,83,461 | |
| | | **6,62,42,212** | | **6,84,67,550** |
| **आयकर का प्रावधान** | | | | |
| विगत खाता के अनुसार शेष राशि | 47,50,72,403 | | 40,35,72,403 | |
| वर्ष के दौरान योग | 3,53,00,000 | | 7,15,00,000 | |
| | **51,03,72,403** | | **47,50,72,403** | |
| बाद : अग्रिम कर प्रदत्त | 53,34,85,980 | (2,31,13,577) | 45,54,39,214 | 1,96,33,189 |
| सेवा कर के लिए प्रावधान | – | 6,90,178 | – | 1,55,000 |
| **अन्य प्रावधान** | | | | |
| प्रस्तावित लाभांश | – | 2,76,00,000 | – | – |
| प्रस्तावित लाभांश पर कर | – | 56,18,698 | – | – |
| | | **7,70,37,511** | | **8,82,55,739** |

## 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष का वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

### टिप्पणी 10. स्थायी परिसम्पत्तियां

*(राशि रुपये में)*

| प्रत्यक्ष परिसम्पत्तियां | कुल ब्लॉक | | | | मूल्यह्रास | | | | | शुद्ध ब्लॉक | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | योग | | | | | |
| | 31.03.2016 तक | योग | लोप/ समायोजन | 31.03.2017 तक | 31.03.2016 तक | वर्ष के लिए | प्रतिधारित अर्जन से समायोजन | लोप/ समायोजन | 31.03.2017 तक | 31.3.2017 तक | 31.3.2016 तक |
| पट्टे पर परिसर | 2,59,98,440 | - | - | 2,59,98,440 | 44,20,643 | 2,64,381 | - | - | 46,85,024 | 2,13,13,416 | 2,15,77,797 |
| फर्नीचर एवं फिक्चर्स | 44,54,156 | 71,320 | - | 45,25,476 | 41,88,994 | 30,302 | - | - | 42,19,296 | 3,06,180 | 2,65,162 |
| कार्यालय के सामान | 13,67,875 | 20,000 | - | 13,87,875 | 11,95,806 | 30,659 | - | - | 12,26,465 | 1,61,410 | 1,72,069 |
| डीपीसी के सामान | 8,77,383 | 25,000 | - | 9,02,383 | 7,69,276 | 12,639 | - | - | 7,81,915 | 1,20,468 | 1,08,107 |
| कम्प्यूटर | 38,87,374 | 11,16,464 | - | 50,53,838 | 32,25,151 | 4,33,373 | - | - | 36,58,524 | 13,95,314 | 6,62,223 |
| वद्युत संस्थापन | 4,95,688 | - | | 4,95,688 | 4,17,608 | 11,881 | - | | 4,29,489 | 66,199 | 78,080 |
| वातानुकूलित यंत्र | 4,66,850 | 1,33,195 | | 6,00,045 | 4,16,654 | 22,552 | - | | 4,39,206 | 1,60,839 | 50,196 |
| साइकिलें | 1,32,357 | - | - | 1,32,357 | 1,32,357 | - | - | - | 1,32,357 | - | - |
| **कुल योग ( ए )** | 3,76,80,123 | 14,15,979 | - | 3,90,96,102 | 1,47,66,489 | 8,05,787 | - | - | 1,55,72,276 | 2,35,23,826 | 2,29,13,634 |
| **अप्रत्यक्ष परिसम्पत्तियां** | | | | | | | | | | | |
| कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर (बी) | 92,063 | 55,000 | - | 97,563 | 90,347 | 449 | - | - | 90,796 | 6,767 | 1,716 |
| **चालू वर्ष ( ए+बी )** | **3,77,72,186** | **14,21,479** | **-** | **3,91,93,665** | **1,48,56,836** | **8,06,236** | **-** | **-** | **1,56,63,072** | **2,35,30,593** | **2,29,15,350** |
| **विगत वर्ष** | 3,76,48,412 | 1,23,774 | - | 3,77,72,186 | 1,39,37,246 | 9,19,590 | - | - | 1,48,56,836 | 2,29,15,350 | - |

नोट: वर्ष के दौरान 7,17,900 रुपये में (विगत वर्ष शून्य) खरीदे गये मोबाइल फोन के प्रबंधन अनुमानित लाइफ को देखते हुए शीर्ष कम्प्यूटर के तहत पूंजीकृत किया गया है यह तीन वर्ष के लिए है और आवेदन संचालित एक जैसे हैं।

## 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष का वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

### टिप्पणी 11. आस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ ( शुद्ध )

*(राशि रुपये में)*

| ब्यौरा | 31.03.2017 तक | 31.03.2016 तक |
|---|---|---|
| आस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ | – | 16,20,654 |
| | – | **16,20,654** |

### टिप्पणी 12. दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम

| ब्यौरा | 31.03.2017 तक | 31.03.2016 तक |
|---|---|---|
| प्रतिभूति जमा | 5,40,242 | 4,26,028 |
| | **5,40,242** | **4,26,028** |

### टिप्पणी 13. वस्तुसूची

| ब्यौरा | 31.03.2017 तक | 31.03.2016 तक |
|---|---|---|
| कच्चा जूट-मूल्य समर्थन | 29,97,49,370 | 18,18,400 |
| कच्चा जूट-वणिज्यक | 64,71,72,442 | 1,61,70,548 |
| सोनाली | 5,10,678 | – |
| | **94,74,32,490** | **1,79,88,948** |

### टिप्पणी 14. व्यापारिक प्राप्य

| ब्यौरा | 31.03.2017 तक | | 31.03.2016 तक | |
|---|---|---|---|---|
| (असुरक्षित, खरा समझा गया) | | | | |
| छः महीने से अधिक का बकाया ऋण | 10,99,048 | | 1,06,00,970 | |
| अन्यान्य | 47,83,486 | 58,82,534 | 68,06,845 | 1,74,07,815 |
| (असुरक्षित, संदेहात्मक समझा गया) | 6,65,668 | – | – | |
| संदेहात्मक ऋण का प्रावधान | (6,65,668) | – | – | |
| | | **58,82,534** | | **1,74,07,815** |

### टिप्पणी 15. नकद एवं बैंक शेष राशि

| ब्यौरा | 31.03.2017 तक | 31.03.2016 तक |
|---|---|---|
| **नकद एवं नकद समतुल्य** | | |
| **बैंक में जमा शेष राशि** | | |
| चालू खाते में | 7,32,91,231 | 5,33,86,351 |
| बचत खाते में | 5,40,31,969 | 7,15,17,968 |
| जमा खाते में | 75,09,25,508 | 152,93,57,029 |
| हाथ में नकद | 10,83,279 | 10,65,396 |
| | **87,93,31,987** | **165,53,26,744** |

## 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष का वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

### टिप्पणी 16. अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम

*(राशि रुपये में)*

| ब्यौरा | 31.03.2017 तक | | 31.03.2016 तक | |
|---|---|---|---|---|
| **नकद या इसी प्रकार में या खरा समझे जानेवाले मूल्य के लिए वसूली योग्य पेशगियां** | | | | |
| कर्मचारियों को अग्रिम | – | 8,13,832 | | 11,88,960 |
| अन्य पार्टियों को अग्रिम | – | – | – | – |
| असुरक्षित एवं खरा समझा गया | 3,04,53,033 | – | 24,40,995 | |
| असुरक्षित एवं संदेहात्मक समझा गया | 8,46,522 | – | – | – |
| बाद: प्रावधान हुआ | (8,46,522) | 304,53,033 | – | 24,40,996 |
| पूर्वदत्त खर्चे | – | 17,08,859 | – | – |
| **राजस्व प्राधिकारियों को अग्रिम** | | | | |
| सेवा कर को अग्रिम | | – | | 2,63,712 |
| विक्रय कर एवं वैट अग्रिम | 3,29,05,275 | – | 2,66,87,190 | – |
| बाद : प्रावधान | 3,13,48,556 | 15,56,719 | 2,64,81,959 | 2,05,231 |
| **परियोजना निधि हेतु अग्रिम** | | | | |
| प्रोजेक्ट एंजाइम रेटिंग | – | – | – | 3,31,417 |
| प्रोजेक्ट आई-केयर | – | 2,07,32,499 | – | – |
| भूबन जम्प प्रोजेक्ट | – | 42,498 | – | – |
| | | **5,53,07,440** | | **44,30,315** |

### टिप्पणी 17. अन्य चालू परिसम्पतियाँ

| ब्यौरा | 31.03.2017 तक | 31.03.2016 तक |
|---|---|---|
| अर्जित ब्याज किन्तु बकाया नहीं | 1,97,91,020 | 2,84,33,516 |
| | **1,97,91,020** | **2,84,33,516** |

### टिप्पणी 18. परिचालन से राजस्व

| ब्यौरा | 31.03.2017 तक | 31.03.2016 तक |
|---|---|---|
| विक्रय-मूल्य समर्थन | 44,10,769 | 12,36,054 |
| विक्रय-वाणिज्यिक | 50,54,86,391 | 14,77,32,082 |
| विक्रय-सोनाली | 18,23,264 | 16,85,077 |
| विक्रय-जूट बीज | 12,14,17,011 | 6,27,54,895 |
| बाद: प्रदत्त दावे | (1,19,998) | (6,316) |
| | **63,30,17,437** | **21,34,01,792** |

## 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष का वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

### टिप्पणी 19. अन्य आय

*(राशि रुपये में)*

| ब्यौरा | 31.03.2017 तक | 31.03.2016 तक |
|---|---|---|
| ब्याज आय | 7,27,69,317 | 8,47,35,625 |
| भारत सरकार से आर्थिक सहायता (एमएसपी) | 49,38,00,000 | 52,11,00,000 |
| ढुलाई लागत (मूल्य समर्थन) | 11,58,754 | 27,00,000 |
| देयता को दीर्घावधि तक लिखने की जरुरत नहीं | 2,43,84,483 | – |
| अन्य आय | 27,39,855 | 10,85,619 |
| पूर्व अवधि का समायोजन (टिप्पणी-19.1 के संधर्भ में) | 58,10,139 | (5,90,570) |
| | **60,06,62,548** | **60,90,30,675** |

### टिप्पणी 19.1. पूर्व अवधि का समायोजन

| ब्यौरा | 31.03.2017 तक | 31.03.2016 तक |
|---|---|---|
| प्रोजेक्ट से प्रतिपूर्ति | 59,60,024 | – |
| वृत्तिक शुल्क | (42,000) | (78,181) |
| मजदूरी | (1,07,885) | – |
| विक्रय मूल्य समर्थन आंतरिक | – | (2,88,598) |
| ढुलाई लागत - मूल्य समर्थन | – | (1,58,665) |
| भ्रमण एवं यातायात | – | (28,932) |
| प्राप्त दावे | – | (36,194) |
| **शुद्ध नामें ( - ) जमा** | **58,10,139** | **( 5,90,570 )** |

### टिप्पणी 20. व्यापारिक सामग्री एवं प्रत्यक्ष खर्चें का लागत

| ब्यौरा | 31.03.2017 तक | 31.03.2016 तक |
|---|---|---|
| **क्रय** | | |
| कच्चा जूट-मूल्य समर्थन | 28,79,40,308 | 91,067 |
| कच्चा जूट-वाणिज्यिक | 1,03,99,35,028 | 4,56,71,805 |
| जूट उत्पादन-सोनाली | 21,84,887 | 14,62,975 |
| जूट बीज | 11,60,28,208 | 5,71,34,976 |
| **उप योग ( ए )** | **1,44,60,88,431** | **10,43,60,823** |
| **प्रत्यक्ष खर्चें** | | |
| परिचालन खर्चें | 3,27,45,331 | 10,52,404 |
| कर एवं लेवी | 70,12,648 | 99,57,974 |
| सेवा कर | 950 | 7,212 |
| **उप योग ( बी)** | **3,97,58,929** | **1,10,17,590** |
| | **1,48,58,47,360** | **11,53,78,413** |

## 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष का वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

### टिप्पणी 21. व्यापारिक सामान की वस्तुसूची में परिवर्तन

*(राशि रुपये में)*

| ब्यौरा | 31.03.2017 तक | 31.03.2016 तक |
|---|---|---|
| **प्रारंभिक स्टॉक :** | | |
| कच्चा जूट - मूल्य समर्थन | 18,18,400 | 6,99,54,904 |
| कच्चा जूट -वाणिज्यिक | 1,61,70,548 | 78,59,574 |
| **कुल** | **1,79,88,948** | **7,78,14,478** |
| **अंतिम स्टॉक :** | | |
| कच्चा जूट - मूल्य समर्थन | 29,97,49,370 | 18,18,400 |
| कच्चा जूट - वाणिज्यिक | 64,71,72,442 | 1,61,70,548 |
| सोनाली स्टॉक | 5,10,678 | - |
| **कुल** | **94,74,32,490** | **1,79,88,948** |
| **शुद्ध : ( वृद्धि )/कमी** | **( 92,94,43,542 )** | **5,98,25,530** |

### टिप्पणी 22. कर्मचारी हित खर्चे

| ब्यौरा | 31.03.2017 तक | 31.03.2016 तक |
|---|---|---|
| वेतन एवं भत्ते | 25,57,37,544 | 29,91,00,033 |
| मजदूरी | 10,59,11,668 | 4,50,33,612 |
| निदेशकों का पारिश्रमिक | 39,80,312 | 23,69,347 |
| बोनस | 57,14,312 | - |
| किराया आवास | 5,95,000 | - |
| पेंशन निधि में निगम का अंशदान | 96,68,310 | 1,17,48,756 |
| ग्रेच्युटी निधि में निगम का अंशदान | 136,33,437 | 67,26,934 |
| भविष्य निधि में निगम का अंशदान | 293,24,331 | 2,44,92,495 |
| कल्याण निधि में निगम का अंशदान | - | 492 |
| स्टाफ कल्याण व्यय | 60,09,445 | 57,26,452 |
| सेवानिवृत्ति पर छुट्टी भुनाने का लाभ | 2,19,83,738 | 25,40,965 |
| चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति | 1,47,23,544 | 1,70,15,812 |
| सीपीएफ पर प्रशासनिक प्रभार | 9,29,510 | 5,57,847 |
| अवकाश यात्रा व्यय | 56,741 | - |
| | **46,82,67,892** | **41,53,12,745** |

### टिप्पणी 23. वित्तीय लागत

| ब्यौरा | 31.03.2017 तक | 31.03.2016 तक |
|---|---|---|
| नकद ऋण पर ब्याज | 48,029 | - |
| **कुल** | **48,029** | - |

## 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष का वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

### टिप्पणी 24. अन्य खर्चे

*(राशि रुपये में)*

| ब्यौरा | 31.03.2017 तक | 31.03.2016 तक |
|---|---|---|
| छपाई एवं लेखन सामग्री | 10,32,888 | 7,30,028 |
| विद्युत प्रभार | 19,15,433 | 18,74,959 |
| किराया | 17,86,127 | 19,91,373 |
| गोदाम भाड़ा एवं भंडारण | 1,16,88,349 | 1,28,10,910 |
| मरम्मत एवं नवीनीकरण | 6,31,913 | 1,72,654 |
| कार्यालय का रख-रखाव खर्च | 4,79,201 | 3,59,259 |
| महसूल एवं कर | 94,329 | 22,279 |
| बीमा | 9,10,054 | 4,72,705 |
| भ्रमण और यातायात | 49,11,624 | 34,03,331 |
| कानून एवं वृत्तिक शुल्क | 24,16,033 | 7,61,159 |
| भाड़ा | 1,86,30,650 | 43,54,456 |
| सेवा कर | 13,73,560 | 5,30,552 |
| सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क | 2,47,800 | 1,72,500 |
| अन्य लेखापरीक्षा शुल्क | 56,970 | 1,60,810 |
| दूरभाष प्रभार | 13,02,358 | 13,26,861 |
| डाक एवं तार | 51,339 | 50,009 |
| पुस्तकें एवं पत्रिकाएं | 1,91,660 | 2,04,404 |
| मनोरंजन | 3,45,081 | 2,97,590 |
| सम्मेलन एवं बैठक खर्चे | 7,87,283 | 4,15,462 |
| कार्पोरेट सामाजिक दायित्व के खर्चे | 34,14,795 | 37,59,972 |
| विज्ञापन एवं प्रचार | 11,38,579 | 4,80,837 |
| कार खर्चे | 44,84,791 | 29,12,891 |
| अशोध्य एवं संदेहात्मक ऋण लिखित | 3,17,082 | – |
| संदेहात्मक ऋण का प्रावधान | 15,12,190 | – |
| बैंक प्रभार | 3,42,327 | 1,76,573 |
| | **6,00,62,416** | **3,74,41,574** |

### टिप्पणी 25. विविध खर्चे

| ब्यौरा | 31.03.2017 तक | 31.03.2016 तक |
|---|---|---|
| मानदेय एवं अन्य शुल्क | 36,53,649 | 26,12,856 |
| आर ओ खर्चे | 1,29,00,903 | 52,97,386 |
| अन्यान्य | 26,36,802 | 27,59,431 |
| **कुल** | **1,91,91,354** | **1,06,69,673** |

### टिप्पणी 26. मूल्यह्रास एवं परिशोधित खर्च

| ब्यौरा | 31.03.2017 तक | 31.03.2016 तक |
|---|---|---|
| मूल्यह्रास | 8,06,236 | 9,19,590 |
| **कुल** | **8,06,236** | **9,19,590** |

## 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों की टिप्पणियां

### 27. कर्मचारियों को सेवानिवृत लाभ से संबंधित प्रकटीकरण

**i. ग्रेच्युटी ( नियमित )**

एलआईसीआई द्वारा की गई मांग के अनुसार वर्ष के दौरान निगम ने नियमित कर्मचारियों के लिए अपना ग्रेच्युटी देयता 4,00,000 रु. (विगत वर्ष 5,07,286 रु.) लेखा में दर्शाया है।

**ii. ग्रेच्युटी ( आकस्मिक )**

वर्ष के दौरान निगम ने वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर आकस्मिक कर्मचारियों के लिए अपना ग्रेच्युटी देयता 5,88,88,416 रु. (विगत वर्ष 5,47,05,495 रु.) लेखा में दर्शाया है। वास्तविक अंगीकार का आधार निम्न प्रकार हैं।

| **कीमत निर्धारित करने का आधार** | | |
|---|---|---|
| | **31.03.2017** | **31.03.2016** |
| छूट की दर प्रति वर्ष (चक्रवृद्धि) | 8.00% | 8.00% |
| वेतन में वृद्धि दर | 10.00% | 10.00% |
| कर्मचारियों का कार्य जीवन अनुमानित औसतन रहेगा | 3.46% | 4.06% |

**( iii ) छुट्टी भुनाने का लाभ**

वर्ष के दौरान निगम ने वास्तिवक मूल्यांकन के आधार पर नियमित कर्मचारियों के लिए छुट्टी भुनाने की देयता राशि 14,53,01,326 रु. (विगत वर्ष 18,21,94,458 रु.) लेखा में दर्शाया है।

**( iv ) मजदूरी**

मंत्रालय के आदेश सं-490 11/31/2008 - ईस्ट (सी) दिनांक 23.01.2012 के संदर्भ में आकिस्मक कर्मचारियों को 10,59,11,668 रु. भुगतान किया गया जिसमें वित्तीय वर्ष 01.01.2006 से 31.03.2017 की अविध का बकाया वेतन 6,52,69,555 रु. का प्रावधान सहित है।

### 28. प्रासंगिक देयताएं

प्रासंगिक देयताओं (महत्वपूर्ण देयताओं को छोड़कर, यदि उसपर कुछ हो तो) को लेखा में नहीं दर्शाया गया है :

| **क्रम सं** | | **31.03.2017 रु.** | **31.03.2016 रु.** |
|---|---|---|---|
| 1. | निगम के विरुद्ध दावे को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है | 17,86,05,378 | 18,51,51,908 |
| 2. | अन्य रकम जिससे निगम प्रासंगिक रुप से दायी है। | 22,68,91,941 | 2,79,47,552 |

अन्य रकम जिससे निगम प्रासंगिक रुप से दायी है, में कंपनी द्वारा विवादित आयकर की मांग की कुल राशि 2268.91 लाख रु. (विगत वर्ष 279.48 लाख रु.) शामिल है। यह मामला आयकर अपील न्यायाधिकरण/आयकर आयुक्त (अपील)/ निर्धारण अधिकारी/परिशोधन के समक्ष अपील के अधीन है एवं कंपनी अपने पक्ष में अपील का फैसला सुनने के लिए आशान्वित है।

### 29. अन्य प्रकटीकरण

29.1 बाजार लेवी एक खाता है और इसके लिए कोई मांग हो, तो संबिधत क्षेत्रीय कार्यालय में विनियामक बाजार समिति द्वारा इसे पूरा किया जाता है।

29.2 एमसीए की अधिसूचना दिनांक 30 मार्च, 2017 के अनुसार 08.11.2016 से 30.12.2016 अवधि के दौरान रखे गये एवं लेन-देन किये गये स्पेशल बैंक नोट (एसबीएन) का प्रकटीकरण।

**राशि रु. में**

| ब्यौरा | एसबीएन | गैर एसबीएन | कुल |
|---|---|---|---|
| 08.11.2016 को हाथ में अंतिम नकद | 77500 | 106125 | 183625 |
| (+) अनुमत प्राप्ति | 0 | 662991 | 662991 |
| (-) अनुमत भुगतान | -2500 | -421323 | -423823 |
| (-) बैंक में जमा राशि | -75000 | -142200 | -217200 |
| 30.12.2016 को हाथ में अंतिम नकद | 0 | 205593 | 205593 |

## 29.3 सीएसआर

कंपनी वर्ष के दौरान 34,14,795 रु. (वित्तीय वर्ष 2015-16, 37,59,972 रु.) कार्पोरेट सामाजिक दायित्व के लिए खर्च किया है जो कंपनी के सीएसआर की नीति के हित में है।

| | |
|---|---|
| वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए सीएसआर खर्चें | 17,00,795 रु. |
| वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए सीएसआर खर्चें (वित्तीय वर्ष 2016-17 में खर्च किया गया) | 17,14,000 रु. |

वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए 33.90 लाख रुपये का कुल सीएसआर बजट (वित्तीय वर्ष 2015-16, 34.35 लाख रुपये) है जिसमें से अव्ययित राशि 16.89 लाख रुपये (वित्तीय वर्ष 2015-16, 17.14 लाख रुपये) को वित्तीय वर्ष 2017-18 में योजनाबद्ध खर्च किया जाएगा।

**30. माइक्रो, छोटा एवं मध्यम संस्था विकास अधिनियम, 2006 :** माइक्रो, छोटा एवं मध्यम संस्था विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत माइक्रो, छोटा एवं मध्यम संस्था से संबंधित प्रकटन करने की जरुरत है। तथापि किसानों/कृषकों से खरीदे गये जूट को ध्यान में रखते हुए उसका भुगतान तुरंत ही नकद किया जाता है। अत: खाते में अलग से प्रकटन नहीं किया गया है।

**31. परियोजनाओं से संबंधित प्रकटन**

जूट प्रौद्योगिकी को उन्नत करने के लिए भारत सरकार से प्राप्त अनुदान हेतु

(31 मार्च, 2017 तक) *(रु. में)*

| अनुदान का नाम | प्राप्त राशि | अर्जित ब्याज | संवितरण | बकाया शेष राशि |
|---|---|---|---|---|
| (ए) जूट की गुणवत्ता में सुधार (रेटिंग टेक्नोलॉजी) | 40,00,000<br>(40,00,000) | 44,04,487<br>(39,94,028) | 20,10,985<br>(20,10,985) | 63,96,502<br>(59,83,043) |
| (बी) मैनुअल/पावर ड्राइवन रिबनर मशीन का विकास | 34,00,000<br>(34,00,000) | 75,12,571<br>(68,28,242) | 4,47,735<br>(4,47,735) | 1,04,64,836<br>(97,80,507) |
| (सी) बायो टेक्नोलॉजीकल रेटिंग | 9,00,000<br>(9,00,000) | -<br>- | 7,82,695<br>(7,82,695) | 1,17,305<br>(1,17,305) |
| (डी) जूट प्रौद्योगिकी मिशन (जेटीएम) | 60,05,00,000<br>(60,05,00,000) | 13,84,97,672<br>(12,99,17,419) | 55,91,98,877<br>(55,11,80,152) | 17,97,98,795<br>(17,92,37,267) |

उपरोक्त परियोजनाओं से संबंधित अल्पावधि जमा राशि पर अर्जित ब्याज संबंधित परियोजना निधि में जमा हुआ है।

**32. अवरुद्ध चेक**

लाभार्थियों के साथ लंबित विवाद के कारण अवरुद्ध चेक शीर्षक के अंतर्गत 853232 रु. (वित्तीय वर्ष 1505639 रु.) रखा जा रहा है।

**33. निदेशकों का पारिश्रमिक नीचे समाविष्ट किया गया है जो लेखा से संबंधित शीर्षक के नामें हैं :**

| | 31.03.2017 (रु.) | 31.03.2016 (रु.) |
|---|---|---|
| (ए) वेतन | 39,80,312 | 23,69,347 |
| (बी) छुट्टी भुनाने का | 8,52,397 | 10,60,651 |
| (सी) भविष्य निधि, पेंशन एवं ग्रेच्युटी में अंशदान | 3,87,029 | 4,02,672 |
| (डी) भाड़ा आवासीय | 5,95,000 | 0 |
| (ई) अन्यान्य | 7,89,327 | 6,06,942 |
| **कुल** | **66,04,065** | **44,39,612** |

**34. निगम के प्रति शेयर उपार्जन को निम्न प्रकार से परिकलित किया गया है :**

| | 31.03.2017 (रु.) | 31.03.2016 (रु.) |
|---|---|---|
| इस वर्ष का लाभ/(हानि) | 9,19,79,586 | 10,88,59,385 |
| इक्वीटी शेयर की सं. का औसतन वजन | 5,00,000 | 5,00,000 |
| प्रति शेयर उपार्जन (मूल और मिश्रित) | 184 | 218 |

**35. क्रय कर**

30.06.1990 से 30.06.1993 की अवधि के लिए क्रय कर अधिनियम 1967 के अतंर्गत असम के 78,55,537 रु. की वापसी प्रस्ताव संबंधित प्राधिकारी के साथ अभी भी चल रहा है तथापि उक्त राशि के लिए खाता में पूरा प्रावधान बना है।

**36. वैट/विक्रय कर**

वित्तीय वर्ष 2006-07 के दौरान सहायक आयुक्त, वाणिज्यक कर, कोलकाता द्वारा जारी आदेश में वर्ष 2003-04 के लिए विक्रय कर के खाते में 15,27,170 रु. अधिक भुगतान दिखाया गया है। उपरोक्त राशि 15,27,170 रु. निगम द्वारा 02.06.2017 को प्राप्त हुआ है।

**37. आस्थागित कर**

आस्थागित कर परिसम्पत्ति (डीटीए) - डीटीए की समीक्षा विगत वर्ष से चालू वर्ष में डीटीए की मान्यता के साथ लाया गया है।

लेखा मानक-22 (एएस 22) में प्रत्येक तुलन-पत्र की तिथि पर डीटीए की वहन राशि की आवश्यकता को विनिर्दिष्ट करता है। यह भी विनिर्दिष्ट करता है कि डीटीए को मान्यता दिया जाएगा और आगे बढ़ाया जाएगा, यदि पर्याप्त कर योग्य आय सही रूप में उचित हो जिसके विरुद्ध डीटीए को वसूला जा सके।

निगम का मुख्य उद्देश्य कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) क्रिया-कलाप का संचालन करना है और यह कच्चे जूट के बाजार मूल्य की अस्थिरता पर निर्भर करता है। यहाँ तक कि एमएसपी क्रिया-कलाप होता है तो भी यह निश्चित नहीं है कि निगम एक साकारात्मक मार्जिन के साथ एसएसपी में शामिल लागत को वसूल करने में सक्षम होगा क्योंकि वह समय-समय पर लागू होने वाले सरकारी निर्णय/नीति पर पूरी तरह निर्भर है। यद्यापि भारत सरकार सामान्य रूप से एमएसपी की कुछ लागत को पूरा करने के लिए निगम को प्रीफिक्सड वार्षिक आर्थिक समर्थन प्रदान करता है लेकिन यह दोनों आधारिक संरचना की लागत एवं जूट की खरीद एवं संबंधित गतिविधियों की लागत को पूरा करने में पर्याप्त नहीं है। इसके अतिरिक्त ऐसे वार्षिक आर्थिक समर्थन प्रभावी वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाना शेष है। ऐसी स्थिति में यह सठीक रूप से कहा जा सकता है कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय होने का कोई उचित कारण नहीं है जो किसी भी पहले का और मान्यता प्राप्त डीटीए वसूला जा सके।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2016-17 के अंत में विगत वर्ष से लाये गये डीटीए की राशि 16,20,654 रु. को मान्यता नहीं दी गई है एवं 31.03.2017 तक उसे वापस कर दिया गया है।

**38. भारत के सनदी लेखापाल संस्तान द्वारा जारी लेखाकरण मानक 18 के अनुसार संबंधित पार्टियों के साथ लेन-देन का प्रकटन निम्न प्रकार हैं:**

| ब्यौरा | संबंधित पार्टी का नाम |
|---|---|
| मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक | 1. डा. के.वी.आर.मूर्ति, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (02.07.2016 से)<br>2. सीए पी. दाशगुप्ता, निदेशक वित्त<br>3. डा. सुब्रत गुप्ता, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (01.07.2016 तक)<br>4. श्री अभिक साहा, कंपनी सचिव (03.08.16 से) |

**वर्ष के दौरान संबंधित पार्टियों के साथ लेन-देन ( मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक ):**

| लेन-देन की प्रवृति | संबंध | | राशि रु. में |
|---|---|---|---|
| | | 2016-17 | 2015-16 |
| **वेतन ( मकान किराया सहित )** | | | |
| डा. के.वी.आर.मूर्ति | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक | 23,99,404 | 17,42,220 |
| डा. सुब्रत गुप्ता | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (01.07.2016 तक) | - | - |
| सीए पी. दासगुप्ता | निदेशक वित्त | 27,61,406 | 23,34,184 |
| अभिक साहा | कंपनी सचिव | 5,91,546 | शून्य |

**39. व्यापार की गई सामानों से संबंधित सूचना**

| ब्यौरा | 2016-2017 गांठ | क्विं | रु. | 2015-16 गांठ | क्विं | रु. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **(ए) क्रय** | | | | | | |
| कच्चा जूट | 2,24,585 | | 132,78,75,336 | 4,961 | | 4,57,62,872 |
| जूट बीज | | 4,952.24 | 11,60,28,208 | | 3,368.02 | 5,71,34,976 |
| विविध जूट उत्पाद | | | 21,84,887 | | | 14,62,975 |
| | **2,24,585** | **4,952.24** | **144,60,88,431** | **4,961** | **3,368.02** | **10,43,60,823** |
| **(बी) विक्रय** | | | | | | |
| कच्चा जूट | 70,909 | | 50,97,77,162 | 19,953 | | 14,89,61,820 |
| जूट बीज | | 4,952.24 | 12,14,17,011 | | 3,368.02 | 6,27,54,895 |
| विविध जूट उत्पाद | | | 18,23,264 | | | 16,85,077 |
| | **70,909** | **4,952.24** | **63,30,17,637** | **19,953** | **3,368.02** | **21,34,01,792** |
| **(सी) प्रारंभिक स्टॉक** | | | | | | |
| कच्चा जूट | 2157 | | 1,79,88,948 | 17,135 | | 7,78,14,479 |
| जूट बीज | | – | – | – | | – |
| | **2,157** | **–** | **1,79,88,948** | **17,135** | **–** | **7,78,14,478** |
| **(डी) अंतिम स्टॉक** | | | | | | |
| कच्चा जूट | 1,57,433 | – | 94,69,21,812 | 2,157 | – | 1,79,88,948 |
| जूट बीज | – | – | – | – | – | – |
| विविध जूट उत्पाद | – | – | 5,10,678 | | | |
| | **1,57,433** | **–** | **94,74,32,490** | **2,157** | **0** | **1,79,88,948** |
| **(ई) प्राप्त दावे** | | | | | | |
| कच्चा जूट | – | – | – | – | – | – |
| **(एफ) कच्चे जूट के वजन में (कमी)/वृद्धि** | 1600 | – | – | 14 | – | – |

लेखा में स्टॉक की मात्रा को 180 कि.ग्रा. प्रति गांठ में दर्शाया गया है।

40. जहाँ भी जरुरत पड़ा है वहाँ विगत वर्ष के आंकड़ों को पुन:वर्गीकृत और पुन:व्यवस्थित किया गया है। कोष्टक में दिये गये आंकड़े विगत वर्ष के आंकड़े हैं।

41. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूचची-III के आवश्यकतानुसार दी जानेवाली अपेक्षित अन्य सूचना को शून्य पढ़ा जाय।

वास्ते **एम. सी. जैन एण्ड कं.**
सनदी लेखापाल
एफ आर नं. 304012ई

**(मुकेश कुमार पटवारी)**
**साझेदार**
सदस्यता सं.056623

*कृते एवं बोर्ड की ओर से*

**(अभिक साहा)**
कंपनी सचिव

**(सीए पी. दाशगुप्ता)**
निदेशक(वित्त)
**डीआईएन-07059472**

**(डा. के. वी. आर. मूर्ति)**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
**डीआईएन-07628725**

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 04.09.2017

## अन्तर्देशीय कच्चा जूट-मूल्य समर्थन

| | 2016-2017 | | 2015-2016 | |
|---|---|---|---|---|
| | गांठ | रु. | गांठ | रु. |
| **आय** | | | | |
| विक्रय | 897 | 44,09,731 | 246 | 12,36,054 |
| ढुलाई खर्च | – | 11,58,755 | – | 27,00,000 |
| आंतरिक कच्चा जूट से स्थानांतरण | 94 | 5,10,110 | 15,176 | 6,71,70,871 |
| सरकार से आर्थिक सहायता (विगत वर्ष) | – | – | – | – |
| ब्याज आय | – | 7,26,51,706 | – | 8,46,60,851 |
| अन्य आय | – | 2,71,24,338 | – | 7,57,555 |
| सरकार से आर्थिक सहायता | – | 49,38,00,000 | – | 52,11,00,000 |
| सरकार से आर्थिक सहायता (कृषकों के प्रशिक्षण एवं अन्यान्य) | – | – | – | – |
| पूर्व अवधि का समायोजन | – | 58,10,139 | – | – |
| शुद्ध समायोजन नामें/जमा की शेष राशि लिखित/वापस | – | – | – | 3,28,064 |
| वजन में कमी | – | – | 8 | – |
| अंतिम स्टॉक | 55,236 | 29,97,49,370 | 424 | 18,18,400 |
| शुद्ध हानि | – | – | – | – |
| | **56,227** | **90,52,14,149** | **15,854** | **67,97,71,795** |
| **व्यय** | | | | |
| प्रारंभिक स्टॉक | 424 | 18,18,400 | 15,805 | 6,99,54,904 |
| क्रय | 55,580 | 28,79,40,308 | 49 | 91,067 |
| कर एवं लेवी | | 60,662 | | 82,629 |
| भाड़ा | | 2,34,475 | | 52,032 |
| परिचालन खर्चे | | 80,74,894 | | 9,422 |
| कर्मचारियों को भुगतान एवं प्रावधान | | 46,82,67,892 | | 41,53,12,745 |
| अन्य प्रशासनिक खर्चे | | 4,60,49,669 | | 2,92,43,660 |
| ब्याज एवं अन्य वित्तीय प्रभार | | 48,029 | | – |
| गोदाम भाड़ा एवं भंडारण | | 1,16,88,349 | | 1,28,10,910 |
| बीमा | | 2,06,927 | | 8,427 |
| मूल्यह्रास | | 8,06,236 | | 9,19,590 |
| सेवा कर | – | 13,73,560 | | 5,30,552 |
| सेवा प्रभार | – | 950 | | 7,212 |
| पूर्व अवधि का समायोजन | | – | | 5,90,570 |
| महसूल एवं कर | – | 94,329 | – | 22,279 |
| वजन में वृद्धि | 223 | – | – | – |
| आयकर के लिए प्रावधान | | 2,24,56,638 | | 6,06,43,036 |
| शुद्ध लाभ | | 5,60,92,831 | | 8,94,92,760 |
| | **56,227** | **90,52,14,149** | **15,854** | **67,97,71,795** |

## अन्तर्देशीय कच्चा जूट - वाणिज्यिक

| | 2016-2017 | | 2015-2016 | |
|---|---|---|---|---|
| | गांठ | रु. | गांठ | रु. |
| **आय** | | | | |
| विक्रय | 70,012 | 50,53,67,431 | 19,707 | 14,77,25,766 |
| ढुलाई लागत | – | – | – | – |
| प्राप्त दावे-स्टॉक | – | – | – | – |
| प्राप्त ब्याज | – | – | – | – |
| सेवा प्रभार | – | – | – | – |
| वजन में कमी | – | – | – | – |
| अंतिम स्टॉक | 1,02,197 | 64,71,72,442 | 1,733 | 1,61,70,548 |
| शुद्ध हानि | – | – | – | – |
| | **1,72,209** | **115,25,39,873** | **21,440** | **16,38,96,314** |
| **व्यय** | | | | |
| प्रारंभिक स्टॉक | 1,733 | 1,61,70,548 | 1,330 | 78,59,574 |
| क्रय | 1,69,005 | 103,99,35,028 | 4,912 | 4,56,71,805 |
| आन्तरिक कच्चा जूट मूल्य समर्थन से स्थानांतरण | 94 | 5,10,110 | 15,176 | 6,71,70,871 |
| कर एवं लेवी | – | 69,51,986 | – | 98,75,345 |
| भाड़ा | – | 1,83,01,062 | – | 41,68,248 |
| परिचालन खर्चे | – | 2,45,53,752 | – | 9,44,520 |
| ब्याज | – | – | – | – |
| बीमा | – | 7,01,745 | – | 4,61,723 |
| वजन में वृद्धि | 1,377 | – | 22 | – |
| आयकर का प्रावधान | – | 1,29,83,953 | – | 1,12,06,483 |
| शुद्ध लाभ | – | 3,24,31,688 | – | 1,65,37,745 |
| | **1,72,209** | **115,25,39,873** | **21,440** | **16,38,96,314** |

## जूट बीज

| | 2016-2017 | | 2015-2016 | |
|---|---|---|---|---|
| | क्विं. | रु. | क्विं. | रु. |
| **आय** | | | | |
| विक्रय | 4,952.24 | 12,14,17,011 | 3,368.02 | 6,27,54,895 |
| एनजेबी से आर्थिक सहायता | – | – | – | – |
| सेवा प्रभार | – | – | – | – |
| अंतिम स्टॉक | – | – | – | – |
| क्षति | – | – | – | – |
| शुद्ध हानि | – | – | – | – |
| | **4,952.24** | **12,14,17,011** | **3,368.02** | **6,27,54,895** |
| **व्यय** | | | | |
| प्रारंभिक स्टॉक | – | – | – | – |
| क्रय | 4,952.24 | 11,60,28,208 | 3,368.02 | 5,71,34,976 |
| भाड़ा | – | 95,113 | – | 1,34,176 |
| स्टॉक पुनर्वैधीकरण प्रभार | – | – | – | – |
| बीमा | – | – | – | – |
| स्थायी खर्च | – | – | – | – |
| जूट बीज की हैंडलिंग | – | 1,16,685 | – | 98,462 |
| आयकर का प्रावधान | – | 14,80,063 | – | 21,76,037 |
| शुद्ध लाभ | – | 36,96,942 | – | 32,11,244 |
| | **4,952.24** | **12,14,17,011** | **3,368.02** | **6,27,54,895** |

## विविध जूट उत्पाद (सोनाली)

| | | |
|---|---|---|
| **आय** | | |
| विक्रय | 18,23,264 | 16,85,077 |
| विविध की प्राप्ति | – | – |
| ब्याज | 1,17,611 | 74,774 |
| अंतिम स्टॉक | 5,10,678 | – |
| शुद्ध हानि | 2,41,875 | 3,82,364 |
| | **26,93,428** | **21,42,215** |
| **व्यय** | | |
| क्रय | 21,84,887 | 14,62,975 |
| कर्मचारियों को भुगतान एवं प्रावधान (मजदूरी) | – | – |
| बीमा | 1,382 | 2,555 |
| कार्यालय रख-रखान | 1,04,868 | – |
| अन्य खर्चे | 3,40,359 | 5,27,077 |
| बैंक प्रभार | 8,838 | 19,339 |
| छपाई एवं लेखन सामग्री | 19,295 | 17,194 |
| दूरभाष प्रभार | 31,439 | 25,247 |
| भ्रमण और यातायात | 2,360 | 87,828 |
| शुद्ध लाभ | – | – |
| | **26,93,428** | **21,42,215** |